हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 दिसम्बर, 2018 (द्वितीय बैठक)

खंड–3, अंक–2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

नियम–15 के अधीन प्रस्ताव

नियम–16 के अधीन प्रस्ताव

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

राज्य के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा के कारण
कृषि भूमि में सेम की समस्या से संबंधित

वक्तव्य–

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

विधान कार्य

1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं.–4) बिल, 2018
2. दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2018
3. दि फरीदाबाद मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी बिल, 2018
4. दि हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 2018
5. दि हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (सैकैड अमैंडमैंट) बिल, 2018
6. दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (सैलरी, अलाउंसिज़ एंड पेंशन ऑफ मैम्बर्ज़) सैकेंड अमैंडमैंट बिल, 2018

नेत्रहीन कल्याण मंच की विभिन्न मांगों के संबंध में मामला उठाना

विभिन्न मांगों के संबंध में मामला उठाना

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

7. दि हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ग्रुप–ए, इरीगेशन डिपार्टमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2018

मुख्यमंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री द्वारा धन्यवाद

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 03:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

शोक प्रस्ताव

15:00 बजे

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आज सुबह की सैशन की पहली बैठक में शोक प्रस्तावों की सूची में पता नहीं कैसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कान्त जी के पिता श्री मदन गोपाल शास्त्री जिनकी पिछले दिनों डैथ हुई थी, का नाम शामिल होने से रह गया था। अगर आप इजाजत दें और मुख्य मंत्री जी भी ठीक समझें तो मेरा सुझाव है कि उनका नाम भी उन शोक प्रस्तावों की सूची में शामिल कर लिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, जस्टिस सूर्य कान्त जी के पिता जी पण्डित मदन गोपाल शास्त्री जी की रस्म पगड़ी पर मैं भी गया था। मेरा भी आपसे आग्रह है कि उनका नाम भी शोक प्रस्तावों की सूची में जोड़ दें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। उनका नाम भी शोक प्रस्तावों की सूची में शामिल कर दिया जाएगा व विधान सभा सचिवालय की तरफ से शोक संदेश शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के पास भिजवा दिया जाएगा।

नियम–15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

नियम–16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रीः (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूंः–

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./40/2018/प्रथम संशोधन/2018, दिनांकित 27 अगस्त, 2018।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./10/2005/तृतीय संशोधन/2017, दिनांकित 30 अक्तूबर, 2017।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./26/2012 द्वितीय संशोधन/2018, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2018।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./41/2018, दिनांकित 13 दिसम्बर, 2018।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण कृषि उपयोगी भूमि में जल भराव की समस्या बारे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक तथा 4 अन्य विधायकों (सर्व श्री ओम प्रकाश बरवा, रामचन्द कम्बोज, जाकिर हुसैन एवं नसीम अहमद) द्वारा प्रदेश में विभिन्न जिलों जैसे रोहतक, झज्जर, जींद व चरखी दादरी में भारी बारिश के कारण कृषि उपयोगी भूमि में जल भराव की समस्या बारे एक ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–4 प्राप्त हुई है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। श्री परमेन्द्र सिंह ढुल, विधायक द्वारा भी प्रदेश के हल्का जुलाना में लगभग 50 गांवों में भारी बारिश के कारण कृषि उपयोगी भूमि में जल भराव की समस्या बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–1 दी गयी है। समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 4 के साथ जोड़ दिया है। श्री परमेन्द्र सिंह ढुल, विधायक को भी इस विषय पर सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाती है। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ेंगे परन्तु वे इस समय हाउस में उपस्थित नहीं है। इसलिए उनके स्थान पर श्री ओम प्रकाश बरवा, विधायक अपनी सूचना पढ़ेगे और इसके बाद संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने विपक्ष के माननीय सदस्यों का कॉलिंग अटैंशन मोशन स्वीकार कर लिया है जबकि आप हमारा कॉलिंग अटैंशन स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, विपक्ष के दूसरे माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले आया था और आपका ध्यानकर्षण प्रस्ताव बाद में आया है इसलिए जिसका प्रस्ताव पहले आता है, उसे पहले स्वीकार किया जाता है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, आप पक्षपात क्यों करते हो ?

श्री अध्यक्षः किरण जी, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आप रिकार्ड देख सकती हैं। आपने आज सुबह ही अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दो माननीय विधयकों श्री ललित नागर और श्री उदय भान जी ने भी साईन किये हैं इसलिए उन्हें भी अपनी सप्लीमैंट्री पूछने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज ही प्रातः 9:23 बजे प्राप्त हुआ है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, मैंने तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले ही भेजा हुआ है। मैंने इसे भेजने में कोई डिले नहीं की बल्कि टाईम पर भेज दिया था।

श्री अध्यक्षः किरण जी, हम फाइल पर सारा ऑर्डर कर चुके थे उसके बाद आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन प्राप्त हुआ है। श्री अभय सिंह चौटला और आपके द्वारा दिये गये कॉलिंग अटैंशंज एक ही विषय के हैं। इसलिए आप और आपकी पार्टी के विधायक भी उन पर सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, श्रीमती किरण चौधरी जी एवं उनकी पार्टी के दो अन्य सदस्य श्री उदय भान और श्री ललित नागर ने भी आज ही इस विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–16 दी है। समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–16 को भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–4 के साथ जोड़ दिया है। इसलिए ये तीनों सदस्य भी इस विषय पर अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री ओम प्रकाश बरवा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ेंगे।

श्री ओम प्रकाश बरवाः अध्यक्ष महोदय, मैं और श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, श्री रामचन्द कम्बोज, विधायक, श्री जाकिर हुसैन, विधायक तथा श्री नसीम अहमद, विधायक ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के द्वारा इस महान सदन का ध्यान एक अतिलोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश के विभिन्न जिलों, जैसे रोहतक, जींद, झज्जर व चरखी दादरी के गांवों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण कृषि उपयोगी हजारों एकड़ भूमि में पानी का भराव हो गया था एवं वह जल आज भी खड़ा है जिस कारण किसानों की ये जमीनें सेम की समस्या के कारण फसल बिजाई करने योग्य नहीं रही। इस आपदा से किसानों की खरीफ फसल नष्ट होने के कारण उनको भारी आर्थिक नुक्सान हुआ है और अब गेहूं की फसल की बिजाई न कर पाने के कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। यह समस्या खरीफ की फसल के पकने के समय प्रारम्भ हुई थी किन्तु अभी तक सरकार ने इसका कोई समाधान नहीं किया है। इन गांवों के किसानों में इस भारी

नुक्सान व सरकार की अनदेखी से काफी दुख तथा आक्रोश है। सरकार को किसानों के इस नुक्सान की तुरंत भरपाई करनी चाहिए और मेरा अनुरोध है कि उन्हें मुआवजा भी प्रदान किया जाए। अतः सरकार इस बारे में सदन में अपना वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ संलग्न

श्री परमेंद्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के जुलाना में बारिश के कारण फसलों के हुए नुक्सान के बारे में मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हलका जुलाना के लगभग 50 गांवों से अधिक में (खरीफ 2018) धान, कपास, नरमा, गन्ना व अन्य फसलों में भारी बारिश की वजह से भारी नुक्सान हुआ। भारी बारिश से इन गांवों में महीनों तक पानी भरा रहा। आज भी लगभग 7–8 हजार एकड़ भूमि में फसल की बिजाई नहीं हो पा रही। किसान के प्रति गिरदावरी की रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में है। लगभग 40–50 हजार एकड़ भूमि में जल–भराव के दौरान महीनों तक लगभग 3 फुट पानी फसलों में खड़ा रहा, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुक्सान हुआ। किसानों को मुआवजा न मिलने के कारण उनमें भारी रोष व आक्रोष व्याप्त है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ संलग्न

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा पटल से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहती हूं कि ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा प्रभावित किसानों को दिया जाए। आज प्रदेश का किसान पहले से ही बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ है, ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि बाढ़ आदि के कारण उस पर मुसीबतों की दोहरी मार पड़ रही है। किसानों की तैयार फसल बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के कारण खराब हो चुकी है, जिस वजह से उसे अपने जीवन–यापन और बैंकों द्वारा लिए गए कर्ज की चिंता भी सताने लगी है।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगी कि Bhiwani Distt. के गांव Biran, Dhani Biran, Kohar, Dhani Mahu, Jui Bichli, Jui Khurd, Azad Nagar, Kherpura, Tehsil Badara के गांव Dhani Suraja, Arya Nagar, Kakdoli Hukmi, Dadam, Gopi and Kari Rupa और Dadri District के 13 गांवों के खेतों में बेमौसम बरसात का पानी अभी भी खड़ा है, मैं सरकार से

अनुरोध करूंगी कि इस पानी निकासी का जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए। मैं सरकार से यह भी निवेदन करती हूं कि किसानों की खराब हुई फसल का जल्द से जल्द उचित मुआवजा भी उन्हें प्रदान किया जाए।

वक्तव्य –
कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): चालू वर्ष में 22 से 24 सितम्बर तक सम्पूर्ण राज्य में लगातार अभूतपूर्व भारी वर्षा हुई थी। इसलिए बारिश होने के बाद भी खेतों में जल–भराव बना रहा। जहां कुछ क्षेत्रों में धान की खेती के कारण उप–सतह जल स्तर (एस0एस0डब्ल्यू0एल0) पहले से ही अधिक है। इससे राज्य के कुछ हिस्सों में जल–भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिससे मुख्य प्रभावित जिले रोहतक, झज्जर, जीन्द, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी तथा सोनीपत का कुछ भाग था जहां लगभग 2,30,000 एकड़ फसल पानी में डूब गई थी। जिला प्रशासन एवं सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग ने प्रभावित लोगों के खेतों में खड़े पानी को निकालने के लिए सभी मशीनरी तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को लगाते हुए तुरन्त राहत देने का प्रयास किया। पानी को शीघ्र निकालने के लिए कई स्थानों पर नई मशीनरी भी खरीदी गई तथा प्रयोग की गई। स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा ने एक वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से दिनांक 03.10.2018 को सम्बन्धित उपायुक्तों के साथ कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की थी। वित्त मंत्री, हरियाणा ने भी 15.10.2018 को पानी निकालने की प्रगति की निगरानी की थी। पानी निकालने की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए दो दिन के लिए जल–भराव प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) एवं प्रधान सचिव (सिंचाई तथा जल संसाधन) सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा भी किया। जिला झज्जर तथा चरखी दादरी में जल–भराव के लिए पहचाने जाने वाले कुछ निचले क्षेत्रों को छोड़कर पानी निकालने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब भू–स्वामियों द्वारा ईंट–भट्ठों के लिए खोदी गई भूमि के कारण बने हुए गड्डों में ही जल खड़ा है।

जहां तक प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की बात है, सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस0डी0आर0एफ0) के माध्यम से किसानों को मुआवजा देने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0) के तहत जल–भराव के कारण खरीफ फसलों के नुक्सान का आकलन किया गया है और

मुआवजे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गिरदावरी कर ली है और उन किसानों को फसल क्षति मुआवजा प्रदान करेगा जोकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0) के तहत बीमित नहीं है। अब तक राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 161.99 करोड़ रुपए के मुआवजों का अस्थायी रूप से मूल्यांकन कर लिया है।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 26 दिसम्बर, 2018 तक गेहूं, सरसों, चना आदि रबी फसलों के लिए बोया गया कुल क्षेत्र 30.91 लाख हैक्टेयर है जोकि पिछले वर्ष के दौरान बोए गए कुल क्षेत्रफल के लगभग बराबर है जैसा कि बुआई पूरी हो गई है। रबी सीजन में बुआई किए गए खेतों पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है जिसमें जल–भराव के कारण इस साल बिना बुआई के रह गए उन क्षेत्रफल में जहां पिछले रबी में बुआई की गई थी। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और बेमौसमी बारिश से प्रभावित किसानों सहित सभी किसानों की मदद के लिए सक्रिय है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि गत सितम्बर में जो बारिशें आई थीं, उसके कारण हमारी खरीफ की फसल को नुक्सान हुआ था और बहुत बड़े इलाके में जल भराव भी हुआ था। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य या अन्य सदस्य जो इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभ में सरकार के पास लगभग 2 लाख 30 हजार एकड़ की जानकारी आई थी। उसके बाद हमने तुरंत जल निकासी के प्रयास किए और विभाग काफी बड़ी जमीन का जल निकालने में कामयाब भी हुआ। उसी समय सरकार ने गिरदावरी करने का और बीमा कम्पनियों को भी सर्वे करने का निर्देश दिया। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि एक तरह से विभाग ने जाकर 1 लाख 85 हजार 92 एकड़ जमीन की गिरदावरी जल भराव के क्षेत्र की की है, मतलब उस समय उस बारिश से जो नुक्सान हुआ था, उसकी गिरदावरी की है। उस बारिश से और बाद में बारिश के पानी के रुके रह जाने से जल भराव के कारण जो नुक्सान हुआ, उन दोनों को मिलाते हुए बीमा कम्पनियों के पास शिकायतें आईं। उसके बाद बीमा कम्पनियों ने मौके पर जाकर के 1 लाख 68 हजार 442 केसिज का वैरीफिकेशन किया था। सरकार ने किसानों को व्यापक रूप से राहत पहुंचाने के लिए गिरदावरी भी कराई है और बीमा कम्पनियों ने भी अपना सर्वे किया है। मैं यह जानकारी सदन को देना चाहता हूं कि जैसे

अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि अधिकतर स्थानों पर जल निकासी कर दी गई है, लेकिन एक लेवल के बाद पानी उठता नहीं है और अपने आप सूखता है तब ही अगली फसल की बिजाई हो सकती है। अभी रबी की फसल में भी कुछ इलाके सूख नहीं पाए और विभाग ने अपना पानी निकासी का भी काम किया, लेकिन जब नीचे की नमी मिल जाती है तो उस लेवल की नमी उसमें बच जाती है और उसके कारण जींद और हिसार दो जिलों का आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है और इन दोनों जिलों को छोड़ते हुए 7 हजार 136 एकड़ जमीन ऐसी है, जिसमें इस बार की भी रबी की फसल की बुआई नहीं हुई है। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार ने भारत में किसानों को सबसे अधिक मुआवजा देने का काम किया है। हमारे पास जो डाटा आया है, हमने उसका हिसाब लगा लिया है और बहुत जल्द उन किसानों को गिरदावरी के आधार पर पिछली फसल का मुआवजा प्रदान कर दिया जायेगा । इसमें से जो किसान बीमित हैं उन किसानों को मुआवजा बीमा कम्पनीज़ देंगी और बीमा कम्पनीज़ के पास अपना चैकिंग का डाटा 1 लाख 68 हजार 422 का है और उसके मुताबिक बीमा कम्पनीज़ मुआवजा प्रदान करना शुरू करने जा रही है । इसके साथ ही साथ बीमा कम्पनीज़ अपनी फाइनल रिपोर्ट भी तैयार कर रही हैं । अध्यक्ष महोदय, पूरे भारतवर्ष में हमारा इस बार आपदा प्रबंधन में सबसे बेहतर स्थान रहा है और उसी प्रकार से इस आपदा से भी हमारा हरियाणा प्रदेश किसानों को सर्वाधिक तरीके से राहत पहुंचाने वाला राज्य साबित होगा । सदन में जो सवाल माननीय सदस्यों ने उठाये हैं कि खरीफ की फसल में नुकसान तो अवश्य ही हुआ है साथ में रबी की फसल की बिजाई भी नहीं हो पाई है । मैंने उसका एक आंकड़ा भी दिया है । अध्यक्ष महोदय, दो जिलों का डाटा अभी और आने वाला है और हो सकता है कि यह आंकड़ा 8–9 हजार एकड़ तक पहुंच जाये क्योंकि अभी कुछ किसानों की रबी की 7136 एकड़ एरिया में फसल की बिजाई भी नहीं हो पाई है । अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों की दूसरी फसल की बिजाई नहीं हो पाई है, उनको राहत प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज सदन में अनाउंसमैंट भी करने वाले हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, पहले हमें तो बोलने का मौका दीजिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने भी अपना कॉलिंग अटैंशन मोशन दे रखा है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इसमें कहीं नाम नहीं आया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने जो कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है वह लेट आया था इसलिए आपका नाम नहीं आया है और अब आप तीनों विधायकों का नाम इसमें शामिल कर लिया गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यदि आप ऐसा करोगे तो फिर हमारा सदन में आने का कोई फायदा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन प्रातः 9.23 मिनट पर आया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही गलत बात है । अगर ऐसी बात है तो हम सदन में आना ही छोड़ देंगे ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका नाम रिकॉर्ड में डलवा दिया जायेगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा नाम तो रिकॉर्ड में नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह पहले ही टाइप हो चुका है इसलिए आपका नाम नहीं आया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो हम सदन में नहीं आयेंगे । आप हमें बोलने की इजाजत नहीं देते हो तो बोल दीजिए कि सदन में न आयें ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं आपको कैसे बोल सकता हूं कि आप सदन में न आयें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब हम कॉलिंग अटैंशन मोशन लेकर आते हैं और जब हमारा नाम रिकॉर्ड में ही नहीं आता तो फिर हमारे सदन में बैठने का क्या फायदा हुआ ?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन ही लेट आया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने अपना कॉलिंग अटैंशन मोशन समय पर दिया है, लेट नहीं दिया है, यह गलत बात है । मैं हमेशा ही कॉलिंग अटैंशन मोशन समय पर भिजवाती हूं और आप भी भलीभांति इस बात को जानते हो ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आज सुबह ही आपने कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारा अब कॉलिंग अटैंशन मोशन रिकॉर्ड में ले आईये । 11 बजे से तो सैशन चला है और 9.23 मिनट पर हमने अपना कॉलिंग अटैंशन मोशन दे दिया है । आप कैसे कह रहे हो कि हमने टाइम पर नहीं दिया है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, सैशन शुरू होने के 1 घंटे पहले कॉलिंग अटैंशन मोशन देने का प्रोविजन है ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, हमने आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन शामिल कर लिया है और आप इस विषय पर बोल सकते हो ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे कॉलिंग अटैंशन मोशन को कम से कम रिकॉर्ड में तो लेकर आईये ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, ठीक है आपके नाम दोबारा से रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिए जाएंगे ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने तो इस प्रकार से हमें बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है । मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन नैशनल लोकदल बी. जे.पी. की आपकी 'बी' टीम है और आज यह बात स्पष्ट नजर आ रही है । अध्यक्ष महोदय, आप हमें यह बताइये कि हमने जो कॉलिंग अटैंशन मोशन दे रखा है वह रिकॉर्ड में आ रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैंने ही आपको कह तो दिया है कि आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन रिकॉर्ड में दर्ज करवा रहे हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, हरियाणा प्रदेश में जो बारिश और सेम की समस्या है उसके बारे में मंत्री जी अभी जवाब दे रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी की नई–नई सरकार बनी थी और उसके बाद जब इस सरकार का प्रथम

बजट सैशन आया था उस समय मैंने हरियाणा प्रदेश में सेम की समस्या के बारे में यहां पर जिक्र किया था। यहां पर सरकार की तरफ से यह बार–बार कहा जा रहा था कि हमने बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनके मुआवज़े के रूप में 1100 करोड़ रुपये किसानों को दिए हैं। उस समय मैंने यहां पर इस बात को लेकर भी चर्चा की थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें सेम की समस्या है। लोगों की जमीन में सेम के कारण पानी खड़ा है और उनकी जमीन में उस सेम के पानी के लगातार खड़े रहने के कारण कोई फसल नहीं हो पा रही है। उस समय मैंने सरकार से यह भी मांग की थी क्या इस प्रकार की सेम की समस्या से पीड़ित किसानों को भी कोई मुआवज़ा सरकार की तरफ से दिया जायेगा? उस समय सरकार ने स्वयं यह बात स्वीकार की थी और यह आश्वासन भी दिया था कि जब तक सेम से प्रभावित किसानों की जमीन से सेम के पानी की निकासी नहीं हो जाती अर्थात् सेम का पानी खेतों से नहीं निकलवाया जाता है तब तक हम सेम की समस्या से प्रभावित किसानों को 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ सालाना के हिसाब से मुआवज़ा देंगे। (विघ्न) अगर सरकार चाहे तो इससे सम्बंधित रिकार्ड को निकलवाकर चैक करवा सकती है। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के आदरणीय नेता श्री अभय सिंह चौटाला जी अगर किसी बात को कोट कर रहे हैं तो ये उससे सम्बंधित डेट और टाईम भी यहां पर बतायें। ये जिस बात का वर्णन कर रहे हैं उसका रिकार्ड निकालने की हमारी ड्यूटी लगाने की बजाय क्योंकि ये उसको साइट कर रहे हैं इसलिए ये ही उससे सम्बंधित रिकार्ड भी यहां पर प्रस्तुत करें। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : स्पीकर सर, श्री अभय सिंह चौटाला के डाटा आज सुबह से ही मिस हो रहा है इसलिए इनके डाटा को सीरियसली न लिया जाये। (शोर एवं व्यवधान) इनके डाटा इधर–उधर हो रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, मैं जो बात कर रहा हूं उस बात को सुनने की बजाये मंत्री जी सदन को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। स्पीकर सर, मेरा डाटा इधर–उधर नहीं हो रहा है बल्कि इनका जाने का समय आ गया है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर महोदय, यहां पर सवाल किसी से पूछा जाता है

और बोलना कोई भी शुरू कर देता है। मैंने यह बात यहां पर इसलिए दोहराई है क्योंकि यह बात यहां पर हुई है। जब इस इशू पर चर्चा हुई है तो जो विधान सभा की अब तक की प्रौसीडिंग्स हैं उनको निकालकर देखा जा सकता है कि सरकार की तरफ से यह बात की गई है? जब सरकार बनने के बाद पहली बारिश की वजह से फसलें खराब हुई थी और जब उसके बाद वर्ष 2015 में बजट सैशन आया है उसमें यह बात कही गई है। सरकार के पास इस सम्बन्ध में सभी डॉक्यूमैंट्स है और सरकार की तरफ से इस बात का आश्वासन भी आया हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने एक मन बना रखा है और एक फैसला कर रखा है कि मैं खड़ा होकर जब भी कोई सवाल मंत्री या मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा तो उसके तुरंत बाद पीछे बैठा कोई भी मैम्बर कमैंट्री करना शुरू कर देगा।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इस बार तो दोनों मंत्रियों ने ही आपकी बात का जवाब दिया है। मंत्री तो सरकार का ही हिस्सा है इसलिए जवाब तो वे ही देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात यहां पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हाउस में कभी भी सेम की समस्या से ग्रस्त किसानों को 25,000 रूपये प्रति एकड़ सालाना देने की बात सरकार की तरफ से नहीं कही गई है और न ही सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई आश्वासन ही यहां पर दिया गया है। अगर इनको ऐसा लगता है कि यहां पर इस प्रकार का कोई आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है तो उसको रिकार्ड में से निकलवाने का काम नेता प्रतिपक्ष करें। उसके बाद उसको देख लिया जायेगा। मैं पुनः इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ डिनाई कर रहा हूं कि ऐसा मैंने नहीं कहा। (शोर एवं व्यवधान) मैं बार–बार इस बात को जिम्मेवारी के साथ डिनाई करता हूं कि ऐसा मैंने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि आप इससे सम्बंधित रिकार्ड निकलवा लें और उसको सदन के पटल पर रखें उसके बाद ही इस बारे में विचार किया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, मैं इससे सम्बंधित रिकार्ड भी निकलवाकर दे दूंगा। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर रिकार्ड में इस प्रकार का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया हुआ मिल गया तो फिर सरकार के नुमाइंदे क्या करेंगे?

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता प्रति पक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि अगर इस बारे में जानकारी रिकार्ड में मिल गई तो फिर हम क्या करेंगे? मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि अगर ये कोई रिकार्ड लेकर आयेंगे तो उसके बारे में विधान सभा के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार विधान सभा द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी। नेता प्रति पक्ष द्वारा जो इससे सम्बंधित रिकार्ड यहां पर प्रस्तुत किया जायेगा तो उस पर हमें कुछ नहीं करना है बल्कि उस पर जो भी करना होगा वह विधान सभा द्वारा ही किया जायेगा इसलिए पहले इनको इस मामले से सम्बंधित रिकार्ड तो लेकर आना चाहिए और उसको सदन के पटल पर रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भी तो पहले विधान सभा में रहे हैं इसलिए इनको भी विधान सभा के सारे के सारे नियमों और कानूनों की जानकारी है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इनको इस मामले से सम्बंधित रिकार्ड सदन के पटल पर रखना चाहिए उसके बाद विधान सभा द्वारा निर्णय लिया जायेगा कि उसके ऊपर क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, मैं पुनः यह बात कह रहा हूं कि यह उस वक्त का सरकार का आश्वासन है जब माननीय मुख्यमंत्री मेरे विधान सभा क्षेत्र में गये थे । ये अभी पिछले दिनों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर आये हैं तब भी सेम की समस्या के निपटारे के लिए वहां के लोगों से कहकर तो आये हैं कि हम सेम की समस्या का निपटारा करेंगे लेकिन उसके लिए न तो कोई पैसा मंजूर किया गया और न ही उसके लिए कोई समय–सीमा ही मुकर्रर की गई है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से यह कहना चाहूंगा कि उनको विधान सभा में गलत तथ्यों को रखने के बजाये सही तथ्यों को रखना चाहिए। मैं नेता प्रतिपक्ष के विधान सभा क्षेत्र ऐलनाबाद में गया था वहां पर मेरे सामने लोगों ने यह विषय उठाया था कि उस क्षेत्र में 25 गांवों की जमीन में सेम की समस्या है। मैंने उनको यह कहा कि हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे और एग्जामिन करवाने के बाद इसको ठीक करवाने का जो भी प्रावधान होगा, उसको अवश्य किया जायेगा अर्थात् अगर कोई प्रावधान है तो उसको किया जायेगा और अगर कोई प्रावधान नहीं होगा तो उसके बारे में भी बताया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सेम से प्रभावित किसानों की समस्या का समाधान करने

की माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है इसलिए इनको सेम की समस्या से प्रभावित किसानों की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करवाना चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह बात स्वीकार करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों की सभी समस्याओं को दूर करने की मेरी जिम्मेदारी बनती है इसलिए मैं यह बात पुनः यहां पर भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेम की समस्या को ठीक करने के लिए जो भी प्रावधान होंगे उनको अमल में लाकर किसानों की सेम की समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 से 2005 के बीच मेरे विधान सभा क्षेत्र रोड़ी में सेम की बहुत बड़ी समस्या थी और जब मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र की सेम की समस्या सरकार के सामने रखी तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझ कर उसके लिए एक ड्रेन मंजूर कर दी और ड्रेन बनने के बाद उस एरिया की सेम की समस्या का समाधान हो गया। उस समय जहां पर किसान की कोई भी फसल नहीं होती थी आज वहां पर प्रति एकड़ 50 से 60 मन गेहूं पैदा हो रहा है और 8–10 क्विंटल कपास का उत्पादन हो रहा है। अब सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर किसान के खेत में सेम का पानी भरा हुआ है या बरसात का पानी भरा हुआ है उस समस्या से किसानों को निजात दिलवाये। अगर किसी गांव के खेतों में बरसात का पानी भरा हुआ है तो सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेते हुये प्राथमिकता के आधार पर उस समस्या का समाधान किया जाये। इसी प्रकार से आज भी जुलाना विधान सभा क्षेत्र में खेतों में पानी खड़ा हुआ है तथा दादरी विधान सभा क्षेत्र में भी 10 से ज्यादा गावों के खेतों में वर्षा का पानी खड़ा हुआ है। उस पानी के कारण ही किसानों की पिछली फसल भी खराब हो गई और अगली फसल की बिजाई भी नहीं हो पाई। क्या सरकार ने उसकी पिछली खराब फसल के लिए कोई मुआवजा राशि निर्धारित की है और क्या कोई समय–सीमा तय की है कि उस पानी को कब तक निकाल दिया जायेगा? अध्यक्ष महोदय, यह समस्या केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र या दादरी विधान सभा क्षेत्र की नहीं है बल्कि प्रदेश के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर या तो बाढ़ का पानी खेतों में भरा हुआ है या सेम का पानी खेतों में खड़ा हुआ है और किसान अपनी फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर खेतों में पानी खड़ा हुआ है और रबी की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है तो क्या सरकार किसान को उसकी बिजाई न होने वाली फसल का मुआवजा

देगी? क्या सरकार उस पानी की निकासी के लिए कोई समय–सीमा निश्चित करेगी कि वहां से पानी इतने समय तक निकाल दिया जायेगा ताकि किसान वहां पर अपनी फसल की बिजाई कर सकें।

श्री ओम प्रकाश बरवा (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, सरकार के ढीलेपन के कारण आज प्रदेश में बहुत से इलाकों में फसलों की बिजाई नहीं हो सकी है। अगर सरकार तीव्र गति से काम करती तो उस पानी की निकासी पहले ही हो जाती और किसान अपनी फसलों की बिजाई कर सकते थे। किसानों ने अपने स्तर पर और अपने खर्च पर पानी की निकासी की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने किसानों द्वारा पानी निकासी पर खर्च किये गये पैसे की पेमैंट कर दी है या करने वाली है। दूसरी बात यह है कि सेम की वजह से किसानों के ट्यूबवैल तथा खेत में बने मकान खराब हो गये हैं क्या सरकार मुआवजा देकर उसकी भरपाई करेगी?

श्री रामचन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता और कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है और जिसकी वजह से उनकी खरीफ की फसल बर्बाद हो गई तथा रबी की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है वहां पर सरकार कितनी मुआवजा राशि निर्धारित करने जा रही है और कब तक उसकी अदायगी हो जायेगी? इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 गांव ऐसे हैं जिनकी फरवरी, 2015 में ओलावृष्टि की वजह से रबी की फसल बर्बाद हो गई थी और सरकार ने उसका मुआवजा भी दिया था लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि उन किसानों से वह मुआवजा राशि वापिस ली जायेगी और अगर कोई मुआवजा राशि वापिस नहीं करता है तो उनकी जमीन कुर्क की जायेगी। मैं सदन के नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके ध्यान में है और यदि है तो किसानों के प्रति इस प्रकार की बेरूखी क्यों है? वर्ष 2015 में किसानों को फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिया गया और आज सरकार वह मुआवजा वापिस लेने की बात क्यों कर रही है? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि जल भराव से या ओलावृष्टि से फसलों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है या बीमा कम्पनियों की होती है? इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो फसल बीमा कम्पनियां हैं ये फसलों के बर्बाद होने पर मुआवजा देने में आनाकानी करती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017 की खरीफ की फसलों के बर्बाद होने पर मुआवजा

नहीं मिल रहा था लेकिन जब लोग इकट्ठे हो कर मुख्यमंत्री जी से आ कर मिले तब जा कर उन लोगों को बीमा कम्पनी की तरफ से मुआवजा मिला और उसमें भी 77 गांव अभी पैंडिंग पड़े हुए हैं उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप उन 77 गांवों में हुए नुकसान का मुआवजा भी देंगे। इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात आदरणीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि पशुपालन विभाग इन्हीं के पास है । मेरे हल्के के 5–6 गांवों में महामारी फैलने की वजह से पशुओं की मृत्यु हुई थी । उस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंसमैंट की थी और बड़ी वाहवाही लूटी थी कि हम दुधारू पशुओं की मृत्यु पर 25 हजार रुपये और दूसरे पशुओं की मृत्यु पर 5 हजार रुपये का मुआवजा देंगे । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पशुपालक को वह मुआवजा राशि कब तक दे दी जाएगी ? पिछले सैशन में भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मुआवजा देने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 5–7 दिन में हम मुआवजा राशि पशुपालकों को दे देंगे । मैं जानना चाहूंगा कि वह मुआवजा राशि पशुपालक को कब तक मिलेगी ? आपके माध्यम से सदन के नेता और मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे इन सवालों का जवाब वे जब भी दें तो विस्तार से दें । धन्यवाद ।

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, जहां तक सेम की बात है । मेवात जिले के नूंह हल्के के गांवों के खेतों में पानी खड़ा रहता है । जिसमें उजीना, संघेल ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी खेतों में 3–4 फुट पानी खड़ा हुआ है । आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि किसानों के खेतों में जो पानी खड़ा है उसका सही मायने में इस्तेमाल करके उसको नहर या नाले में डाला जाए । फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है जिससे वहां के लोग बहुत परेशान हैं। वहां के किसान कई हजार रुपये खर्च करके ट्यूबवैल के माध्यम से सिंचाई करते हैं । जिससे फसल में एक बार पानी देने के लिए किसानों के कई–कई हजार रुपये खर्च हो जाते है । अगर सरकार इस तरह के प्रबंध करे कि वहां पर जिन खेतों में पानी भरा हुआ है उस पानी को नहरों और नालों के माध्यम से उन खेतों तक पहुंचाया जाए, जहां पर पानी की बहुत किल्लत हो रही है । आपके माध्यम से सरकार से मेरा प्रश्न है कि उस पानी को फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र में पहुंचाने का प्रबंध किया जाए । वहां पर कोई नहर या नाला बनाया जाए ताकि वहां के किसानों की समस्या का समाधान हो सके । सर, फिरोजपुर झिरका

विधान सभा के पाटपुरी, पत्थराली, अगोन आदि गांवों में आज वाटर लैवल 650–700 फिट नीचे जा चुका है । अगर कोई किसान अपना ट्यूबवैल लगाता है तो उस पर बहुत पैसा खर्च होता है । वहां ट्यूबवैल लगाने पर 5–6 लाख रुपये की राशि खर्च हो जाता है और फिर भी कोई तसल्ली नहीं होती है कि पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा ? इस तरीके से अगर मेवात की तरफ सरकार ध्यान दे इसके लिए मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे फिरोजपुर झिरका में पानी का प्रबंध करे। हमारे फिरोजपुर झिरका में सेम की कोई समस्या नहीं है । मैं तो आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि कम से कम हमें भी यह प्रश्न उठाने का मौका मिल जाए कि हमारे यहां भी सेम की समस्या है । आज वहां किसान सूखे के कारण मर रहा है । एस.वाई.एल. कैनाल बनाने से पहले मेवात फीडर कैनाल को तो बनवाया जाए ताकि हमारे मेवात के किसानों को साफ व पूरा पानी मिल सके और वे अपनी फसल का उचित प्रबंध कर सके ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कालिंग अटैंशन मोशन क्लब किया है उससे मेरे कालिंग अटैंशन मोशन की भाषा थोड़ी भिन्न है । अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कालिंग अटैंशन मोशन को पढ़कर बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी उसी भाषा में प्रश्न पूछ लें ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का ऐसा है जो पानी के भराव की वजह से लगातार परेशान है । अकेले जुलाना हल्के के अन्दर 50 गांवों में इतना पानी भरा हुआ है जिसने उन 50 गांवों के अन्दर बहुत नुकसान किया है । हरियाणा सरकार के रेवेन्यु व इरीगेशन सैक्रेटरी व तमाम अधिकारी उस पानी को निकालने के लिए वहां पर मौका देखने गये थे । अध्यक्ष महोदय, वह पानी अकेले जुलाना हल्के का नहीं है । वह पानी गोहाना से होकर उस सारे इलाके का पानी है जिसने जीन्द जुलाना में पानी को रोकने का एक कटोरा सा बना दिया है । वहां ड्रेनों को भी इस तरीके से बना दिया गया कि वहां पर सारी ड्रेनों का पानी इकट्ठा होकर निकले । वहां पानी भराव की वजह से किसानों की फसल लगातार बर्बाद हो रही है । वर्ष 2017 में इसी इलाके में 29 गांवों के अन्दर पानी भरा था जिसको देखने के लिए नेता प्रतिपक्ष भी हर गांव में गये थे और मैंने भी विधान सभा में यह बात कई बार उठाई थी । उसके बाद वहां के किसानों को 18 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी गई थी । इस बार यह हुआ कि हम सारे के सारे विधायक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। वहां पर सभी अधिकारी भी

बैठे थे और सबके सामने मुख्यमंत्री जी से बात हुई। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी सारी बात सुनी और कहा कि हमारे क्षेत्र में लाल कलम से गिरदावरी करवाई जायेगी। हमें लगा कि सरकार किसानों की हितैषी है। लाल कलम चलेगी और किसानों को मुआवजा मिल जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह लाल कलम आज तक नहीं चली। हैरानगी की बात तो यह है कि 40–50 हजार एकड़ जमीन पर पानी खड़ा है परन्तु उसके नुकसान के संबंध में गिरदावरी के बाद जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह नुकसान सिर्फ 4025 एकड़ जमीन पर ही दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, किसान के प्रति इतनी बेरूखी? 28 गांवों के अन्दर जहां जलभराव की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है वहां पर नुकसान नाममात्र का दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हैरानी की बात तो यह है कि वहां पर अभी भी पानी खड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले मंत्री जी ने कहा कि मेरे पास जींद में जलभराव की समस्या की जानकारी नहीं है। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यह जलभराव की समस्या जिला जींद के जुलाना ब्लॉक में है। यहां पर अभी भी पानी खड़ा है। गिरदावरी रिपोर्ट में 4025 एकड़ जमीन पर ही जलभराव दिखाया गया है जबकि पिछले साल यह जलभराव 17556 एकड़ जमीन में था। आज भी मेरा अपना आकलन जोकि हमने घूम–घूमकर किया था, उसके अनुसार 26000 एकड़ से अधिक जमीन पर 100 प्रतिशत नुकसान है, 8000 एकड़ से अधिक जमीन पर 70 प्रतिशत नुकसान है तथा 8000 एकड़ जमीन पर 50 परसैंट नुकसान है और बाकी बची जमीन में भी नुकसान प्रतिशतता 50 परसैंट से थोड़ी कम बनी हुई है । नरमे की सारी फसल बर्बाद हो गई है। आज किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब सरकार ने बीमा कंपनियों की भागीदारी से किसान को और अधिक समस्या में उलझा दिया है। गांव निढाना, ढिगाना, ललितखेड़ा, शामलोकलां, गतोली, करसोला, फतेहगढ़, लिजवाना खुर्द, लिजवाना कलां, मेहरड़ा, पोली, गढ़वाली, खेड़ाबख्ता, भैरो खेड़ा, पडाना, खीनाखेड़ी तथा इनके अलावा और भी कई गांव ऐसे हैं जहां जलभराव की वजह से शत–प्रतिशत फसल खराब हुई थी। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे भी गांव थे जहां लगभग 500 एकड़ जमीन में खड़ी फसल जलभराव की वजह से खराब हो गई थी और नुकसान की प्रतिशतता 100 प्रतिशत थी लेकिन हैरानगी की बात है कि नंदगढ़, लिजवाना खुर्द, रामकली, सिवाहा, जिधवीखेड़ा, झमोला, करेला, ब्रवाना,

अकालगढ़, मालवी, शादीपुर, जुलाना, किला जफरगढ़, आसन, चाबरी, देवरढ़, शामलोखुर्द, रधाना तथा बराड़खेड़ा आदि गांवों में मुआवजा शून्य दिखाया गया है। इसके अलावा यहां पर फसल की बुआई भी अभी तक नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के सदस्यों की एक कमेटी बनाकर मौके पर भेजें तो पायेंगे कि जिन गांवों में शून्य नुकसान दिखाया गया है वहां पर फसल की बुआई तक नहीं हो रही है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, बुढ़ाखेड़ा, लाठर, गढ़वाली तथा जयजयवंती इत्यादि गांवों में अभी भी सात से आठ हजार एकड़ जमीन पर जलभराव है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। किसान जाए तो जाए कहां? सरकार यह दम भरती है कि हम किसानों के साथ हैं लेकिन इस तरह के हालात देखकर लगता है कि सरकार के मन में किसानों को मुआवजा देने की कोई मंशा ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जुलाना हल्के का लगभग अढाई करोड़ रूपये से उपर का ट्रैक्टरों का बिल सरकार के स्तर पर पैंडिंग खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ जब मीटिंग हुई थी तो उस समय उन्होंने इस पैसे को देने की हां भरी थी और उन्होंने उसी दिन 50 लाख रुपये जारी कर दिए थे। अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल तो मर ही गई थी फिर भी जमीन को जोतने योग्य बनाने के लिए किसानों ने आढ़तियों से 50–50, 40–40 हजार रुपया कर्जा लेकर ट्रैक्टरों के माध्यम से पानी निकाला। 24–24 घंटे ट्रैक्टर चलाकर जमीन पर खड़े पानी को निकालने का काम किया गया लेकिन बावजूद इसके किसानों को ट्रैक्टरों का खर्च नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हैरानी तो इस बात की है कि सरकार के पास जलभराव से युक्त जमीन से पानी निकालने के लिए पंप हाउसिज के अंदर पर्याप्त संसाधन तक मौजूद नहीं थे और ऐसी हालत में 2 अक्टूबर की डी.सी. जींद के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें मैंने उनसे कहा कि डी.सी. साहब रविवार से लेकर आज तक ट्रैक्टरों के माध्यम से पम्प चलाए गए हैं जिस पर किसानों के पांच लाख रूपये तक खर्च हुए हैं लेकिन बावजूद इसके यह पैसे आज तक किसानों को नहीं दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इन पैसों को देने से हाथ खड़ा करती है तो यह पांच लाख रुपये मैं दे दूंगा लेकिन अगर सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझती है तो सरकार को इस खर्च को तुरन्त अदा कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब ट्रैक्टरों के माध्यम से पानी निकालने का फैसला हुआ था तो उस वक्त यह तय किया गया था कि जो किसान अपने ट्रैक्टर का प्रयोग करके पानी निकालेंगे उनको 400 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से खर्च दिया जायेगा और जो

किसान पंचायत के माध्यम से अपने खेत का पानी निकालेंगे उनको डीजल दिया जायेगा। परन्तु अफसोस इस बात का है कि किसी भी किसान को कोई पैसा नहीं दिया गया। क्या सरकार किसान के साथ इतना अन्याय करेगी? अध्यक्ष महोदय, आज किसान बर्बाद हो चुका है और ऐसी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि जैसाकि अभी थोड़ी देर पहले बीमा कंपनियों की बात कही गई, मेरे अपने जिले में बीमा कंपनियों द्वारा किसानों से 13 करोड़ रुपये का प्रिमियम लिया गया यही नहीं मेरे अपने हल्के में भी किसानों से 3.4 करोड़ रुपये का प्रिमियम लिया गया। अध्यक्ष महोदय, 23112 किसानों ने डैम के उपर जाकर बीमा कंपनियों को अपने नुकसान का आवेदन किया था लेकिन बीमा कंपनियों ने केवल 3650 किसानों का ही क्लेम माना है। अध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर को डी.सी. जींद की अध्यक्षता वाली मीटिंग में सैंपल सर्वे और गिरदावरी करने का भी निर्णय लिया गया था। इस प्रकार 16 अक्टूबर को जुलाना ब्लॉक तथा 17 अक्टूबर को जींद ब्लॉक का सैंपल सर्वे तथा गिरदावरी की गई। अध्यक्ष महोदय, जुलाना ब्लॉक के 36 गांवों का मोटरसाइकिल व कार में बैठकर एक ही दिन में सैंपल सर्वे और गिरदावरी कर ली गई और इसी प्रकार 17 अक्टूबर को एक ही दिन में जींद ब्लॉक का भी सैंपल सर्वे और गिरदावरी कर ली गई और इसकी नतीजा यह रहा है कि आज बीमा कंपनियां इस सैंपल सर्वे को मानने को भी तैयार नहीं है और उन्होंने मुआवजा न देने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिसका जीता जागता सबूत बुवाना गांव है जहां की गिरदावरी गलत की गई है तथा किसानों की अपील के बावजूद बीमा कम्पनी मान नही रही है। आज जुलाना का किसान मरा पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इलाका लगातार दो साल से जलभराव की समस्या से पीड़ित है। सरकार का जलभराव की समस्या को रोकने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। पिछली बार जब जल भराव हुआ था तो हमने रिक्वैस्ट की थी कि सरकार की तरफ से इस समस्या के निवारण के लिए कुछ एफर्ट्स किए जायें। हमने ड्रेनों के एजेंडे तक बनाकर भेजे लेकिन उनको भी मंजूर नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलभराव की तस्वीरें सदन को दिखाना चाहता हूँ। किसानों ने कढ़ा में बैठकर खेतों में से फसल निकाली हुई है और इस प्रोसैस में 8–8 हजार रुपये की मजदूरी लगी है और उतने ही रुपये की फसल बिकी है। इस तरह से किसान कहां जायेगा? अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के जुलाना में किसानों की लगभग 5000 एकड़ जमीन खराब हुई है तो उनके साथ

सरकार न्याय किस प्रकार करेगी। सरकार तो दम भरती है कि यह सरकार किसान हितैषी है। सरकार के मंत्री कहते हैं कि सरकार ने सब जगह मुआवजा दिया है। वर्ष 2014 में मेरे हल्के के पांच गांवों में ओलावृष्टि हुई और वर्ष 2014 में ही भारतीय जतना पार्टी की सरकार बन गई थी। अध्यक्ष महोदय, 3725 एकड़ जमीन की गिरदावरी होकर के सरकार के पास रिपोर्ट आ गई थी। अध्यक्ष महोदय, मेरे बार–बार कहने के बावजूद और सदन में आवाज उठाने पर भी आज तक सरकार ने कोई भी मुआवजा नहीं दिया है। वर्ष वे गांव थे राकली, करसौला, विजवानाखुर्द, रातौली, शामलोकलां। वर्ष 2015 में सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया । जुलाना में तो किसान रो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार यह दम भरना बंद कर दे कि वह किसान हितैषी है। अगर अन्नदाता को बचाना है तो अन्नदाता की मदद करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के जुलाना का किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि गिरदावरी में जो धांधली की गई है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और माननीय सदन के नेता के आश्वासन के बाद भी किसानों को कोई मुआवजा क्यों नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गिरदावरी गलत हुई है, क्या उसके लिए सरकार हाउस की तरफ से कोई कमेटी बनाएगी? सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए कामों को तो हमने देख लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से 3–4 सदस्यों की एक कमेटी बने और उस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य शामिल हों। वह गठित कमेटी मौके पर जाकर देखकर आयेगी कि आज कितनी खराब हालत किसानों की है। सरकार की किसानों के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। आज किसान उजड़ा जा रहा है। मेरा पूरा हल्का बर्बाद हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार मेरे हल्के के किसानों के लिए कोई रोड मैप तैयार करेगी या नहीं करेगी, यह भी सदन को बताएं? अध्यक्ष महोदय, जुलाना हल्के के साथ एक और अन्याय यह किया गया कि बरसाती पानी को निकालने के लिए रोका गया तथा ड्रेनों के अंदर मिट्टी भरी गई। अध्यक्ष महोदय, किस तरह से सरकार के उच्च अधिकारियों के आदेश पर यह कार्य किया गया ताकि जुलाना हल्के का पानी हिसार की तरफ न जाये मैंने इस संबंध में एक वीडियो माननीय सदन के नेता को दिखाई थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और न ही ड्रेनों में मिट्टी भरवाई गई और न ही वीडियो पर

कोई कार्रवाई हुई। अध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान में हमारा पानी पहले दादरी तक जाता था और अब हिसार की तरफ जाता है लेकिन उपायुक्त हिसार ने पुलिस बल के साथ मौके पर आकर यह कहा था कि इन ड्रेनों को मिट्टी से भर दो और जुलाना हल्के का पानी जुलाना में ही रोक दो। इस संबंध में हमें पूछने पर बताया जाता है कि सरकार के एक मंत्री के आदेश पर ही ऐसी कार्यवाही हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की वीडियो माननीय सदन के नेता को भी दिखाई गई थी। इस तरह से जुलाना हल्के का पानी जुलाना में ही रोका गया और पूरे हल्के को बर्बाद किया गया। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए कि जुलाना हल्के को क्यों बर्बाद किया गया ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय थोड़ा अलग है फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चालू वित्त वर्ष में 22 से 24 सितम्बर तक सम्पूर्ण राज्य में लगातार भारी वर्षा हुई थी और लगभग 25 प्रतिशत मानसून केवल 2 दिन में ही बरसा था। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस पूरे मसले पर माननीय कृषि मंत्री जी ही सदन में जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, जलभराव की वजह से वह एरिया सेम से ग्रस्त रहता है, वह लो लाइंग एरिया है। नैचुरल बहाव में वहां पर पानी ज्यादा आता है। हरियाणा प्रदेश में ऐसे कुछ एरियाज बने हुए हैं जहां पर पानी आगे चलता चला जाता है। इस तरह से एक तरफ दादरी की तरफ पानी इक्ट्ठा होता है और एक तरफ सिरसा की तरफ पानी इक्ट्ठा होता है। पानी के निकासी के भी अलग–अलग क्षेत्र हैं। कई बार छुछकवास की तरफ भी पानी चला जाता है। ढुल साहब सही कह रहे हैं कि पानी गोहाना या कैथल की तरफ से आकर जुलाना में इक्ट्ठा होता है क्योंकि वह लो लाइंग एरिया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उस पानी की निकासी की योजना एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेशन कमेटी बनाकर की है। अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा से बड़े–बड़े पम्प्स इक्ट्ठे किए गए और इसके अतिरिक्त बाहर से भी विशेष तौर पर पम्प्स मंगवाए गए थे। किसानों को भी ट्रैक्टरों की सुविधा दी गई थी और 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई थी। सरकार के अधिकारी रात–रात भर अपने–अपने काम पर मुस्तैदी से लगे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, निकासी की भी एक योजना होती है कि किस–किस ड्रेन में कितना–कितना पानी इक्ट्ठा करने की क्षमता होती है। आगे पानी जाने पर बाढ़ जैसी स्थिति न बन जाये, इस बात को भी देखना जरूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर भिवानी से आगे बापौड़ा का

जो एरिया है उसकी पानी ग्रहण करने की कैपेसिटी पूरी हो चुकी थी । इसी तरह से अचीणा, मलौटा और दादरी के नजदीक के इलाके में पानी ग्रहण करने की कैपेसिटी पूरी हो गई थी और वह इलाका और पानी ग्रहण नहीं कर सकता था । इसके बाद डी.सी., भिवानी ने भिवानी में आगे पानी जाने से रोकने के लिए रिक्वैस्ट करके मुण्डाल के पास एन.एच. के नजदीक पानी रोका । पानी की अधिकता से बापौड़ा और अन्य बस्तियों में ज्यादा पानी जाने का खतरा बना हुआ था । अतः हमने पानी के फ्लो को रैगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी । मेरे ख्याल से इस जल निकासी व्यवस्था को बनाने के लिए हमने जितने एफर्ट्स किये और जितना खुलकर पैसा दिया उतना पैसा पिछले 10–12 सालों में किसी भी एक वर्ष के लिए नहीं दिया गया होगा । हमने इस जल निकासी व्यवस्था को तेजी के साथ और सटीक बनाने के लिए खुलकर पैसा दिया ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जुलाना में पानी की समस्या का समाधान करेंगे । जुलाना में पानी की समस्या के समाधान के लिए ड्रेन को और अधिक चौड़ा करना पड़ेगा या उसके साइड में एक अन्य ड्रेन बनानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार को जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी । इसके लिए वहां पर अब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कौन–सा जादू करेंगे जिससे ड्रेन की चौड़ाई बढ़ जाएगी ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि हमने इस विषय पर डिस्कशन की थी और सी.एम. साहब ने निर्देश दिया है कि जो 'फ्लड कंट्रोल बोर्ड' की बैठक मई–जून के महीने में बारिश के सीजन से पहले होती है और जिसमें फ्लड प्रैडिक्शन एरियाज़ में योजना बनाने पर बात होती है, की बैठक जनवरी महीने में ही कर ली जाए । जिन एरियाज में स्थाई समाधान करने की आवश्यकता हो उनमें स्थाई समाधान किये जाएं और जिन एरियाज में छोटी–मोटी रिपेयरिंग की आवश्यकता हो उनमें रिपेयरिंग कर दी जाए । अतः मेरा कहना है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह डिसीजन दे दिया है तो माननीय सदस्य को 'फ्लड कंट्रोल बोर्ड' की बैठक में अपने एरिया की समस्या को रखना चाहिए ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, मुझे मेरे एक और प्रश्न का भी उत्तर चाहिए । नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया था । उस कमेटी का मैं भी एक मैम्बर हूं लेकिन आज तक उस कमेटी की एक भी

बैठक नहीं हुई है । अगर उस कमेटी की कोई बैठक ही नहीं होगी तो फिर उसे बनाने का क्या फायदा हुआ ? इसके साथ ही अगर उस कमेटी की बैठक हो जाती तो हमें ये सुझाव हाउस में नहीं देने पड़ते और हम अपनी बात उस कमेटी की बैठक में रख देते । (विघ्न) इसके साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिन किसानों की फसल बर्बादी के बाद गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाना था, उनकी गिरदावरी ही नहीं की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि जिस किसान की फसल की गिरदावरी नहीं की गई उसके नुकसान का किस प्रकार से दुरुस्तीकरण किया जाएगा ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे बेचारे अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं । मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । शामलोकलां गांव का जिले सिंह नाम का एक किसान है । उस किसान के पास सिर्फ पौना किल्ला जमीन है और वह 12 किल्ले जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है । वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में उस बेचारे किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई । उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर है लेकिन वह संघर्ष कर रहा है । उसके पास कोई संपत्ति नहीं है । गुजर–बसर करने के लिए और अनाज उगाने के लिए गांव के लोगों ने कुछ सामान इकट्ठा करके उसको दिया है । मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के सैकड़ों परिवार हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं । बड़ी हैरानी की बात है कि कई गांव ऐसे हैं जोकि पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके हैं इसके बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है । लोगों का 10–10, 50–50 एकड़ फसल का नुकसान हुआ है । आप ही बताइये कि इससे ज्यादा किसानों के साथ और क्या अन्याय होगा ? कई किसानों के मकानों का भी नुक्सान हुआ लेकिन उनको भी मुआवजा नहीं दिया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय पर बात करूंगी । यह सच है कि किसान पहले से ही बहुत–सी समस्याओं से जूझ रहा था और उस पर बेमौसमी बरसात और सरकार की नाकामयाबी के रूप में दोहरी मार पड़ रही है । मैंने ये बातें अखबारों में पढ़ी हैं और यह सच है कि दादरी के 13 गांव ऐसे हैं जिनकी भूमि बिल्कुल बंजर होने जा रही है । वहां के लोगों की खरीफ की फसल खराब हो गई और रबी की फसल लग नहीं पाई । मैं रोहतक के एक गांव 'सुंडाना' का उदाहरण देना चाहूंगी । उस गांव में रबी की फसल की बिजाई नहीं की जा सकी है । (विघ्न) इसके साथ–साथ हरियाणा प्रदेश के अन्दर इतनी

जबरदस्त ओलावृष्टि हुई कि हमारे तोशाम हल्के के गांवों क्रमशः बीरण, ढाणी बीरण, कोहाड़ ढाणी माहू, जूई बीचली, जूई खुर्द, आजाद नगर, खैरपुरा तथा बाढ़ड़ा हल्के के गांव ढाणी सूरजा, आर्य नगर, काकड़ोली हुक्मी, ढाढम, गोपी और कारी रूपा में फसलों का बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है। इसके बारे में जब डी.सी. साहब से बात की कि आप फसलों के नुकसान की गिरदावरी के आदेश दें तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि इस तरह की आपदा के कारण किसान ऐसी हालत में हैं कि उनके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है और वे खुदकुशी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब किसान को लोन दिया जाता है तो संबंधित किसान से बैंकों वाले ब्लैंक चैक पर ही साईन करवा लेते हैं और जब ब्लैंक चैक बाउंस हो जाता है तो संबंधित किसानों के ऊपर क्रिमिनल केस बनाकर जेल में डाल देते हैं। इसलिए बैंक ऑफिशियल के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, यह बात सही है और मेरे पास इंडियन एक्सप्रैस अखबार की रिपोर्ट है। मैं यह रिपोर्ट लेकर आयी हूं और तथ्यों के ऊपर ही बोलती हूं। इसलिए सच्चाई यह है कि किसान पूरी तरह से हर तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसके अतिरिक्त खेतों में कई महीनों तक पानी खड़ा रह जाता है जिसके कारण किसानों की 2–2 फसलें खराब हो जाती हैं और आगे आने वाले समय में भी वह अपनी फसल नहीं ले पाता है। सरकार की तरफ से मुआवजा देने की बात नहीं की जाती है जिसके कारण किसान बिल्कुल मरने की कगार पर आ गया है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि ओलावृष्टि से जो किसान प्रभावित हुए हैं उनकी गिरदावरी जल्दी से जल्दी कब तक करवाएंगे और फसल का मुआवजा दिया जाएगा या नहीं ? इसके साथ 13 गांव झज्जर, रोहतक, बाढ़ड़ा के गांवों के अलावा जो दूसरे गांव हैं, जहां पर जल की निकासी हुई ही नहीं हुई है और अभी माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि किसानों ने अपने पैसों से ट्रैक्टर लगाकर पानी की निकासी की है जिसमें किसानों के हजारों रुपये खर्च हो गये हैं। किसानों को पहले कहा गया कि वे ट्रैक्टर लगाकर पानी की निकासी कर लें और उन्होंने ट्रैक्टर लगाकर पानी निकालने की कोशिश की परन्तु जब संबंधित किसान पैसे मांगने गये तो विभाग कहता है कि हम पैसे नहीं देंगे। इसलिए क्या आप डी.सीज. को आदेश देंगे या नहीं कि जिन किसानों ने पानी की निकासी अपने आप की है, उन किसानों को पैसे दिये जाएं ? तीसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या बैंक के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं ? चौथा सवाल पूछना

चाहूंगी कि किसानों को कम्पनसेशन सरकार देगी, बीमा कम्पनीज देंगी या और कौन देगा? इसके अतिरिक्त यह बिल्कुल सही बात है कि सफेद मक्खी के प्रकोप से कॉटन की फसलें खराब हुई थी परन्तु उस फसल का भी पूरा मुआवजा किसान के पास नहीं आया है। किसानों को एम.एस.पी. पूरी तरह से नहीं मिलता है क्योंकि जब वह फसल बेचने के लिए जाता है तो औने–पौने दामों पर अपनी फसल बेचकर आता है। हमने देखा है कि किसान का क्या हाल हुआ है ? पिछली बार सरसों की फसल के ऊपर क्या हाल हुआ ? इसलिए ये सारी की ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमें संज्ञान लेना बहुत जरूरी है और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ दिन पहले सिवानी में एक किसान ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी कुर्की निकाल दी। कुर्की निकालने के बाद उसे जेल में डाल दिया। जेल में जाने के कारण संबंधित किसान ने स्वयं को बेइज्जत महसूस किया और खुदकुशी कर ली। इसके बाद सरकार की तरफ से सारे अधिकारीगण संबंधित किसान के घर गये और मेरे ख्याल से मंत्रीगण भी वहां पर गये थे उन्होंने वहां जाकर कहा कि हम पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देंगे परन्तु आज तक उस किसान के परिवार को एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्षः किरण जी, किसानों की समस्या तो जल भराव की है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, इसी तरह से 50 ऐसे किसान और भी है जिनका लोहारू में बड़ा इश्तिहार निकालकर नाम के साथ उनकी फोटो भी दी हुई है और उसमें यह भी कहा गया है कि ये डिफॉल्टर्ज हैं और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे धरती पुत्र, अन्न दाता की इतनी बेइज्जती होगी तो हमारे प्रदेश में आखिर रह क्या जाएगा ?

श्री अध्यक्षः मैडम, आपका विषय तो जल भराव का था ?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक आखिरी सवाल यह पूछना चाहती हूं कि जब–जब बारिश आती है तो उसका पानी खेतों में ठहर जाता है और उसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। उसके बाद सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजे देने की बात कही जाती है, लेकिन उन किसानों को कुछ भी नहीं मिलता है। किसान बेचारा सिर्फ हाय–हाय, त्राहि–त्राहि करके रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि ऐसी जगहों पर जैसे दादरी में, जहां पर इस तरह से किसानों की फसल बर्बाद होती है। क्या मंत्री जी वहां पर आने वाले समय में ऐसा कोई प्रॉविजन या ड्रेनेज निर्माण का कोई प्रावधान करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, हर साल यह बात होती आ रही है कि सरकार किसानों को मुआवजा देगी, लेकिन उसे मिलता कुछ भी नहीं है और उसके कारण किसान मर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उन किसानों को इससे निजात मिलेगी या नहीं ? मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहती हूं कि ये मुझे यह आश्वासन दें कि ये उन जगहों पर ड्रेन बनाएंगे। अगर माननीय मंत्री जी को उस ड्रेन की रूप–रेखा पूरी तरह से समझ में नहीं आती हो तो हम इन्हें उसकी रूप–रेखा बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगी कि ये वहां पर एक ड्रेनेज का प्रावधान करें ताकि ये सारा का सारा पानी उस ड्रेन के माध्यम से ऐसी जगहों पर पहुंचाया जाए जहां पर पानी का अभाव है। यहां पर हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि सच्चाई यह है कि हमारा दक्षिण हरियाणा का किसान कहीं पर जल भराव के कारण, कहीं ओला–वृष्टि के कारण, कहीं पर मुआवजा न मिलने कारण और कहीं पर उसके खेत में पानी के अभाव के कारण मर रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसानों के खेत में पानी नहीं है और सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हम टेल तक पानी लेकर पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि एक जगह पर पानी बंद कर दिया जाता है और दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह पर पानी बंद कर दिया जाता है और एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, इस तरह से टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से हमारे किसानों को पानी दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रदेश के किसानों के साथ कैसा छलावा हो रहा है ? अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. की बात तो राजनीति के सिरे चढ़ा दी गई है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक डिमांड करना चाहती हूं कि हमारा जो भाखड़ा का पानी है, उसका समान बंटवारा कर दिया जाए, ताकि आज जिन इलाकों में पानी का अभाव है, उन इलाकों को पानी मिल सके, जिससे वहां के किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं कि मंत्री जी मेरे इन चारों प्रश्नों का जवाब दे दें ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बहन जी ने अन्न–दाता की व्यथा–कथा को बड़ी ही वेदना के साथ यहां पर प्रस्तुत किया है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि अब इनको कम–से–कम अन्न–दाता की पीड़ा भी समझ में आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि 26 अक्टूबर, 2014 से पहले जो वर्ष 2010 में हेल–स्टॉर्म हुआ

था, वर्ष 2014 में ड्रॉट आया था, वर्ष 2013–14 में जो पेस्ट–अटैक हुआ था और वर्ष 2013 में जो खरीफ का ड्रॉट हुआ था, उसका इनकी सरकार 268.93 करोड़ रुपये का पुराना मुआवजा बकाया छोड़कर चली गई थी, क्या उस समय इनको अन्न–दाता की व्यथा–कथा ध्यान में नहीं आ रही थी ? अध्यक्ष महोदय, वह 268.93 करोड़ रुपए हमने पे किया था। अध्यक्ष महोदय, जब 10 साल इनकी सरकार रही, उस समय इन्होंने प्राकृतिक कारणों से फसलों का जो नुकसान हुआ था, उसका मुआवजा औसत 80 करोड़ रुपए सालाना दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने औसत लगभग हजार करोड़ रुपए सालाना देने का काम किया है। (इस समय मेजें थप–थपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि माननीय सदस्या किस मुंह से किसानों की व्यथा–कथा इस प्रकार से बोलती हैं। किसान की जमीन की तरफ तो इनकी नजरें ही किसी दूसरी प्रकार की हुआ करती थीं। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हुए हैं, मैं इन्हें केवल इतना ही याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी सरकार में केवल 35 से 40 करोड़ रुपए सालाना मुआवजा देने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, यह 15 साल पुरानी बात है और उस हिसाब से वह मुआवजा आज 100 करोड़, 125 करोड़ या 150 करोड़ हो सकता था, लेकिन हमारी सरकार ने औसत लगभग हजार करोड़ रुपए सालाना मुआवजा देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही कोई बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं भी खड़ी हूं, मुझे भी बोलने का समय दिया जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैडम, आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा। ललित नागर जी, आप अपनी बात रखें।

श्री ललित नागरः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह वास्तव में ही एक गंभीर विषय है। हमारे हरियाणा प्रदेश का लगभग 70 से 80 परसैंट किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यह एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। अगर इससे संबंधित कोई विषय इस सदन में आता है तो यह वास्तव में सभी माननीय सदस्यों के लिए एक गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि बारिश के कारण और सेम के कारण हमारे प्रदेश के कई जिलों के अंदर पानी भरा है और कई जगहों पर नहर और नाले टूटने की वजह से भी पानी भरा हुआ है और ऐसा नहीं है केवल फसल

ही खराब हुई हो बल्कि कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि किसानों ने अपनी फसल बोई और उस फसल में पानी भर गया । अध्यक्ष महोदय, एक तो पहले ही फसल बर्बाद हो गई और उस फसल में जितना भी किसानों का खर्च हुआ वो सारे का सारा खर्च बेकार ही चला गया । किसान को उम्मीद थी कि हमें फसल की लागत का 70–80 हजार या 1 लाख रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा मिलेगा । एक तो किसान को फसल खराब होने का नुकसान उठाना पड़ा । दूसरा जो किसान की आने वाली फसल थी उसमें भी उसको नुकसान उठाना पड़ा । अध्यक्ष महोदय, कहीं–कहीं फसलों में इतना पानी भर गया था कि समय पर दोनों फसलों की बुआई नहीं हो पाई थी । अध्यक्ष महोदय, सदन में जो मुआवजे की बात की जा रही है । मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि पहले तो किसानों की जो दो फसलें बर्बाद हो गईं हैं और इसके साथ ही किसानों ने उन फसलों पर जो खर्चा किया है। मैं समझता हूं कि किसान को उन दोनों फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर पानी की समस्या नहीं है, वहां पर तो पानी न आने की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है । इस बारे में भी कई बार सुनने को मिला है कि नहरों से हरेक टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहगा कि हमारे क्षेत्र में कभी भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा है । वहां पर नहरों की सफाई नहीं होती है, नालों की सफाई नहीं होती है और आज भी वहां पर बहुत बुरा हाल है । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर पिछले कुछ महीनों में ओलावृष्टि और बारिश से बहुत सारी फसलों का नुकसान हुआ है, उनमें से ज्यादातर धान की फसल का अधिक नुकसान हुआ है । सरकार की तरफ से केवल यही कहा गया कि हम गिरदावरी करवा देंगे, लेकिन वहां पर आज तक कोई गिरदावरी नहीं हो पाई है । अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद में भी जहां–जहां जिस–जिस क्षेत्र में बारिश और ओले से नुकसान हुआ है, वहां पर भी अब तक कोई गिरदावरी नहीं की गई और न ही किसानों को मुआवजा दिया गया है । अतः आपसे मेरा निवेदन है कि किसानों को समय पर उचित मुआवजा दिया जाये और ये भी बताने का कष्ट करें कि उन किसानों को कब तक मुआवजा दे देंगे और किस रूप में देंगे? ये दो–तीन बातें जरूर बताने का कष्ट करें । अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसानों का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज भी नहीं है और जिन किसानों का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज हैं, उन किसानों को तो

मुआवजा दे दिया जाता है और मुआवजे का रेट भी तय हो जाता है । पट्टेदारों या मजदूर लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं होती है । जिन किसानों के पास जमीन होती है उन किसानों से पट्टेदार/मजदूर ठेके पर जमीन ले लेते हैं। जिन जमीनों की कीमत 30–40 हजार प्रति एकड़ के करीब होती है लेकिन उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है । अध्यक्ष महोदय, किसानों को जो मुआवजा मिलता है वह मुआवजा तो किसानों को मिल जाता है या मिलता नहीं है। इस प्रकार से उन मजदूरों का ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जो खेती में काम करते हैं । मेरा सरकार से आग्रह है कि उन मजदूरों के लिए भी स्पैशल मुआवजे का प्रबंध करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उन पट्टेदारों/मजदूरों को भी मुआवजा मिलना चाहिए । आप उन मजदूरों को कब तक मुआवजा दे देंगे इस विषय में भी जरूर बतायें ? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे वित्त मंत्री का ध्यान उन गरीब मजदूरों की तरफ गया तो सही । हमें ऐसा नहीं लगता है कि हरियाणा सरकार किसानों के प्रति गंभीर है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के आज लगभग पांच वर्ष पूरे होने वाले हैं और आज भी मुआवजा लेट लतीफ ही मिलता है या मिलता ही नहीं है । यहां केवल कहने से काम नहीं चलेगा । यहां सदन में बैठकर के मेजें थपथपाने से भी काम नहीं चलेगा । अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमें भी देखने और सुनने को मिला कि कृषि मंत्री जी ने किसानों को मुआवजा इतना बांट दिया था कि किसान बहुत ज्यादा खुश हो गये थे और किसानों की खुशी देखकर के कृषि मंत्री जी कहने लगे कि आज उनका मन नाचने का हो रहा है । आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब नाचने का मन हो रहा है तो क्या कारण है कि गांव खुड्डन जिला झज्जर में किसान ने आत्महत्या कर ली । जब वहां पर मंत्री जी गये तो मंत्री जी को काले झण्डे दिखाये गये और बैनर लगाये गये और बैनर के माध्यम से संदेश दिया गया कि आप इस गांव में नहीं आ सकते हो, इसका भी जवाब मंत्री जी दें । अध्यक्ष महोदय, आज इनसे किसान कितना खुश है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो । अध्यक्ष महोदय, गांवों में जहां इनके खिलाफ इस तरह के पोस्टर छाप दिये जाते हैं और कह दिया जाता है कि भाजपा के नेताओं की इंट्री बंद है । अध्यक्ष महोदय, इनको आने वाले समय में इस बात का अंदाजा हो जायेगा कि इनसे किसान कितना खुश है । यहां बैठकर के विधानसभा में मेज थपथपाने या ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है । स्पीकर सर, यहां पर जो लोग खुश हो रहे

16:00 बजे

हैं मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि अब आम चुनाव आने में ज्यादा दिन नहीं रह गए है क्योंकि अब सालों की नहीं कुछ महीनों की ही बात रह गई है इनको हकीकत का पता चल जायेगा कि वास्तव में ये कहां पर खड़े हुए हैं? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ललित नागर जी, आपको तो जल भराव की समस्या से सम्बंधित प्रश्न पूछना था लेकिन आप तो विषय से ही दूर चले गये हैं। कृप्या आप प्रश्न पूछें।

श्री ललित नागर : स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी दोनों से यह निवेदन करना चाहंगा कि ये यहां पर यह बात स्पष्ट करें कि ये सेम की समस्या से प्रभावित किसानों को कितना–कितना मुआवज़ा देंगे और यह मुआवज़ा कब तक दिया जायेगा अर्थात् मुआवज़ा देने की समय–सीमा भी निर्धारित की जाये। इसके साथ ही साथ मेरी यह भी रिकवैस्ट है कि प्रभावित किसानों को यह मुआवज़ा जल्दी से जल्दी दिया जाये ताकि उनको इस समस्या से जल्दी से जल्दी राहत मिल सके और उनका आगे काम भी चल सके। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी की नव–निर्वाचित सरकारों ने किसानों के कर्ज़ माफ कर दिये हैं इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे भी हरियाणा प्रदेश के किसानों के कर्ज़ को माफ करने की तरफ कोई कारगर कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे इस सवाल का भी जवाब दें। अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, अब मैं आपको बोलने के लिए समय देता हूं आप जल्दी से जल्दी अपनी बात रखें।

श्री केहर सिंह रावत : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के हथीन के जीता खेड़ली, कानौली, सारौली, मंडकौला, मंडनाका, यीवड़, अकबरपुर, नाटौल, बिघावली, मठेपुर, छांयसा, हूजपुरी, महलूका, रनसीका इत्यादि 17 गांव ऐसे हैं जहां पर सेम की समस्या ने बहुत ही भयंकर रूप धारण किया हुआ है। इसी प्रकार से साथ लगते नूंह हल्के में भी ऐसे ही हालात हैं। नवम्बर, 2014 से विधान सभा के प्रत्येक सत्र में मैंने सेम की समस्या को दूर करने के लिए आवाज़ उठाई है। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए एक बार सात दिन और दूसरी बार 21 दिन की भूख हड़ताल की। इसके उपरांत वहां पर सम्बंधित अधिकारी पहुंचे और उन्होंने मुझे 90 दिन के

अंदर–अंदर इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था। आज तक वे किसान जो पिछले 15 साल से लगातार सेम की समस्या से जूझ रहे हैं हज़ारों परिवार और उनकी हज़ारों एकड़ जमीन सेम की समस्या से प्रभावित है लेकिन आज तक उनकी उस समस्या के समाधान के लिए सरकार के स्तर पर कोई भी योजना नहीं बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी नूंह गए थे। पिछली सरकार ने दुबालू माईनर को इस प्रकार की डिजाइनिंग करके बनाया था कि वह शुरू में माईनर है, बीच में वह ड्रेन है और बाद में वह फिर से माइनर है। यह बात भी बार–बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई गई है लेकिन आज तक उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। इस माईनर के कारण ही वहां की 2000 एकड़ जमीन ऐसी है जहां पर सेम की समस्या है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस सेम की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाये और सेम की समस्या से ग्रस्त किसानों की जमीनों की स्पैशल गिरदावरी करवाई जाये और उनको 25,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाये। धन्यवाद।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, आज का यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी की रोजी–रोटी इससे जुड़ी हुई है। पानी की निकासी और पानी का भराव दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत की बात इस मामले में यह है कि इन समस्याओं के बारे में सही समय पर कारगर कदम नहीं उठाये जाते है और न ही इन समस्याओं की तरफ कोई विशेष ध्यान ही दिया जाता है। जब बारिश का मौसम सिर पर आ जाता है उस समय ही ड्रेनेज की सफाई के लिए टैण्डर इन्वाईट किये जाते हैं। विधान सभा की सब्जैक्ट कमेटी ऑन पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग, इरीगेशन एण्ड पॉवर है, श्री सुभाष बराला जी उसके चेयरपर्सन है। मैं भी इस कमेटी का मैम्बर हूं। मैंने महम हल्के की ड्रेनेज की सफाई के बारे में क्वैश्चन कमेटी की मीटिंग में रखा था। वहां की ड्रेनेज की साइट विजिट करने के लिए विभाग के चीफ इंजीनियर वहां पर गये थे। मीटिंग में जो ऑफिसर आये उन्होंने यह कहा कि हमने महम हल्के की सभी ड्रेनेज की सफाई करवा रखी है लेकिन जब मौके पर जाकर देखा गया तो सारी की सारी ड्रेनेज अनावश्यक घास–फूंस और कचरे से भरी पड़ी थी। जो अधिकारी इस प्रकार की गलत इनफर्मेशन देते हैं उनके खिलाफ अविलम्ब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है। अभी यहां पर कहा गया है कि जनवरी में ही फ्लड कंट्रोल की

मीटिंग बुलाकर इस समस्या का समाधान किया जायेगा लेकिन अब तक का जो प्रोसैस रहा है वह यह है कि ड्रेनेज की सफाई के लिए मई में टैण्डर इनवाईट किये जाते हैं, जून में जाकर उन टैण्डर्ज़ को खोला जाता है और जब तक यह सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण होती है तब तक बरसात आ जाती है। इस प्रकार से इस मद से जुड़ा सारे का सारा पैसा फ्रॉड में जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात से बनती है। अब की बार जो महम हल्के के अंदर फ्लड आया उसका ये एक सबसे बड़ा कारण है। पहली बात तो ड्रैनेज की सफाई नहीं हुई और दूसरी बात यह हुई कि बारिश होने के बाद नहर का पानी ड्रेन में छोड़ दिया गया। इससे महम हल्के के कई गांवों में पानी भर गया। इतना ही नहीं मेरे हल्के के दो तीन गांवों में आज भी पानी भरा खड़ा है। इनमें मुख्यमंत्री जी का खुद का गांव निंदाना भी है। निंदाना गांव की सैंकड़ों एकड़ जमीन आज भी ऐसी है जिसमें किसान की साढू (रबी) की फसल की बुआई नहीं हो सकती लेकिन इस ओर अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। अगर सरकार ने इस बाबत कोई कार्यवाही की है तो उसके बारे में यहां पर बताया जाये। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी का खुद का गांव जिस गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन्म लिया है, जिसकी मिट्टी में वे खेले हैं और बड़े हुए हैं उसकी सेम की समस्या की तरफ भी अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यह सब तो तब है जब उस गांव को तो मॉडल गांव बनाने के लिए गोद भी लिया हुआ है। हमारी सरकार के समय में मॉडल गांव तो निंदाना गांव को बना दिया था। हमारे तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभु जी और मुख्यमंत्री जी वहां पर हमारी पी.एच.सी. का उद्घाटन भी करके आये थे। इतना ही नहीं उस गांव के लिए और भी बड़ी–बड़ी घोषणायें करके आये थे लेकिन उस समय जो भी बातें जबान से कही गई थीं, वे आज भी सारी की सारी यूं की यूं ही खड़ी हैं और किसी पर भी अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन सरकार के द्वारा किया गया है उसका निर्माण हमारी सरकार के समय शुरू हो गया था। इसी प्रकार से हमने जो स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी उसका उद्घाटन सरकार के द्वारा कर दिया गया। हमारे गांवों में सरकार की तरफ से केवल दो गेट बनवाये गये हैं और विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्षः दांगी साहब, आप जल भराव के विषय पर ही बोलिये।

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। आज के दिन सबसे जरूरी बात यह है कि ड्रेन्ज की सफाई समय पर होनी चाहिए ताकि किसान

की फसल का नुकसान न हो। उसके लिए सबसे उपयुक्त समय अभी है। इस समय सर्वे किया जाना चाहिए कि कहां से ड्रेन निकालने की जरूरत है क्योंकि इस समय पानी के फ्लो और लेवल का पता चल जायेगा। किसान अपने आप में एक इंजीनियर से कम नहीं है। शायद हमारे इंजीनियर वह काम न कर सकें जो काम किसान स्वयं कर सकते हैं। किसान हर समय अपने खेत में रहता है और उसको पता है कि कहां से ड्रेन निकलने से खेत का पानी निकल सकता है और कहां से नालियां निकालने से पानी का फ्लो अच्छा रहेगा इसलिए अब समय है जब यह काम हो सकता है। इसी प्रकार से जहां पर जल भराव के कारण रबी की फसल की बिजाई नहीं हो सकी है उसमें किसान की कोई गलती नहीं है। यह तो कुदरत का कहर है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिन किसानों के खेतों में जल भराव के कारण बिजाई नहीं हो सकी है उनको मुआवजा दिया जाये। किसानों को हुये नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महम में पिछले साल गेहूं की लगभग 100 एकड़ फसल जल गई थी जिसके मुआवजे के बारे में उस समय माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था लेकिन आज गेहूं की दूसरी फसल की बिजाई हो चुकी है तथा फसल बढ़ रही है लेकिन किसानों को उनकी जली हुई गेहूं की फसल का मुआवजा आज तक नहीं मिला है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उन किसानों को उनकी जली हुई गेहूं की फसल का मुआवजा प्रदान किया जाये। इसी प्रकार से जल भराव के कारण जिन गांवों में रबी की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है उनमें माननीय मुख्य मंत्री जी का गांव निन्दाणा, बलम्भा, मोखरा, भगवतीपुर, फरमाणा तथा गिरावड़ गांव शामिल हैं। इन गांवों की बहुत सी जमीन पर जल भराव के कारण बिजाई नहीं हो सकी है इसलिए वहां पर ध्यान देकर इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाये तथा किसानों को बिजाई न होने के कारण मुआवजा दिया जाये। इसके साथ ही साथ आने वाले समय के लिए ड्रेन्ज का सिस्टम ठीक किया जाये।

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जहां तक जल भराव की बात है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 गांव हैं और 40 गांवों में से 35 गांवों में आज भी पानी खड़ा हुआ है जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव बनियानी भी है। जो भी पानी

खेतों से निकला है वह किसानों ने अपने खर्चे पर निकाला है। खेतों से पानी न निकलने के कारण आज किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं और उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। आज किसानों के खेतों में से पानी नहीं निकल रहा है जिसके कारण वे रबी की फसल की बिजाई भी नहीं कर पा रहे हैं और किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र से किसानों के मेरे पास फोन आये थे और उन्होंने कहा था कि बहन जी आप विधान सभा में हमारी बात उठाना। मैंने उनको कहा था कि भाई मैं तो आवाज उठाती हूं लेकिन सरकार को हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों के खेतों में खड़ा हुआ पानी कब तक निकाल दिया जायेगा तथा जिन खेतों में फसल की बिजाई नहीं हो सकी उनका मुआवजा कितना और कब तक दे दिया जायेगा? ऐसा न हो कि यहां विधान सभा में आश्वासन दे दिया जाये और एक साल तक किसानों को मुआवजा न दिया जाये इसलिए इसकी समय–सीमा निश्चित होनी चाहिए। आज किसान सरकार की बेरुखी से नाराज हैं और वे इस इंतजार में हैं कि कब 2019 का विधान सभा चुनाव हो और वे सरकार के खिलाफ वोट करके इस सरकार को बदलें।

श्री अध्यक्षः शकुन्तला जी, आप जल भराव के विषय पर बात करें चुनाव पर नहीं।

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वहां पर 24 घंटे बिजली नहीं दी गई है। इसके लिए मैंने जबरदस्ती बिजली के खम्बे गड़वाये और संघर्ष किया तब 24 घंटे बिजली आई थी। उसके लिए किसान ट्रैक्टरों में भरकर आये और उन्होंने उपायुक्त के पास धरने दिये तथा मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाई तब जा कर 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हुई है।

श्री अध्यक्षः बहन जी, आप भी तो जन प्रतिनिधि हैं इसलिए आपका भी फर्ज बनता है। अब तो 24 घंटे बिजली मिल रही है।

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, वहां सरकार की तरफ से बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। आज सरकार से हर वर्ग परेशान है । जैसे कहते हैं कि माटी तीन प्रकार की होती है । एक बिरान माटी, एक खराब माटी और एक रे–रे माटी इन्होंने तो किसान की रे–रे माटी कर रखी है । धन्यवाद ।

श्री ओम प्रकाश बरवा : स्पीकर सर, हमारे हल्का लोहारू के सिवानी ब्लॉक में आम गलियों में चौक पर बैंक के अधिकारियों की तरफ से बहुत से किसानों की बाकायदा फोटो चौक पर लगाई गई हैं और नीचे यह लिखा गया है कि ये किसान बैंक से डिफाल्टर हैं । इसलिए इन किसानों के साथ किसी तरह का कोई सम्पर्क न रखा जाए । ऐसा लिखकर उन किसानों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया है । नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग हजारों करोड़ रुपये खाकर बाहर चले जाते हैं और वह ऐशो–आराम से रहते हैं । सिवानी ब्लॉक जो हमेशा सूखे से पीड़ित रहता है । उस ब्लॉक के किसानों द्वारा मजबूरीवश कर्ज न चुका पाने के कारण चौक पर उनकी फोटो लगाई जाती है । इसी के साथ लोहारू हल्के के चेड़कला गांव के एक किसान को जेल में डाला गया है क्योंकि उसने बैंक का कर्ज समय पर नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष : बरवा जी, आपका विषय जल भराव का था और यह विषय आपने ही रखा था तथा अब आप ही किसी दूसरे विषय पर बोल रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश बरवा : स्पीकर सर, फिर उस किसान की मौत हो गई थी । उसमें प्रशासन ने बहुत सी बातों को मंजूर किया है लेकिन उनमें से अभी तक एक भी बात को नहीं माना गया है । चाहे उसकी कर्ज माफी की बात हो या कोई और दूसरी बात थी । अभी तक उसकी एक बात को भी नहीं माना गया है । इसी के साथ मेरे हल्के के बहुत से गांवों में किसानों को बीमा कम्पनी ने वर्ष 2017 की सावनी फसल नरमा का क्लेम अभी तक नहीं दिया है । आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उस बात का पता लगाकर किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए । धन्यवाद ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, आप हमारी पार्टी के किसी सदस्य को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, मैंने आपकी पार्टी के काफी लोगों को बुलवा दिया है । जिनका नाम भी नहीं था मैंने तब भी आपके सदस्यों को बुलवाया है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं । आज यहां वाटर लोगिंग की बहुत सारी बातें हुई हैं । वास्तव में यह प्रॉब्लम है और जिससे किसान बर्बाद हो रहा है । मैं यह नहीं कहता कि किस समय किस पार्टी की सरकार रही किस समय किस पार्टी की सरकार रही है । मैं

कहता हूं कि यह वाटर लोगिंग की प्रॉब्लम आई क्यों? अगर हम वाटर लौगिंग की बैकग्राउंड में जाएंगे तो पोलिटिकल में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्होनेस्टी है वह इसकी बैकग्राउंड में है । पहले तो सारा का सारा पानी लीगली–इल्लीगली अपने–अपने इलाके में ले जाने की होड़ लगी रहती है । जिससे अब किसानों की फसल पानी की मार से बर्बाद हो गई है । हम 40 साल से कह रहे हैं कि थोड़ा सा पानी हमारे इलाके को भी दे दीजिये हमारे इलाके के किसानों को भी पानी मिल जाएगा । हमारा सारा इलाका सूखे के कारण बर्बाद हो रहा है । (विघ्न) अब इनके इलाके में पानी ज्यादा हो गया है । अब बात यह है कि अपना किया हुआ भुगतना तो पड़ेगा ही । (विघ्न) अब इनको पानी से तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए । धन्यवाद ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अभय सिंह जी को यह कह रही हूं कि आपकी सरकार ही एस.वाई.एल. नहर के पानी को नहीं आने दे रही है । इसलिए आप रिजाइन कीजिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठिये । कोई सीमा तो रहनी चाहिए । मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया है और आपकी पार्टी के चार सदस्य और भी बुलवा दिये हैं । अब फिर आप खड़ी हो रही हैं । यह कोई बात नहीं हुई इसलिए प्लीज आप बैठिये ।(शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, हमारे कुछ विपक्ष के साथियों के मन में टैंशन तो कुछ और है लेकिन वे बहाना बनाकर हमारी सरकार के उपर आक्षेप लगाकर अपनी टैंशन मिटाना चाहते हैं। जैसाकि अभी सदन में चर्चा जल भराव के विषय पर की जा रही थी लेकिन उस चर्चा के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत की बात जोड़ दी गई। अब जबकि बात शुरू कर ही दी गई है तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी लेकिन बावजूद इसके अबकी बार भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच महज 4 सीटों का ही अंतर रहा है। कांग्रेस पार्टी जीत भले ही गई लेकिन वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ही बढ़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, बात जलभराव की समस्या की हो रही है और मंत्री जी मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीगढ़ के चुनावों की बात करने लग गए है। यह ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, सदन में चर्चा तो जलभराव के विषय पर ही हो रही थी लेकिन आप लोगों ने ही तो जलभराव के विषय से हटकर मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के चुनावों की बात जोड़ दी थी और यही कारण है कि मंत्री जी को मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ के चुनावों के विषय में बात कहनी पड़ रही है।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे साथी जलभराव की समस्या के साथ कभी नीरव मोदी के विषय को जोड़कर बात करने लग जाते हैं तो कभी एस.वाई.एल. नहर के विषय को जोड़कर बात करने लग जाते हैं। बहन शकुंतला खटक कलानौर के 30 गावों की समस्या को लेकर वैल तक पहुंच जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहन शकुंतला खटक जी को बताना चाहूंगा कि उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बेशक हम तीन प्रांतों में चुनाव हारे हैं परन्तु हम हिम्मत नहीं हारे हैं और इसका साक्षात उदाहरण सबके सामने है। हमने हरियाणा प्रदेश में पांच नगर निगम चुनावों में जीत हासिल करके पराजय का मुंह, जीत की तरफ मोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, इन चुनावों में भी सभी पार्टियां हमारे खिलाफ मिलकर आई और इस प्रकार यह चुनाव बी.जे.पी. वर्सेज आल हुआ। (शोर एवं व्यवधान) मेरे सामने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बैठे हुए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम न मुंह छिपा के जीये, न नज़र झुका के जीये भारतीय जनता पार्टी ने कमल के सिंबल पर नगर निगम का चुनाव लड़ा, जिनमें 18 विधान सभा क्षेत्र शामिल थे। हमारे भाई असीम गोयल ने तथा विधान सभा के दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो नारा लगाया है कि पांच नगरों की सरदारी है, अगले चुनावों की तैयारी है, इसे विपक्ष के हमारे साथियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। **(इस समय मेजें थपथपाई गई।)**

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो सदन में भाषण दे रहे हैं। वास्तव में इनको माननीय सदस्या श्रीमती शकुंतला खटक जी ने जो समस्या उठाई है, उसका जवाब देना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आपकी पार्टी के सदस्यों की तरफ से ही मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत की बात कही गई थी। शकुंतला खटक जी ने जलभराव की समस्या को मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ अर्थात तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के साथ जोड़ दिया और कहा कि हम तीन राज्यों में चुनाव जीते हैं। इस बात का जवाब तो देना ही था? जहां

तक बात जलभराव की समस्या की है, तो इसका जवाब अब संबंधित मंत्री देंगे। शकुंतला जी ने जो विषय से हटकर बात की उसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री ने दिया। (शोर एवं व्यवधान) अतः कुलदीप जी आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को चलने दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः स्पीकर सर, मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं, आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, प्लीज आप बैठिए।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह चुनाव जीते हैं, उसके बारे में सभी को मालूम है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बलवान जी, आप एक बार फिर से अपनी कैसेट सुन लेना आपको भी मालूम हो जायेगा कि चुनाव कैसे जीते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ढुल साहब बैठिए। माननीय मंत्री जी अपना जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं उन्हें अपना जवाब देने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से सदन का समय खराब होता है। अब मेरी इजाजत के बिना जो कोई भी बोलेगा उनकी किसी भी बात को रिकॉर्ड नहीं किया जायेगा।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का आनन्द है कि मेरे सदस्यों ने बहुत ही करुणा व संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है। आज मैं अगर परमेन्द्र ढुल जी की तथा किरण चौधरी जी की संवेदनशीलता व भावुकता को देखूं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि इनको सरकार पर पूरा भरोसा है क्योंकि आदमी अपने इमोशंज वहीं व्यक्त करता हैं जहां पर इमोशंज व्यक्त करने की जगह होती है वरना अनयत्र कहीं आदमी अपने इमोशंज को व्यक्त नहीं कर पाता। मैं बहन खटक की तकलीफ को समझ सकता हूँ। कलानौर हल्के का बहुत बड़ा हिस्सा रोहतक नगर निगम में आ गया है और अब यहां पर मेयर बनने लग गया है। इस तरह से अब इनकी रे–रे माटी होनी ही होनी है और वे अब बच नहीं सकती। इनका दर्द जायज है और में इनके दर्द को जायज मानता भी हूँ क्योंकि इनकी विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा इलाका रोहतक नगर निगम में शामिल हो गया है इसलिए अब इनको नींद नहीं आती। स्पीकर सर, माननीय

सदन के नेता ने सेम की समस्या से मुद्दा शुरू किया। यह सही बात है कि हरियाणा की 10 परसैंट भूमि सेम की समस्या से प्रभावित है और जितने बड़े पैमाने पर पिछले 15 वर्षों में चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी की सरकार रही हो, जितने बड़े स्टैप्स इस समस्या को दूर करने के लिए उठाए जाने चाहिए थे और जिस तेजी के साथ इस समस्या को दूर करने के लिए काम करना चाहिए था, उतना काम इस समस्या को दूर करने के लिए नहीं किया गया, जिसका यह नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के काफी इलाकों में यह दिक्कत अभी भी बनी हुई है। स्पीकर सर, अब तक हर साल मात्र 5–7 हजार एकड़ क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने की दिशा में कार्य किया जाता रहा है लेकिन अब हम हर साल 50–60 हजार एकड़ जमीन पर सेम की समस्या को दूर करने के लिए प्लान कर रहे हैं। इस दिशा में हमारा डिपार्टमैंट प्लानिंग कर रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि तेजी के साथ हरियाणा प्रदेश की सेम से प्रभावित भूमि का सुधार हो सके। जैसाकि अभी सदन में सेम की समस्या के संबंध में सरकार द्वारा की गई घोषणा की बात कही गई थी, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई घोषणा हमारी जानकारी में नहीं है अगर किसी सदस्य के पास इस घोषणा के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी या डाटा उपलब्ध है तो वह हमें बतायें तो निश्चित तौर से उस पर काम किया जायेगा और कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। वैसे सबको मालूम है कि सदन में जो भी आश्वासन दिए जाते हैं उन पर काम तो होता ही है। जहां तक श्री परमेन्द्र सिंह ढुल की बात है, ढुल साहब इस महान सदन का सर्वाधिक लाभ उठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य अपने हल्के के मुद्दे सदन में उठाते हैं, अच्छी बात है। माननीय सदस्य ढुल साहब कई बार स्वयं कहते हैं कि काम हुए हैं लेकिन 18 करोड़ रुपये के अन्य काम और नहरों के काम हुए हैं, शायद यह बात माननीय सदस्य आज सदन में मूड ठीक न होने की वजह से नहीं कह पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के द्वारा सदन में दिए गए आंकड़ों को ठीक करते हुए बताना चाहता हूँ कि 6218 एकड़ जमीन किसानों की खराब हुई है। जुलाना तहसील का डाटा जो मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार 2946 एकड़ पैडी की फसल का आंकड़ा है। 1119 एकड़ कपास की फसल का आंकड़ा है और अन्य फसल का भी आंकड़ा है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से माननीय सदस्य की पीड़ा स्वाभाविक है। पूरे जिला जीन्द की बात करूं तो उस नाते से यह आंकड़ा काफी

बड़ा है। अध्यक्ष महोदय, पूरे जिला जीन्द में 11523 एकड़ की फसल खराब हुई है। सरकार की सोच है कि नॉर्मल पम्प हाउसों को मॉडल पम्प हाउसों में बदला जाए। इसके लिए सरकार करेला पम्प हाउस की कैपेसिटी को 60 के.वी.ए. की जगह 120 के.वी.ए., लिजवाना पम्प हाउस की कैपेसिटी को 66 के.वी.ए. की जगह 110 के.वी.ए. और शामलो कलां पम्प हाउस की कैपेसिटी को 120 के.वी.ए. की जगह 220 के.वी.ए. तक बढ़ाने की योजना बना रही है और इसका बजट भी तैयार किया हुआ है ताकि आगे से इस तरह की कोई दिक्कत जुलाना हल्के में न आए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सरकार इन सभी सवालों पर एड्रैस कर रही है। अध्यक्ष महोदय, एक अन्य माननीय सदस्या बहन किरण चौधरी जी ने भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि अभी रबी की फसल के समय में ओलावृष्टि हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूँ कि ताजा ओलावृष्टि से रबी की फसल को जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी गिरदावरी करवायेगी और जैसे यह संवेदनशील सरकार पहले की तरह किसानों को मुआवजा देती आ रही है, उसी तरह मुआवजा देगी। अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्र की तरफ से भी माननीय सदस्यों ने पानी के संबंध में सवाल सदन में उठाए हैं। स्वाभाविक तौर पर हर बार इस प्रकार का मुद्दा सदन में माननीय सदस्यगण उठाते रहते हैं क्योंकि पानी वहां की मुख्य समस्या रही है। निश्चित तौर पर सरकार उस विषय पर भी एड्रैस कर रही है। सरकार ने पिछली दफा भी एक कमेटी में इस तरह के विषय को उठाया था कि किस तरह से मेवात आगरा कैनाल बने और एक पाइपलाइन इस तरफ से वहां तक जाए ताकि पानी वहां पर पहुँचाया जा सके। इस तरह के विषय पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। फसल बीमा योजना के भी दो–तीन विषय आए थे। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सिरसा के 77 गांवों और भिवानी के 20 गांवों में फसल बीमा योजना का निपटारा नहीं हुआ है। लेकिन मुझे सदन में यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक 229 करोड़ रुपये फसल बीमा का लाभ अकेले सिरसा जिले में खरीफ की फसल का मिला है जो देश के सभी जिलों में से सबसे ज्यादा है। हरियाणा में खरीफ की फसल का फसल बीमा 599 करोड़ रुपये अभी तक किसानों को मिला है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एक बड़ी राहत किसानों को फसल बीमा के माध्यम से मिलनी शुरू हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूँ कि 15 दिन के अंदर–अंदर सिरसा के बचे हुए 77 गांवों व भिवानी के बचे हुए 20 गांवों के फसल

बीमा मामलों का निपटारा कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पशुओं के संबंध में मुआवजे के लिए जो सवाल माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया था, वह वास्तव में सही है और मुआवजा मिलना चाहिए था। मुआवजा का प्रावधान बजट के किसी भी फंड में न होने की वजह से जरूर इस काम में देरी हुई है, इसलिए सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष में से पशुओं के लिए मुआवजा तुरंत ही देने जा रही है। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)**

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दादरी हल्के के कई गांवों में पानी भरा हुआ है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दादरी में रहा हूँ और उन गांवों में मेरी रिश्तेदारी भी है, इसलिए वहां की स्थिति से मैं भलीभांति परिचित हूँ। मुझे यह भी पता है कि आप अपने कांग्रेस राज में 10 साल मंत्री होते हुए भी न जाने किस वजह से काम नहीं करवा पाई जो आज बहन जी मुझे बताना चाहती हैं। (विघ्न) किरण जी, आप मुझे एक बार नक्शा बता दें कि पानी कैसे निकाला जा सकता है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए लगभग 5 साल होने वाले हैं, इसलिए अब इस तरह की बातें करना मंत्री जी छोड़ दें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने निश्चित रूप से जो पानी निकालने लायक था, उसे निकाला है और जो पानी सूखने लायक था केवल उसे ही छोड़ा है। (विघ्न)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मंत्री चौधरी बिरेन्द्र सिंह अभी 15 दिसम्बर, 2018 को निगाणा गांव गए थे तो रास्ते में पानी खड़ा था तो इस पर मंत्री जी बोले कि यदि पानी नहीं निकल रहा है तो आप लोग अधिकारियों से बात करें। अध्यक्ष महोदय, वहां पर अभी भी पानी खड़ा है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई जानकारी है तो वह हमें दे दें । हम वहां से उस पानी को निकलवा देंगे । (विघ्न)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी जानकारी है और मैं उसे माननीय मंत्री जी को दे दूंगा । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं वहां पर आपकी पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री गये थे और उन्होंने वहां पर खुला दरबार

लगाया था । इसके बाद वहां पर पानी निकालने का काम शुरू किया गया था । मैं बताना चाहता हूं कि जुयाना माइनर को एक तरफ से बंद करके अब भी उसमें पानी डाला जा रहा है । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज ही इस संबंध में अपने विभाग से कंफर्मेशन रिपोर्ट ली है । मुझे बताया गया है कि जहां से भी पानी निकाला जा सकता है वहां से पानी निकाला जा रहा है । इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर कुछ पानी अपने आप ही सूखेगा । (विघ्न)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इससे संबंधित 15 दिसम्बर के फोटोज़ हैं । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर कितने इंच पानी खड़ा है ?

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, ये फोटोज़ निगाना गांव की हैं और वहां पर काफी पानी खड़ा है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, हमारे पास कई स्थानों से रिपोर्ट्स आई हैं । उनमें बताया गया है कि ऊपर का पानी चौए के पानी से मिल गया है । अब वहां से चाहे कितना भी पानी निकाल लो वह पानी टूटने वाला नहीं है । उस पानी को सूखने में कुछ समय लगेगा । हम ऊपर से पानी निकालते रहेंगे और नीचे से चौए का पानी आता रहेगा । वहां पर अब जो पानी रुका हुआ है वह ऊपर का पानी नहीं बल्कि वह नीचे के चौए का पानी है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मेरे हलके के 'बापोड़ा धाम' गांव के मकानों में पानी खड़ा होने के कारण दरारें आई हुई हैं । वहां पर पानी की निकासी नहीं हो रही है । वहां के लोगों को न तो कंपनसेशन दिया जा रहा है और न उन लोगों को तेल के पैसे दिए जा रहे हैं जिन्होंने खुद के पम्प सैट लगाकर पानी निकाला है । दादरी के 13 गांवों की यह बात अखबारों में भी छपी हुई है और यह बात दिसम्बर माह की है । जब आप इसको चैक करवाओगे तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा । मेरे विचार से आपको वहां पर ड्रेनेज का एक प्रोजैक्ट बनवा देना चाहिए जिससे वहां पर पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने किसानों द्वारा पानी निकालने का विषय उठाया है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि किसानों ने हमारे

विभाग से बात करके पानी निकाला है और विभाग ने उनको इस बात के लिए अलाउ किया है कि आप अपने खर्च से पानी निकालिए तथा हम आपको इस काम में खर्च हुए तेल का पैसा देंगे । ऐसे सभी स्थानों पर जहां पर डिपार्टमैंट ने उनको ऑन किया है डिपार्टमैंट उनको पैसा अवश्य देगा । इसके लिए हमने 5 करोड़ रूपये की राशि जारी भी कर दी है और सबको अपने द्वारा खर्चे गए तेल का पैसा जल्द ही मिल जाएगा ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, इस बार माननीय सदस्य ढुल साहब ने 'बीबीपुर' का विषय नहीं उठाया है ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, इस बार 'बीबीपुर' में नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इस विषय को नहीं उठाया है । (विघ्न) अध्यक्ष जी, इसी सदन में मुझे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 9 सड़कों के निर्माण का आश्वासन दिया था परंतु अभी तक उनमें से किसी एक सड़क पर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है । आप चाहें तो इसे चैक भी करवा सकते हो ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मेरे विचार से अगर किसी माननीय सदस्य को सदन में कोई आश्वासन दिया जाता है तो उसे टाइम बाउंड करना चाहिए । आप जानते हो कि किसानों की दोनों फसलें खराब हुई हैं और उसके पास अगली फसल उगाने के लिए दाने भी नहीं हैं । किसान बेचारा भूखा मर रहा है ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले सत्र में घोषणा की गई थी कि जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उनके कर्ज का ब्याज और बिजली के बिल डैफर किये जाएंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या जुलाना के किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा जिनकी फसलों का पिछले 2 सालों से लगातार नुकसान हो रहा है ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं फिलहाल चल रही कॉलिंग अटैंशन मोशन का उत्तर देना चाहता हूं । पहले शायद सदन में फसल मुआवजा राशि के विषय पर इस प्रकार की चर्चा नहीं होती थी । उस समय इस विषय को लेकर सदन इतना गम्भीर नहीं था क्योंकि उस समय पर किसानों को फसल मुआवजे के 2–2 रूपये के चैक बांटे जाते थे । (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, **.....** (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य दांगी साहब से कहना चाहता हूं कि उन्हें अच्छी बात को अच्छी मान लेना चाहिए । हर बात में राजनीति

करना ठीक नहीं है । हमें पता है कि इनके समय में फसल मुआवजा राशि के रूप में 6 हजार रूपये मैक्सीमम दिए जाते थे । (शोर एवं व्यवधान) इनके समय में माननीय सदस्य कादियान साहब के हलके में अढाई–अढाई रूपये के चैक दिए गए थे । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, यह तो रिकॉर्ड की बात है ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, हम जिस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उस अच्छाई को स्वीकार भी किया जाना चाहिए । सही बात को सही कहना चाहिए । यह ठीक नहीं है कि हर समय कमी ही निकालते रहे ।

श्री रामचन्द कम्बोज : अध्यक्ष जी, मैं सदन में प्रदेश के किसान हित के विषय में प्रश्न पूछना चाहता हूं । पिछले दिनों जब ओलावृष्टि हुई तो उससे किसानों को फसलों का बहुत नुकसान झेलना पड़ा । उन किसानों को किसी तरह का कंपनसेशन नहीं दिया गया और 225 किसानों को नोटिस भी दिए गए हैं ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम चन्द कम्बोज जी ने जो विषय रखा है, वह उनकी बात ठीक है कि वर्ष 2015 में जो मुआवजा दिया गया था उसमें कुछ किसानों को अतिरिक्त पैसा चला गया था जिसके कारण ऑडिट पैरा बन गया क्योंकि उस वक्त पहले से नियम चला आ रहा था कि 2 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन का मुआवजा नहीं दे सकते। इसलिए जिन किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया गया है, उसमें ऑडिट पैरा बनने के कारण कार्यवाही की जा रही है और इसी तरह से कुछ गुरूग्राम का एरिया भी है। अध्यक्ष महोदय, जल भराव की समस्या के बारे में सदन ने भी भावना व्यक्त की है क्योंकि जल भराव के कारण अगली फसल की बुवाई नहीं हो सकी। इसके लिए भी कोई मुआवजा मिलना चाहिए। यह कुदरत के कारण हुआ है इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। इसमें भी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जिसके लिए कृषि मंत्री जी ने संकेत दिया है कि माननीय मुख्य मंत्री और कैबिनेट में विचार करके उसके बारे में बताएंगे लेकिन एक चीज मैं सदन में बैठे विपक्ष के दूसरे माननीय साथियों से भी कहना चाहूंगा कि वे एक बार अपनी छाती पर हाथ रखकर याद कर लें कि उनके शासन काल में जल भराव का कभी मुआवजा दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में जल भराव नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया: अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद और नाथूसरी चौपटा के बीच पहले भी पानी भरा रहता था। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मुझे साल तो याद नहीं है लेकिन कांग्रेस सरकार के समय में डीगल से लेकर मन्दाणा, लकड़िया, छोछी, दुजाना और छुछकवास से लेकर आगे के सारे गांवों में जल भराव की दिक्कत है। महम में भी माननीय सदस्य दांगी साहब को पता है कि मोखरा का खेड़ी रोज पाना का ज्यादातर एरिया पानी में डूबा रहता है। इन्होंने एक बार मुआवजा दिया और वह भी बहुत ही सीमित एरिया में दिया। यह रिकार्ड की बात है और रिकार्ड को मैं भी नहीं बदल सकता और ये भी नया रिकार्ड नहीं बना सकते। इन्होंने वर्ष 2010 में 3,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा कुछ एरिया में दिया था, केवल सलैक्टेड एरियाज में मुआवजा दिया था। इसके अलावा पिछले 10 सालों में जल भराव तो बहुत सी जगहों पर हमने देखा था लेकिन इन्होंने कभी भी कोई जल भराव का मुआवजा नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मैं चप्पे–चप्पे में घूमता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय,.....(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैंने खेड़ी पाना का एरिया बताया है उसमें जो एरिया बिदरो की तरफ है, वह बड़ा एरिया पानी भरने के कारण कई बार बिना बिजाई के ही रहता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मैं चप्पा–चप्पा घूमता हूं। इसलिए माननीय मंत्री जी को मुझे आईडैंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष में जो सरकारें रही या पहले जो सरकारे रहीं वो अपनी छाती पर हाथ रखकर कहें कि उन्होंने कब–2 कितना पैसा मुआवजे के रूप में दिया ? शायद कैप्टन साहब की जानकारी में नहीं है कि सन् 1977 से पहले इस देश में मुआवजे के रूप में एक नया पैसा किसी भी सरकार ने नहीं दिया। मुआवजा देने की शुरूआत अगर किसी सरकार ने की है तो वह शुरुआत चौधरी देवी लाल जी की

सरकार ने की है उसमें चाहे ओलावृष्टि का मुआवजा दिया हो, चाहे ज्यादा बारिश की वजह से मुआवजा दिया हो या डोभे के पानी का मुआवजा दिया हो। इसकी शुरूआत चौधरी देवी लाल जी ने की थी और कोई दूसरा व्यक्ति इस देश में ऐसा नहीं हुआ जिसने किसानों की किसी कारण से खराब हुई फसल का मुआवजा दिया हो। मुआवजा राशि देने की शुरूआत चौधरी देवी लाल ने की थी। इसलिए माननीय मंत्री जी यह नहीं कह सकते कि किसी भी सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया। अगर चौधरी देवी लाल जी मुआवजा देने की शुरूआत नहीं करते तो आज माननीय मंत्री जी खड़े होकर यह नहीं कह सकते थे कि उन्होंने 1100–1200 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। इसलिए जिसने मुआवजा देने की शुरूआत की है उसका नाम साथ जरूर जोड़ें क्योंकि उनकी मेहरबानी की वजह से आज किसानों को मुआवजे के रूप में मजबूर होकर आपको पैसा देना पड़ता है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल जी हमारे बुजुर्ग हैं।

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, जो ऑडिट पैरा बना है उसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। अगर रिकवरी की जाएगी तो यह नयी प्रथा चलेगी।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, पहले भी रिकवरी होती रही है।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, आजकल चौधरी देवी लाल की विरासत के बंटवारे पर बड़े झगड़े होते हैं। मैं चौधरी देवी लाल जी के साथ सन् 1975 से 77 तक रोहतक की जेल में रहा। सन् 1987 में चौधरी देवी लाल जी मेरे से चिट्ठी लिखवाते थे परन्तु आज वे आदरणीय नेता इस संसार में नहीं हैं, इसलिए वह बात मेरे और उनके बीच की है। उस समय लोगों ने उनसे मिलना तक बंद कर दिया था। सन् 1987 में चौधरी देवी लाल की अध्यक्षता वाली सरकार में मैं मंत्री रहा और चौधरी रघुबीर सिंह कादियान भी रहे थे। स्पीकर सर, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चौधरी देवीलाल जी के पौत्र हैं, परंतु संघर्ष का जीवन तो चौधरी देवी लाल जी के साथ हमने बिताया था और सरकार में भी हम उनके साथ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, अगर ये दोनों भाई आपस में लड़ेंगे तो तीसरा कहेगा कि मैं भी किल्ला ठोक दूंगा। चौधरी देवी लाल जी की जो विरासत है, वह केवल उनके पुत्र या पौत्र के रूप में जन्म लेने से नहीं मिलती है, बल्कि उनकी सेवा करने से मिलती है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को बार–बार यही सलाह देना चाहूंगा कि ये अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर चलें तो ज्यादा ठीक होगा। (हंसी) मैं तो अभय सिंह जी

को सलाह दे रहा था, लेकिन कुछ लोग इनको भिड़ा रहे थे। मैं तो अभय सिंह जी को सलाह दे रहा हूं।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में कई सवाल उठाए गए हैं। मैं इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि पट्टेदारों को कम्पंसेशन देने का जो विषय है, उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। अगर पट्टेदार स्पेशल पॉवर ऑफ अटार्नी लेकर आता है तो उसको भी कम्पंसेशन देने के साथ–साथ उसकी फसल खरीद करने का भी इंतजाम कर दिया गया है।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था ये गिरदावरी के साथ भी कर दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें व्यावहारिकता नहीं है। एक फोटो वाला जो विषय है, वह बहुत ही संवेदनशील है, जिसकी तरफ इस महान सदन का ध्यान खींचा गया था और मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करवाएं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देहात में एक कहावत है कि पैसे लोगे या इज्जत लोगे। पैसे इसलिए दूंगा कि इज्जत रहेगी और अगर इज्जत ही ले लोगे तो पैसे किसलिए दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इस महान सदन को एक बात बताना चाहूंगा कि इस सरकार के कार्यकाल में किसी भी किसान की जमीन की कुर्की नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, सिवानी में एक किसान की कुर्की की गई थी और उसके कारण वह बेचारा मर गया था और मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने ही उसकी कुर्की की थी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि किसी भी किसान की कुर्की इस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा था कि हम पांच–पांच लाख रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में देंगे, लेकिन अभी तक एक रुपया भी किसानों को नहीं मिला है और सरकार ने ही उस किसान की कुर्की की थी।

श्री अध्यक्ष: बहन किरण जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय में किसी भी किसान की कुर्की नहीं हुई

है। माननीय सदस्या सबसे पहले अपनी जानकारी ठीक करें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा कि मेरे हल्के में एक किसान ने आत्महत्या की थी और तीसरे दिन ही उसके परिवार वालों ने उसकी अंतिम क्रिया कर दी थी। मैंने भी उनके परिवार वालों को टेलीफोन करके पूछा कि आखिर क्या हुआ ? उनके घर में 5 भाई हैं और उनमें 2 भाई सरकारी स्कूल में टीचर हैं, उसकी घर की पोजीशन ठीक–ठाक है। मैंने उसके भाइयों से भी पूछा कि उसने आत्महत्या से पहले आप लोगों को कुछ बताया था तो उन्होंने मुझे बताया कि उसने उन्हें आत्महत्या करने से पहले कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्या कोई कुर्की का नोटिस आया था तो उन्होंने बोला कोई नोटिस नहीं आया था। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि किसी बैंक के अधिकारी ने आकर उसके ऊपर दबाव डाला था तो उन्होंने बताया की नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन आजकल ऐसी कम्पनी बनी हुई है कि वह किसान के परिवार वालों के पास जाती है और कहती है कि हम इसकी आत्महत्या को किसान आत्महत्या बना देते हैं। वे पोस्टर भी छपे–छपाए रखते हैं और एक सोशल मीडिया वाला भी साथ में रखते हैं जो उनके हिसाब से ही बोलता है। वह कम्पनी 15–20 दिन में उस आत्महत्या को एक किसान आत्महत्या बना देती है। हमारे इस सदन में ऊपरी हिस्से में जो मीडिया के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस बात का पता है। दूसरी घटना मैं बताना चाहूंगा कि भराणा में रेल के नीचे आकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी और फिर वह कम्पनी वहां पर गई और उसके परिवार वालों से कहा कि क्या आपके इस सदस्य की आत्महत्या को किसान आत्महत्या बना दें। लेकिन उसके परिवार वाले भले थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो यह सदस्य यूं ही मरा है, खामख्वाह इस आत्महत्या को किसान आत्महत्या बनाने की जरूरत नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे घर की पोजीशन भी ठीक–ठाक है। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह कम्पनी किसकी प्रायोजित है। इस कम्पनी के लोग अपना सारा सिस्टम साथ ही साथ रखते हैं और फटा–फट उसको इस्टैब्लिश करके खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मैं माननीय सदस्या से कहना चाहूंगा कि इन्हें इस प्रकार से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार का जो घटनाक्रम है, उसकी जानकारी मैंने सदन को विस्तार से दे दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि वहां पर किसान ने आत्महत्या ही की थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठ जायें । मंत्री जी ने सारा जवाब दे दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री आनन्द सिंह दांगी जी की शंका को दूर कर दूंगा । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, प्लीज आप बैठ जायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का केन्द्र बिन्दु जल भराव का विषय है । कभी–कभी पानी की अधिकता हो जाने के कारण सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है । कई इलाकों में पानी की कमी हो जाने के कारण डार्क जोन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कभी–कभी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं । ऐसे कई विषय हमारे सामने आये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम इस बात का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि हमने अपने कार्यकाल में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत महत्व दिया है और महत्व देने के बाद भी जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां पानी पहुंचाने का प्रयत्न भी किया है । इसमें जल भराव के कई कारण और भी हो सकते हैं । पानी का डिस्ट्रिब्यूशन सही ढंग से न होने के भी कई कारण माने जा सकते हैं, हम इस बात से सहमत हैं । अध्यक्ष महोदय, कुछ इलाकों में नहर का पानी भी पर्याप्त मात्रा में जाता है । वर्षा का पानी भी पर्याप्त मात्रा में जाता है और जल भराव का पानी भी पर्याप्त मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में पानी का सतह से ऊपर आ जाना भी सेम की समस्या उत्पन्न कर देता है और कई बार चोआ भी ऊपर आ जाता है । अध्यक्ष महोदय, हम अगर पानी को डायवर्ट करके ऐसे स्थानों पर जहां पानी कम है वहां भेजने की व्यवस्था करने में सफल हो जाएंगे तो उतना ही हमारी समस्याओं का समाधान हो पायेगा । हमने इस नाते से अभी तक जो काम किये हैं, पहले तो डब्ल्यू.जे.सी. (वेस्टर्न जमुना कैनाल) की व्यवस्था में कुछ सुधार किया है और उसके निर्माण में जो कमियां थी, उनको ठीक करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, पहले 3 साल में जो तीन महीने वर्षा के होते थे, उसमें लगभग 10 हजार क्यूसिक पानी की एवरेज आंकी गई थी बल्कि आज पानी की 13500 क्यूसिक्स की एवरेज

आंकी गई है, इससे साफ पता चलता है कि पानी की मात्रा में 3500 क्यूसिक्स की बढ़ोतरी हुई है । यह रिकॉर्ड की बात है और इस रिकॉर्ड को हम लोग ठीक से देख और चैक भी कर सकते हैं । परिणामस्वरूप जहां–जहां पानी और अधिक पहुंचाया जा सकता था, वहां हमने पहुंचाया । मैं उसमें एक–दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा । एक बात तो यह है कि हमने हर टेल तक पानी पहुंचाया है, यह सत्य है कि 300 टेल में से 293 टेलों में टेल तक पानी पहुंचाया है । अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि वर्षा के दिनों में पानी पहुंचा है और वह पानी पूरे वर्ष में पहुंचा हो ऐसा नहीं है । पहले तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाता था । अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं बहल के इलाके में गया हूं और वहां पर चैक करके और देख करके भी आया हूं कि उस गांव की टेल तक पानी पहुंचा है या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान) मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि लगातार पूरे वर्ष भी पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है केवल तभी पानी पहुंचाया जा सकता है जब हमारे पास पानी सरप्लस होगा । अध्यक्ष महोदय, जहां पानी एक भी दिन नहीं जाता था । अब बरसात के दिनों में कम से कम दो या तीन महीने जो होते हैं उन तीन महीनों में पानी पहुंचाया जा सकेगा । हम और अधिक कोशिश करेंगे कि जहां से अधिक पानी निकल सके या जहां पर पानी की अधिकता है वहां से पानी को ड्रेनेज करके निकाला जायेगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) पानी का महत्व ही क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठ जायें (शोर एवं व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां पानी की आवश्यकता नहीं है वहां बरसात के दिनों में पानी नहीं देंगे । बरसात के दिनों में उन्हीं इलाकों को पानी देंगे जहां पानी की आवश्यकता होगी । आखिर जहां पानी की आवश्यकता नहीं होगी, वहां पानी देना शुरू करेंगे तो जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री परमेन्द्र सिंह ढुल जी ने कहा कि ड्रेन के अंदर बरसात के दिनों में नहरों का पानी भी आने लगेगा । अध्यक्ष महोदय, बरसात के दिनों में पहले नहरों का पानी हैड पर ही रोक दिया जाता था । अगर हम बरसात के पानी को नहरों से लेंगे तो जल भराव या बाढ़ आयेगी और लोगों के लिए समस्याएं बनेगी । अब हम जितना पानी सूखे इलाके में

पहुंचा सकते हैं उतना पानी नहरों का अवश्य उस समय लेंगे । अध्यक्ष महोदय, हमारे नांगल चौधरी क्षेत्र के विधायक डॉ. अभय सिंह यादव जी बैठे हैं, इन्होंने भी बताया कि हमारे इलाके में पानी पहले कभी नहीं पहुंचता था । मैं पिछले दिनों गुरूग्राम होकर आया हूं और बाकी जिलों में भी गया हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में नांगल चौधरी क्षेत्र में 500 किलोमीटर की पाइपलाईन लगवाई गई थी और उसी समय पानी भी पहुंच गया था । हम तो यही कहना चाहते हैं कि पानी का समान बंटवारा होना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठ जायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय पर ही आ रहा हूं और माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी की बात से सहमत भी हूं कि पानी का बंटवारा ठीक ढंग से होना चाहिए । हमें इसमें लालच नहीं करना चाहिए । जहां पर पानी की आवश्यकता है वहां पर पानी जाना भी चाहिए लेकिन जहां पर पानी की आवश्यकता नहीं है तो अगर वहां पर पानी जबरदस्ती बिना समान बंटवारे के जायेगा तो उस पानी का नुकसान ही होगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने अपनी बात रख ली है जब आप बीच में टोका–टाकी करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? (शोर एवं व्यवधान) किरण जी, आप कृपया करके बैठ जायें और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रिप्लाई देने दें।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, रेवाड़ी जिले के माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं वहां पर जो मसानी बैराज़ सन् 1977 में बना था उसके बाद उसमें कभी भी पानी नहीं आया था अब उसमें पिछले दो साल से 5 फुट से लेकर 8 फुट तक पानी आया है। इस प्रकार से पिछले दो साल से मसानी बैराज़ में हम लगातार पानी भर रहे हैं। इसकी वजह से उस सारे के सारे एरिया का जो अण्डर वॉटर लैवल है वह कहीं तीस फुट, कहीं चालीस फुट और कहीं पर पचास फुट ऊपर आया है। इसके अलावा जितनी भी झीलें हरियाणा प्रदेश में हैं उन सभी में हम पानी पहुंचायेंगे। इतना ही नहीं हरियाणा प्रदेश में जितने भी डिप्रेशन के एरियाज़ हैं

उनमें भी हमने नई–नई झीलों के निर्माण का आदेश दिया है। हम चाहते हैं कि वहां पर झीलों का निर्माण किया जाये ताकि हरियाणा प्रदेश के जो इलाके डार्क जोन में है अगर हम वहां पर पानी पहुंचा सकें तो भूमिगत जल का स्तर ऊपर आयेगा अन्यथा इस समस्या का कोई दूसरा समाधान नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश में डार्क जोन का इलाका सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। आज हरियाणा प्रदेश के 35 से 40 के लगभग ब्लॉक्स ऐसे हो गये हैं जहां पर डार्क जोन है एवं वहां पर भूमिगत जल निकालने पर सैंट्रल वॉटर कमीशन ने भी बैन कर दिया है अर्थात् अब वहां पर और भूमिगत जल नहीं निकाला जा सकता। हम वहां पर बिजली के लिए कनैक्शन नहीं दे सकते हैं। जिन लोगों ने कनैक्शन ले रखे हैं अगर अण्डर वॉटर लैवल डाउन जाता है तो वे 20 हॉर्स पॉवर की मोटर की जगह 30 हॉर्स पॉवर की मोटर लगा लेते हैं और अगर किसी के पास पहले 30 हॉर्स पॉवर की मोटर लगी है तो वह 40 हॉर्स पॉवर की मोटर लगा लेता है। उसकी परमीशन पॉवर डिपार्टमैंट नहीं दे सकता तो फिर बिजली की चोरी होती है और उसके बाद टकराव होते हैं। इस सबके बावजूद भूमिगत पानी का लैवल कैसे बढ़ाया जाये यह हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जिस इलाके में सेम की समस्या है या जिस इलाके में पानी का भराव है वहां पर भी साइंटिफिक तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्था निकालनी पड़ेगी जिसके तहत हम वहां पर खड़े पानी को भूमि के अंदर पहुंचा दें । हम वहां पर खड़े पानी को रिचार्जिंग के नाते जितना भी नीचे डाल सकते हैं उतना ही सारे इलाके के भूमिगत पानी का लैवल ऊपर उठेगा।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, हमारे भिवानी और दादरी जिले के हिस्से का 150 क्युसिक पानी काटा जा रहा है जिसके कारण हमारे इन दोनों जिलों में पीने के पानी की भी बड़ी भारी किल्लत है। इसके कारण लोग 12–12 और 20–20 दिन तक अपनी पीने के पानी की टंकियां नहीं भर सकते।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्रीमती किरण चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि भिवानी और दादरी जिले के पानी को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। सारी की सारी समस्यायें हल हो गई हैं ऐसा मेरा क्लेम नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी जगहों की पानी की समस्यायें खत्म हो गई हैं, लेकिन हम लगातार प्रयासरत् हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अलग–अलग जगह पर भूमिगत जल का स्तर ऊपर उठाने के लिए उनके द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। यह इनकी बहुत ही अच्छी सोच है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इनकी ये सोच है तो दादूपुर–नलवी नहर की जमीन को इन्होंने क्यों डि–नोटिफाई करवा दिया? जबकि दादूपुर–नलवी नहर का परपज़ भी यही था। दादूपुर–नलवी नहर से भी बहुत से इलाके के भूमिगत जल की रिचार्जिंग हो रही थी।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बताना चाहता हूं कि दादूपुर–नलवी नहर का विषय एकदम भिन्न था। एक तो उस इलाके में जो नहर बनाई भी गई थी उसके अंदर 250 क्यूसिक्स से अधिक पानी नहीं आया और वह भी 35 से 40 दिन ही आया। इसमें से इरीगेशन परपज़ के लिए कुछेक हैक्टेयर में पानी गया। उसमें जिस इलाके में पानी आता था तो उस इलाके में पानी नहीं चाहिए था। शाहबाद इलाके के लोगों ने हमसे कहा कि हमको ये नहर नहीं चाहिए क्योंकि इससे उनके वहां पर खेतों में पानी भर जाता है और इसके पानी के कारण वहां पर बाढ़ आती है। इस कारण से वहां पर पानी की इतनी बड़ी आवश्यकता इस कारण नहीं है क्योंकि वह एरिया डार्क जोन नहीं है। न तो यमुना नगर का एरिया डार्क जोन है, न ही शाहबाद का एरिया डार्क जोन है और न बराड़ा का एरिया डार्क जोन है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि शाहबाद का क्षेत्र डिक्लेयर्ड डॉर्क जोन है।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं पुनः यह बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इन सभी इलाकों में किसान ट्यूबवैल्ज़ से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। इन इलाकों में हमारे ट्यूबवैल्ज़ में पानी की कोई कमी नहीं है। वहां पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। इसके अलावा दादूपुर नलवी की कॉस्ट तीन हजार करोड़ रुपये आने वाली थी। इसके बजाये इससे भी कम पैसे में हमने शिवालिक के क्षेत्र में नौ डैम्ज़ बनाने के लिए वैबकोस कम्पनी से सर्वे करवा लिया है। इस सर्वे के माध्यम से नौ के नौ डैम्ज़ बनेंगे जिसमें एक आदि बद्री का स्थान है उसमें भी एक डैम बनेगा उधर की ओर और इसके अतिरिक्त जो शिवालिक क्षेत्र का पानी है सामान्यतः उसका बहाव है इस प्रकार से उस पानी से वहां के भूमिगत जल की

रिचार्जिंग की पर्याप्त व्यवस्था होगी। इस पानी से वहां पर अण्डर वॉटर टेबल की रिचार्जिंग हो जायेगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को गलत इनफर्मेशन दी गई है क्योंकि जहां से दादूपुर–नलवी नहर जा रही थी वह सारे का सारा इलाका डार्क जोन है। जिस भी ऑफीसर ने यह इनफर्मेशन दी है उसने माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह किया है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, यह बात सही है कि दादूपुर–नलवी नहर जिस इलाके से गुजर रही थी वह क्षेत्र डार्क जोन है। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगी कि हमारे पूरे दक्षिणी हरियाणा में लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है क्योंकि हमें हमारे हिस्से का पानी भी नहीं मिल रहा है। स्पीकर सर, जहां तक दादूपुर–नलवी नहर का सम्बन्ध है मैं सी.एम. साहब को यह बताना चाहूंगी कि यह नहर बहुत सारे इलाके के भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज़ कर रही थी। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बंधित अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से गुमराह किया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने दादूपुर नलवी नहर को डिनोटिफाई करने का फैसला कब लिया? आपने डिनोटिफाई करने का फैसला तब लिया जब हाई कोर्ट से किसानों की जमीनों का कम्पनसेशन का फैसला आ गया। उससे पहले तो दादूपुर नलवी नहर रिचार्जिंग का काम कर रही थी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, दादूपुर नलवी नहर पहले भी रिचार्जिंग नहीं कर रही थी। इसके अलावा पिछले 40 सालों से रुके हुये कामों को हमने लाइन पर ला कर आगे के लिए पानी का प्रबंध करने के प्रयत्न किये हैं। इसी प्रकार से लखवार डैम बनाने का काम पिछले 50 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था उसको शुरू करने के लिए हमने कोशिश की है। मैं स्वयं वहां जा कर आया हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह लखवार डैम बनाने का काम पिछले 50 साल से अटका हुआ नहीं है। ये केन्द्र सरकार का प्रौ जैक्ट था जिसके बारे में मैंने संसद में सवाल पूछा था, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। यह मामला 1991 का है। मुख्यमंत्री जी पहले इसके तथ्य पता कर लें। लखवार डैम जल्दी बनना चाहिए इस बात के लिए हम

सरकार के साथ हैं। यह डैम पहले से ही सैंक्शन्ड है और राज्य सरकार ने अपना शेयर भी जमा करवा रखा है। आपने प्रयास किया है, अच्छी बात है लेकिन यह कहना कि इससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर इसको 1991 का मामला मान लें तब भी 27 साल हो गये हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि यह डैम पहले से ही सैंक्शन्ड था लेकिन उस पर काम कुछ नहीं हुआ था। वह फाइलों में पड़ा हुआ था और उसको बाहर निकाल कर धरातल पर तो लाना ही था। यह 27 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था जिसको हमने निकाल कर 6 राज्यों ने मिल कर उसका एम.ओ.यू. साइन किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार ने भी और कांग्रेस सरकार ने भी प्रयास किये हैं। मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि इससे पहले किसी ने कोई प्रयास नहीं किये, यह ठीक नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले इंडियन नैशनल लोकदल के श्री ओमप्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री रहे और 10 साल श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं हुड्डा साहब को एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि –

"रात का न जिक्र कर, रात तो गुजर गई,
है सुबह तो यह बताओ, रोशनी किधर गई।" (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, यह फैसला हमने और आपने नहीं करना है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि–

"अब तो आपके गुनाहों का हिसाब, मैंने खुदा पर छोड़ दिया,
याद रखना जम्हूरियत में, जनता ही खुदा होती है।"

इसका जवाब जनता देगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी को जनता आने वाले चुनावों में विपक्ष में बैठाने वाली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, लखवार डैम की एक जानकारी नैट से मिल रही है उसके अनुसार लखवार डैम बनाने की योजना सबसे पहले 1976 में बनाई गई थी लेकिन इसका काम बेहद धीमी गति से चलता रहा और 1992 में काम पूरी तरह से रुक गया। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि यह काम 1991 में शुरू हुआ था जबकि 1992 में तो काम पूरी तरह से रुक गया था। अगर 1976 से शुरू करें तो भी इस योजना को बने हुये 42 साल हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इन्होंने प्रयास किये हैं यह अच्छी बात है लेकिन इससे पहले किसी ने कुछ किया ही नहीं यह कहना ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ सदन को तथ्यों से अवगत करवा रहा हूं। तथ्य किसी के फेवर में जायें या खिलाफ जायें ये तथ्य, तथ्य हैं ये हमारे हाथ में नहीं हैं। हमने इनकी बात मान ली थी कि यह 1991 में शुरू हुआ लेकिन हमारे साथी ने नैट से निकाल दिया कि यह योजना 1976 में शुरू हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपने 1991 में शुरू होने की बात कही थी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा कि केवल यही विषय नहीं और भी कई विषय ऐसे आयेंगे जिनको पर्सनली लेने की और नाराज होने की जरूरत नहीं है। काम करने की अपनी–अपनी पद्धति होती है। इनकी पद्धति वैसी रही है और हमारी पद्धति ऐसी रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यह पद्धतियों का विषय है। ये काम शुरू करते थे और शुरू करने के बाद कब कौन सा काम बंद हो जाये उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने के.एम.पी. का काम शुरू किया लेकिन वह भी बंद हो गया था। इसी प्रकार से रोहतक से लेकर पंजाब तक जाने वाले नैशनल हाईवे का काम भी शुरू किया था लेकिन वह भी बंद हो गया था। नैशनल हाईवे नं. 1 पर जो काम चल रहे थे उनको भी ये अधूरे छोड़ कर चले गये। इसमें हम क्या कर सकते हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपके समय में तो कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, हमने आपके समय के अनाउंस किये हुए काम शुरू भी किये हैं और हमने उनको कम्पलीट भी कर दिया है । अब के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे को पूरा किया है तो वह किसने किया है ? वह हमारी सरकार ने ही तो पूरा किया है ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, *––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, प्लीज आप बैठिये । आपको अपना दौर भी याद होना चाहिए । प्लीज आप बैठिये । मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं । अब परमेन्द्र सिंह ढुल जी जो बात चेयर की परमशन के बिना कह रहे हैं वह बात रिकॉर्ड न की जाए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ढुल साहब ने एक बात बताई कि बहुत सारे किसानों के नोटिस निकाले गये हैं । उसके लिए मैं डिनाई नहीं करता कि नोटिस नहीं निकले होंगे । कोई भी ऑफीसर है वह अपने विभाग का अपनी प्रक्रिया के हिसाब से नोटिस निकालता है । जब हमें किसी किसान को दिये गये नोटिस के बारे में पता लगता है तो हम उस नोटिस को तुरन्त रुकवा देते हैं । नोटिस निकला होगा लेकिन आज तक कभी किसी किसान की जमीन की नीलामी नहीं हुई है । यही मंत्री जी ने कहा है कि किसी किसान की जमीन की कुर्की नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान) जब हमें किसी का पता लगता है तो हम उसको तुरन्त बन्द करवा देते हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कई जगह पर किसानों की जमीन की कुर्की हुई हैं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि नोटिस हो गये होंगे लेकिन हमने उनको तुरन्त रुकवा दिया था ।(शोर एवं व्यवधान) किरण जी, हम आपको रिकॉर्ड निकलवा कर दिखा देंगे । इसी कड़ी में अगला जो काम है, वह यह है कि मेवात के क्षेत्र में पानी कैसे बढ़े ? हम उसमें लगातार लगे हुए हैं । कोटला झील की प्रौग्रेस जो भी कुछ हुई है वह हमारी सरकार के आने के बाद ही हुई है । वह प्रोजैक्ट एक दम से बन्द पड़ा हुआ था क्योंकि वहां पर बरसात का पानी भरता है । जो पानी अरावली की साइड से आता है वह उस झील में भरता है । वहां उस झील में पानी होगा तो अल्टीमेटली उसका लाभ खेती के लिए भी होगा ।

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

रीचार्जिंग के लिए भी होगा । हर काम के लिए होगा । मैंने बताया है कि इस काम के लिए हमारे जो प्रयत्न हैं उसको हमने चालू किया है । इस इलाके में हमने न केवल पानी को बढ़ावा देने के लिए पर्यतन किये हैं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रयत्न किये हैं । मैं एक बात फिर कहूंगा जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को तकलीफ होगी । स्वामी नाथन रिपोर्ट के बारे में खूब चर्चा हुई है । आखिर स्वामी–नाथन की रिपोर्ट तो कांग्रेस की सरकार के समय में ही आई थी जिसको लागू करने की जिम्मेवारी हुड्डा साहब की थी । स्वामी–नाथन रिपोर्ट वर्ष 2006 से वर्ष 2014 तक लागू होनी चाहिए थी जिसमें वर्ष 2009 में हमारे हुड्डा साहब यहां बैठे हैं ये उसको लागू करने के स्वयं चेयरमैन रहे हैं, लेकिन ये उसको लागू नहीं करवा सके । हमने यह कभी नहीं कहा कि स्वामी नाथन रिपोर्ट को ऐज इट इज लागू कर दिया है लेकिन उसमें जो प्रावधान थे उस प्रावधान में यह कहा था कि जिस किसी किसान की फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा राशि कम से कम 10 हजार रुपये की दर से दी जाए । हमने उस मुआवजा राशि को 10 हजार रुपये नहीं बल्कि 12 हजार रुपये घोषित किया था ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने आज मुआवजा राशि को 10 हजार रुपये से 12 हजार रुपये घोषित किया है इसके अनुसार हरियाणा प्रदेश बाकी प्रदेशों से आज सबसे ज्यादा मुआवजा राशि दे रहा है । आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या आप किसी ऐसे प्रदेश का नाम बता सकते हैं जो वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश से ज्यादा मुआवजा राशि दे रहा हो । वर्ष 2014 में भी हरियाणा प्रदेश देश में सबसे ज्यादा मुआवजा राशि दे रहा था । दूसरी बात यह है कि आपने मुआवजा राशि को जो 10 हजार रुपये से 12 हजार रुपये बढ़ाया है, वह कब बढ़ाया है ? सैंट्रल गवर्नमैंट का जो शेयर था उसमें सैंट्रल गवर्नमैंट ने यह फैसला किया कि जितना मुआवजा हम दे रहे हैं, उसका डेढ़ गुणा बढ़ा कर देंगे । सैंट्रल गवर्नमैंट के डेढ़ गुना बढ़ाने का मतलब तो यह हुआ कि वह मुआवजा राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये होना चाहिए था । आपने मुआवजा राशि में से आधा शेयर घटा दिया और सैंट्रल गवर्नमैंट ने डेढ़ गुना बढ़ा दिया है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जिसने मुआवजा राशि का आधा शेयर घटाया है । आप ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब दे दें । शेयर घटा है या नहीं घटा ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा जी को बताना चाहता हूं कि सैंटर गवर्नमैंट हमें 3300 रुपये देती थी 50 प्रतिशत बढ़ाने के बाद वह 1600/–रुपये बढ़ा । हमने 7500/–रुपये से सीधा 12000/–रुपये मुआवजा राशि किया है । (शोर एवं व्यवधान) आपने 10 हजार रुपये दिये नहीं थे केवल जाते–जाते घोषणा करके गये थे । आपकी सरकार के समय में किसी एक व्यक्ति को भी 10 हजार रुपये मुआवजा राशि नहीं दी गई थी । आपके समय में एक भी डिस्ट्रीब्यूशन 10 हजार रुपये का नहीं है । यह रिकॉर्ड बता रहा है । रिकॉर्ड में आपने जो लास्ट मुआवजा बांटा था वह 7500/–रुपये का था । 7500/–रुपये के बाद तो जो अगला आंकड़ा मुआवजे का बांटा गया वह सीधा 12 हजार रुपये का बांटा गया था ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास रिकॉर्ड है कि इनके समय का वर्ष 2010 का 270 करोड़ रुपये का मुआवजा भी किसानों को हमने दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

17:00 बजे

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात का जिक्र किया तो मैं भी मेवात के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि यह फैक्ट की बात है कि कांग्रेस सिर्फ कागजों में ही परियोजनाएं बनाकर रखती है। जहां तक कोटला झील प्रोजेक्ट की बात है, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद ग्रहण ही किया था और कोटला झील प्रौजैक्ट संबंधी लैंड एक्विजीशिन की डेट दो–तीन महीने बाद खत्म ही होने वाली थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बाकायदा तौर पर मुआवजा देने का काम किया था और यही वजह है कि आज वहां पर 108 एकड़ जमीन में वाटर रिजरवॉयर बनकर खड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों की कुछ जमीन पड़ती थी इसलिए उन्होंने इसको भरने वाली लीडिंग चैनल पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से स्टे करवा दिया और यही कारण है कि आज 108 एकड़ में स्थित यह वाटर रिजरवॉयर पानी से नहीं भर पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में आदेश भी किए हुए हैं कि वाटर रिजरवॉयर को बाई पास लीडिंग चैनल का जल्दी निर्माण करके भरा जाये। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अगर यह चैनल भर जाता है तो इससे मेवात क्षेत्र के कई गांवों को बहुत फायदा होगा । इसके साथ ही साथ जो दिल्ली एन.सी.आर. का एरिया है, जहां पर वाटर रीचार्जिंग की बहुत आवश्यकता है या यूं कहें कि एन.सी.आर. के इस एरिया में 5000 एकड़

का डिप्रेशन (डहर) है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं हैलीकॉप्टर से इस क्षेत्र का दौरा भी किया है, इसके नजदीक कोटला झील प्रौजैक्ट पड़ता है। अगर कोटला झील प्रौजैक्ट का वाटर रिजरवायर पानी से भर दिया जाता है तो पूरे मेवात के साथ–साथ राजस्थान तक वाटर रीचार्जिंग का फायदा पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त नैशनल हाइवे के नज़दीक अलवर रोड पर स्थित इस कोटला झील प्रौजैक्ट को टूरिज्म व फिशिंग स्पॉट की तरह भी प्रयोग किया जा सकेगा। अतः निवेदन है कि इस काम को जल्द से जल्द करवाया जाये और जहां तक मेवात कैनाल के निर्माण की बात है साल्हावास से 600 क्यूसिक की मंजूरशुदा मेवात कैनाल बनायी जाए। फिलहाल प्रपोजल अनुसार 300 क्यूसिक की पाईपलाइन डाली जाए जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाना है कृपया इसे जल्द बनाकर इसके इनाउग्रेशन की डेट भी बताई जाये (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जाकिर जी, अब आपने अपनी बात रख ली है। आप कृपया बैठिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैनः सर, मैं एक–दो महत्वपूर्ण बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिस तरह से पानीपत से पलवल वाया सोहना रेलवे लाईन मंजूर हुई उसी तर्ज पर गुड़गांव–अलवर वाया नूंह यात्री रेल लाइन का जल्द निर्माण करवाया जाये जिसका सर्वे वर्ष 1973–74 में रेलवे विभाग द्वारा किया जा चुका है । इसके अलावा मेवात यूनिवर्सिटी बनाई जाये और मेवात क्षेत्र के लोगों के हैवी ड्राईविंग लाइसैंसिज का नवीनीकरण किया जाये तथा नये बनाए जायें । मेवात के 9 गांवों जैसे रेवड़ी, कंवरसीका, रेवासन आदि गावों के किसानो को भूमि अधिग्रहण का बढ़ाकर मुआवजा दिया जाये व उनकी अन्य मांगे मंजूर की जाए । इंडियन आइडल सीजन–10 में मेवात क्षेत्र के विजेता सलमान अली को 1 करोड़ रुपये, रिहायशी प्लॉट व उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देकर सम्मानित किया जाये। (विघ्न) दुवालू व उलेटा माईनर की खुदाई की जाए तथा कुरथला में महिला कॉलेज बनाया जाए । नूँह से अलवर फोरलेन मार्ग भी बनाया जाए तथा युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाए।

श्री अध्यक्षः जाकिर जी, सदन के नेता अपनी बात रख रहे हैं। आप प्लीज बैठिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव यही है कि हमारी सरकार वाटर रिचार्जिंग व वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तथा वाटर से जुड़ी हर बात पर बहुत

ध्यान से काम कर रही है। मैं आज इस सदन के माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ। किसाऊ और लखवार डैम दो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जिनके पानी के प्रयोग करने बारे आस–पास लगते स्टेट्स में कुछ विवाद बने हुए थे लेकिन अब इस बारे में इन स्टेट्स से बातचीत हो चुकी है। हमने भी अपने प्रदेश की तरफ से एम.ओ.यू. के लिए एन.ओ.सी. जारी कर दिया है और इस प्रकार बहुत जल्द ही एम.ओ.यू. फाइनल हो जायेंगे और उसके बाद शीघ्र ही इन दोनों डैम्ज पर काम शुरू हो जायेगा। यह अलग बात है कि इसके निर्माण में 2–3 साल का जो समय लगेगा वह तो स्वाभाविक सी बात है कि लगेगा। इन डैम्ज के बनने के बाद हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जायेगा क्योंकि एग्रीमैंट के हिसाब से हरियाणा प्रदेश को लखवार डैम का 47 परसेंट पानी का हिस्सा मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश के लिए पर्याप्त पानी सुलभ हो, इसकी चिंता हमारी सरकार बराबर कर रही है। जहां तक किसानों की आय व मुआवजे की बात है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसलिए लागू की गई थी कि क्योंकि राज्य अपनी एक सीमा से बाहर किसानों को मुआवजा नहीं दे पाते थे इसलिए थोड़ी राशि लेकर, बीमा कंपनियों के माध्यम से अधिक मुआवजा किसानों को दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। अध्यक्ष महोदय, अकेले सिरसा जिले में किसानों को इस योजना के माध्यम से 29 करोड़ रूपया मुआवजे के तौर पर मिला है और मैं खुद वहां जाकर किसानों से मिलकर आया हूँ। वहां के किसान इस योजना के कारण बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे थे। उनकी कपास और दूसरी प्रकार की फसलों का मुआवजा भी इस योजना के माध्यम से दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, हमको किसान की फसल का नुकसान होने की कोई प्रसन्नता नहीं है लेकिन फसल का नुकसान होने के बाद उसका मुआवजा अच्छा मिल जाये यह हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इससे किसान को भी अच्छा लगता है और सरकार को भी अच्छा लगता है और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मुआवजा देने के बावजूद सरकार पर कोई वजन नहीं पड़ता। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि आई.सी.आई.सी.आई लोमबार्ड बैंक की कंपनी भिवानी जिले के किसानों की इंश्योरैंस की 26 करोड़ रुपये की राशि लेकर भाग गई है, उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है वास्तव में असल मामला यह है कि भिवानी जिले के 20 गांव हैं जिनके किसानों का मुआवजा संबंधी विषय टेक्निकल कमेटी के पास गया हुआ है। हमने भी इस संबंध में बात की है तो बताया गया है कि 15 दिन के अन्दर यह सारा मामला सोल्व हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल कमेटी के कुछ आब्जैक्शंज हैं और उनकी तरफ से कुछ डाटा मांगा गया था जिसको सरकार ने भेज दिया है और मुझे लगता है कि भिवानी के 20 गांवों का जो यह मामला है, जल्द ही सौल्व हो जायेगा।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना से केवल मात्र बीमा कंपनियों को ही फायदा हो रहा है और किसान को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की तसदीक करने वाला मेरे पास पूरा डाटा उपलब्ध है। वास्तव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बीमा कंपनियों को 16 हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। (विघ्न) किसान लूट योजना ही आज यह योजना बनी है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ढुल साहब को यह बात नहीं कहनी चाहिए कि किसान को फायदा नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री पिरथी सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं भी आपके माध्यम से अपने क्षेत्र में पानी की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः पिरथी जी, पानी के बारे में तो सारी बातें हो चुकी हैं अब फसल बीमा योजना के बारे में बात हो रही है। अतः आप प्लीज बैठिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि इस योजना के माध्यम से बीमा कंपनी अपना मुनाफा कमा रही हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, सदन के नेता जवाब दे रहे हैं और आप उनको बोलने में बाधित कर रही हैं क्या आपके समय में भी ऐसा ही सिस्टम था। आप जब जी चाहे बिना मेरी इजाजत के उठकर बोलने लग जाती हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जवाब देना शुरू किया है तब से आप 10 बार उठकर बिना इजाजत के बोलने लग गई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस तरह मेरी अवाज को नहीं दबाया जा सकता।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूं तो आपको पता चल जायेगा कि आप अकेले कितना समय बोली और दूसरे सदस्य कितना समय बोले। आप प्लीज बैठिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने दें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहती हूँ । जब भी मैं बोलने के लिए उठती हूँ तभी आप कहते हैं कि आप बैठ जाइये। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम तथ्यों के आधार पर ही सदन में बात करेंगे। फसल बीमा के संबंध में जो काम हरियाणा सरकार के करने लायक होंगे वे काम हरियाणा सरकार जरूर करेगी और जो काम केन्द्र सरकार की तरफ से करने के होंगे तो हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि किसी तरह से काम हो और उसके लिए हम केन्द्र सरकार को चिट्ठियां भी लिखेंगे। फसल बीमा कम्पनियों को पैसा दो हैड के माध्यम से जाता है। एक हैड किसान का होता है और दूसरा हैड सरकार का होता है। अध्यक्ष महोदय, लगभग टैंडर की प्रक्रिया के द्वारा 10–11 प्रतिशत प्रिमियम फसल बीमा कम्पनियों को जाता है। उस प्रिमियम में मात्र 2 प्रतिशत प्रिमियम किसान को देना होता है और बाकी 8–9 प्रतिशत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार 50–50 के अनुपात में अपना–अपना हिस्सा फसल बीमा कम्पनियों को देती है। अध्यक्ष महोदय, जब हम फसल बीमा कम्पनियों को दिया हुआ पैसे का हिसाब लगाते हैं तो उस समय 11 प्रतिशत का हिसाब लगाते हैं। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना के तहत फसल बीमा कम्पनियों ने हजारों करोड़ रूपये कमाए हैं और अभी तक केवल 7 हजार करोड़ रूपये ही किसानों को मुआवजे के तौर पर मिला है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि पहले बहन किरण जी फसल बीमा के विषय को समझे। पहली बात तो यह है कि सारा पैसा किसानों के द्वारा दिया हुआ नहीं होता है। किसान का तो सिर्फ 2 प्रतिशत ही प्रिमियम दिया होता है। इस संबंध में श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सही तथ्य सदन में पेश करेंगे।
श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पिछले तीन साल का रिकॉर्ड है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में फसल बीमा

कम्पनियों ने 890 करोड़ रुपये किसानों को मुआवजा के तौर पर दिया है। जबकि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और किसानों ने मिलकर 668.28 करोड़ रुपये फसल बीमा कम्पनियों को दिया है। उसमें से किसान का केवल 323 करोड़ रुपये है। इस तरह से हरियाणा में तो फसल बीमा कम्पनियां लूटी है। फसल बीमा कम्पनियों के संबंध में कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण गलत बयानबाजी करना बंद कर दे। मोटे तौर पर फसल बीमा कम्पनियों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, किसानों के क्रेडिट कार्ड से प्रिमियम ज्यादा काटा जाता है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि किसान नहीं लूटा है बल्कि फसल बीमा कम्पनियां लूटी हैं। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा कम्पनियां मुआवजा देने के नाम पर भाग रही हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कोई भी फसल बीमा कम्पनी भाग नहीं रही है बल्कि सभी कम्पनियां मुआवजा दे रही हैं। (विघ्न)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में एक खबर सदन में दिखाना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, अखबारों की बहुत सी खबरें सच्ची नहीं होती है। (विघ्न) बहन किरण जी और ढुल साहब कृपा करके आप अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाइये। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि हम विषय को बिना तथ्यों के इधर–उधर घुमाएंगें तो यह सारा विषय जनता के सामने आ जाता है। जब हमको हकीकत पता होती है कि फसल बीमा कम्पनियों को प्रिमियम राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और किसान तीनों का मिलकर गया है और उससे भी ज्यादा मुआवजा किसानों को मिल चुका है तो यह चर्चा का विषय नहीं बनता। अध्यक्ष महोदय, अभी सिरसा के 77 गांवों व भिवानी के 20 गांवों में मुआवजे की राशि मिलने से फसल बीमा कम्पनियों द्वारा दी गई राशि में और ज्यादा इजाफा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह तथ्य बता रहा हूँ कि फसल बीमा कम्पनियों का कुल मिलाकर 10 साल का पीरियड होता है। उस पीरियड में कभी एक साल कम पैसा

मिलता है और कभी एक साल ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि नुकसान अलग–अलग होता है। फसल बीमा कम्पनियों को लगातार पैसा मिलता रहता है। किसी साल फसल बीमा कम्पनियों को 100 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 800 करोड़ रुपये या फिर 1000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। 10 साल के पीरियड में कितना पैसा फसल बीमा कम्पनियों के पास आया और कितना पैसा मुआवजे के तौर पर दिया उसका हिसाब लगता है। अध्यक्ष महोदय, जो नुकसान होता है वह तय नहीं होता है कि वह इस साल इतना नुकसान होगा। फसल का बीमा इसलिए कराया जाता है अगर कभी किसान पर अचानक से फसल के नुकसान के कारण आर्थिक बोझ आ जाए तो उसको इतना पैसा मिल जाए कि वह अपना रोजमर्रा का खर्च निकाल सके । बीमा करवाने की भावना यह नहीं होती कि 1 जमा 1 हर साल 2 होते जाएंगे । इसी तरह से सॉफ्ट लोन का विषय है । इसको 'शॉर्ट टर्म लोन' भी कहा जाता है । यह लोन कॉऑपरेटिव बैंको द्वारा किसानों को बिना ब्याज के दिया जाता है यानि कि यह लोन पिछले 3 साल से किसानों को जीरो परसैंट इंट्रस्ट पर दिया जा रहा है । (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, यह लोन कब से दिया जा रहा है ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, यह लोन पिछले 3 साल से जीरो परसैंट इंट्रस्ट पर दिया जा रहा है ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोन इस सरकार ने ही देना शुरू किया है या फिर यह लोन पिछली सरकारों के समय से दिया जा रहा है ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 3 साल से ऐसी व्यवस्था की है कि 'शॉर्ट टर्म लोन' के लिए किसानों से कोई ब्याज नहीं लिया जाता है । (विघ्न) इस बारे में जो भी रिकॉर्ड होगा वह हम अगले सत्र में सदन की मेज पर रख देंगे । इससे यह भी पता चल जाएगा कि हमारे सरकार से पहले इस लोन की एवज में किसानों से ब्याज लिया जाता था या नहीं लिया जाता था । इसके अलावा किसानों से 3 साल पहले लोन पर ब्याज लिया जाता था या नहीं यह जानकारी विभाग देगा । हम विभाग से इस लोन के बारे में सारी जानकारी ले लेंगे और सदन में इस बारे में सारी जानकारी विभाग से आंकड़े लेकर दे देंगे । (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, इसका अर्थ यह हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदन में विदआउट इंफर्मेशन बोल रहे हैं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, 3 साल पहले इस लोन के लिए क्या व्यवस्था थी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा । मैं सदन में इस लोन के विषय में आज की व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहा हूं । (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, इसका अर्थ यह हुआ कि सी.एम. साहब को इस बात की जानकारी नहीं है कि 3 साल पहले इस लोन के लिए क्या व्यवस्था की गई थी । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, अब मैं अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना 'भावान्तर भरपाई योजना' के बारे में सदन को जानकारी देना चाहूंगा । इस योजना में चार सब्जी की फसलों को शामिल किया गया है और किसान को कम भाव मिलने की स्थिति में एक सुरक्षा दी गई है । यह योजना बड़ी ही सफलता से चल रही है । आलू की फसल जोकि इस योजना में 1 फरवरी से शुरू होती थी हमें शिकायत मिली कि बाजार में कच्चा आलू सस्ते भाव पर बिक रहा है तो हमने आदेश जारी कर दिए कि 29.12.2018 से ही आलू को 'भावान्तर भरपाई योजना' में कवर किया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार ने यह किसानों के लिए एक अच्छी योजना शुरू की है । इस पर तो किसी को कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, यह बात हम सभी को समझनी होगी कि जो भी किसान आलू, गोभी, टमाटर की फसल उगाता है तो वह सरकार के पास जाकर बताए कि मैंने ये सब्जियां उगाई हुई हैं और मुझे इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है । (विघ्न) अब सरकार तो किसान के पास जाकर जबर्दस्ती से उसकी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती कि बताओ तुमने कौन–सी फसल लगाई है । (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने किसानों ने फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया है ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, हजारों किसानों ने अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाया है ।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने यह योजना चलाकर एक अच्छा काम किया है । आप सभी को इसकी तारीफ करनी चाहिए और आप इसकी भी आलोचना कर रहे हो ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा इस योजना का इम्पलीमैंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है । सरकार को इसको लागू करने के तरीके को दुरूस्त करना चाहिए । मैं मानता हूं कि इस योजना के पीछे सरकार की भावना अच्छी है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि जब भी कोई नई योजना बनती है तो उसके इम्पलीमैंटेशन की जिम्मेवारी बहुत लोगों की होती है । यह जिम्मेवारी सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकों इत्यादि बहुत–से लोगों की होती है । इन सभी को अपने–अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को सरकार की इस तरह की योजनाओं से अवगत करवाकर जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि सभी लोग इस येाजना से किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं । इस कार्य में विपक्ष पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष तो लोगों को यह कहकर भड़काता है कि आप लोगों को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का प्रीमियम जमा करवाने की जरूरत नहीं है । लोगों को यह भी कहा जाता है कि आपको बिजली के बिल भी भरने की कोई जरूरत नहीं है । इन लोगों की इन्हीं बातों के कारण ग्रामीण और किसान जिनको सरकार की अच्छी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वे बेचारे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं । (विघ्न)

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, लोगों को जागरूक करना संबंधित विभाग की जिम्मेवारी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जन जागरण की जिम्मेवारी हम सबकी है। (विघ्न)

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमैंट के पास अपना आई.ई.सी. का बजट होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी ने यही कहा है कि लोगों को जागरूक करना विधायकों की भी जिम्मेवारी है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, लोगों को जागरूक करना विधायक की भी जिम्मेवारी होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा सभी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राम चन्द जी, माननीय विधायक लोगों को जानकारी तो देंगे कि सरकार की ये योजनाएं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी यही कहा है कि योजनाओं की जानकारी देना सभी माननीय विधायकों की ड्यूटी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कम्बोज जी, विधायक की ड्यूटी केवल आलोचना करना ही नहीं है। प्लीज, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) कम्बोज जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, सब्जियां बोने वाले 18,000 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है जिसमें 48,000 एकड़ जमीन में सब्जियां उगाने का रजिस्ट्रेशन हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसमें 1 प्रतिशत किसानों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जितने किसान सब्जियां बोएंगे उतने ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गन्ना बोने वाले किसान भी सब्जियां बोने वालों में रजिस्ट्रेशन करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सब्जियां बोने वाले एक प्रतिशत से ज्यादा किसान नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, सब्जियां बोने वाले किसान ज्यादा नहीं होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शर्मा जी, ठीक है। मान रहे हैं इस बात को कि एक प्रतिशत किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस तरह से किसी अच्छे काम की शुरूआत तो हुई है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है वह ठीक है। माननीय सदस्य बाकी और किसानों को भी कहें कि वे रजिस्ट्रेशन करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुलदीप जी, किसी अच्छे काम की शुरूआत तो हुई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं तो कुछ नहीं कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, यह केवल सब्जियां बोने वाले किसानों के रजिस्ट्रेशन की ही बात हो रही है, सारे किसानों की बात नहीं हो रही है। यह केवल सब्जियां बोने वाले किसानों की ही बात हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की जिम्मेवारी है। विभागीय अधिकारी माननीय मुख्य मंत्री जी को मिसगाईड कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के नेता हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मुझे कोई भी मिसगाईड नहीं कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शर्मा जी, कहीं कोई मिसगाईड नहीं कर सकता। यह मिसगाईड करवाने वाला प्रोग्राम पहले होता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन में यह बात शर्मा जी को कहना चाह रहा हूं कि अगर ये ठीक आंकड़ें लाकर देंगे तो मैं इनकी गाईडैंस को मान लूंगा। इसी प्रकार बाजरे के लिए लगभग पौने 2 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और यह डिक्लेयर किया था कि किसान अपना बाजरा रजिस्टर्ड करवाएं, उसके बाद जो बाजरा मंडियों में बाजार भाव में बिकेगा, आप बेच आएं। इसमें 1950/–रूपये के बीच में जो गैप होगा उस गैप का सारा पैसा सरकार देगी और किसानों को 1950/– रूपये के हिसाब से बाजरे का पैसा दिया जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रत्येक किसान के खाते में 1950/– रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरे की फसल का पैसा दिया है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर किसानों के एकाउंट में कम पैसे आए हों कोई भी बता दे। इसी प्रकार से 5 एकड़ के मुआवजे की भी बात आयी थी जिसके बारे में हमारे माननीय मंत्री जी ने बता दिया था क्योंकि इस बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट का नियम है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहले मेरी बात तो सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कम्बोज जी, आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप पहले सदन के नेता को अपनी बात पूरी करने दें। आप अपना पिछला रिकार्ड निकालकर देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसको 5 एकड़ तक ही फसल का मुआवजा मिलेगा। इससे ऊपर जमीन पर मुआवजा नहीं मिलेगा। इस बात की सदन में भी चर्चा की गयी थी और यह सैंट्रल गवर्नमैंट का पैरामीटर भी है। इसमें कोई बात छुपायी नहीं गयी है लेकिन सिरसा जिलें में जिन्होंने मुआवजे का वितरण किया है उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए हम इस मामले की इन्कवायरी करवायेंगे कि यह किस कारण से हुआ, किस अधिकारी का दोष है, किसकी मिलीभगत है या कोई और मामला है, उन सबकी इन्कवायरी करवाकर दोषी को भी दण्डित करेंगे। चूंकि यह ऑडिट पैरा भी बन गया है। इससे पहले भी जिसको ज्यादा पैसा चला जाता था तो हमेशा संबंधित किसान से ही रिकवरी होती रही है। छोटे सामान्य किसान से पैसे वापिस लिये जाएंगे ऐसी बात नहीं है। जो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन का किसान है वह 5 एकड़ तक मुआवजे का पैसा अपने पास रखेगा और उससे ज्यादा जो पैसा उन्हें मिला है, वह पैसा वापिस लिया जाएगा। इसमें जिन किसानों के पास ज्यादा पैसा गया है, वह पैसा वापिस लेने के लिए नियम के अनुसार नोटिस दिये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात कह रहा था कि ये जो पॉलिसी बनायी है उसके अनुसार अगर किसी किसान के पास 15–20 एकड़ जमीन है और उसकी सारी की सारी फसल खराब हो गयी है तो उसको सारी फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन 10 गांवों के किसानों का ज्यादा मुआवजा देने के बारे में रिकवरी नोटिस मिलने का जिक्र किया है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि नियम के अनुसार उनका मुआवजा वापिस लेना ही पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कम्बोज जी, जो नियम है उसमें क्या कर सकते हैं ? अब कह दिया है कि 5 एकड़ तक फसल का मुआवजा देंगे तो 5 एकड़ तक का ही मुआवजा दिया जाएगा। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 3 बार समझा दिया है।

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे मेरे हल्के की समस्या पर बोलने नहीं देना चाहते, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष: कम्बोज जी, आप अपनी बात रख चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, अगर किसी किसान के पास 15 एकड़ जमीन है और उसकी सारी फसल खराब हो गयी है तो उस किसान को इस पॉलिसी के हिसाब से सारी फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा इसलिए मुख्यमंत्री जी उस पॉलिसी में बदलाव तो कर सकते हैं ताकि किसानों को पूरी फसल का मुआवजा मिल सके।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल गवर्नमैंट के रूल्ज में 5 एकड़ तक ही फसल के मुआवजे का प्रावधान है।

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है और उनमें से जिनके पास 8–10 एकड़ जमीन है वह सारी फसल तबाह हो गयी है परन्तु उन किसानों को 5 एकड़ तक ही फसल का मुआवजा मिलेगा।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जिस किसान को नुकसान हुआ है उसके लिए यह एक सरकारी हैल्प है। जो छोटे किसान हैं उनके लिए ही यह हैल्प वाजिब होती है। बड़ा किसान 5 एकड़ फसल का मुआवजा लेकर बाकी नुकसान सहन कर सकता है। आखिर किसान का भी अपना काम है वह सहन करेगा। वैलफेयर स्टेट में जो छोटा किसान है जिसका वैलफेयर करना होता है, ये स्कीमें उन्हीं के लिए बनती हैं। बड़े किसानों के लिए स्कीमें नहीं बनती हैं। इसलिए हम इस स्कीम में बदलाव नहीं कर सकते। यह हैल्प 5 एकड़ तक ही मिलेगी।

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, किसानों का गला काटा जा रहा है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों की भलाई कर रही है। 5 एकड़ तक ही फसलों का मुआवजा मिलेगा और 5 एकड़ से ऊपर जमीन का मुआवजा जिन किसानों के पास गया है, वह पैसा वापिस लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे ढुल साहब ने बहुत से विषय रखे हैं और जब ढुल साहब कोई विषय रखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका विषय केवल जुलाना तक ही सीमित है, परंतु किसान तो पूरे हरियाणा में है। जुलाना की समस्या अलग प्रकार की है, चाहे वह सड़कों की हो या चाहे पानी भराव की हो। मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहूंगा कि हम कुल मिलाकर इनके हल्के की समस्याओं का भी खूब हल करते हैं। मैं स्वयं जुलाना में गया था और वहां पर इन सारी चीजों को देखकर आया था। मैं वहां पर दो नए प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा करके आया था और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कोई भी काम करने में समय लगता है।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये करनाल की भी बात कर लें। इन्हें मालूम नहीं है, वहां पर सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मुझे करनाल के बारे में सब कुछ मालूम है, मैं करनाल को अच्छी तरह से जानता हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं करनाल में ही रहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वहां पर सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि मुझे करनाल के बारे में सब कुछ पता है और इनका करनाल में जो हाल हुआ है, अगर मैं उसका बखान कर दूंगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने राज्य में जातिवाद फैलाया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण देव कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, राज्य में जातिवाद हमारी पार्टी नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने फैलाया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वहां पर ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, फिर भी वहां पर इनका हाल बहुत बुरा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि करनाल में तो मण–मण की गाली देने वाले सब दल इकट्ठे हो गए थे और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति का कुन्बा जोड़ा, इस प्रकार का इन्होंने कुन्बा जोड़ा था। वहां पर दल अलग–अलग थे, लेकिन जब वे सभी दल इकट्ठे हुए तो वे दल नहीं रहे, सारे दलदल हो गए।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये तो वहां पर घर–घर और गली–गली घूमे थे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि मैं वहां का विधायक हूं और मुझे अपने क्षेत्र में काम करना ही करना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव में मुख्यमंत्री जी वोट मांगने गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अभी एक विषय गिरदावरी का आया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश बरवाः अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि :–

''सभी तरफ है हा–हाकार, जनता को भूल बैठी भाजपा सरकार।''

(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बरवा जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हम तो सोचते थे कि जनता इनको चारों खाने चित करेगी, लेकिन संयोगवश ऐसा हो गया कि जनता ने इन्हें पांचों खाने चित कर दिया। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि ये जनता की चिंता छोड़ दें।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, जनता ने इन्हें हिसार से लेकर यमुनानगर तक चित कर दिया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक गिरदावरी का विषय है तो मैं बताना चाहूंगा कि अधिकारी या विभाग गिरदावरी करता है तो कभी–कभी उसमें कमी रह जाती है और जो रिपोर्ट आती है, वह हमको भी ध्यान में रहता है। हमने नए सिस्टम बहुत बनाए हैं, लेकिन एक नया सिस्टम अभी हमारे ध्यान में आया है और जिसे हम आज के बाद शुरू करेंगे। इस नए सिस्टम में हम यह करेंगे कि जहां कहीं भी जल–भराव, ओलावृष्टि या किसी और कारण से फसलों को नुकसान हुआ है, उसका हमारा रेवेन्यू विभाग या एग्रीकल्चर विभाग एक पोर्टल बनाएगा और वे सबसे पहले किसान की सैल्फ डिक्लरेशन लेंगे। किसान को उन कम्पनियों को तो इन्फॉर्मेशन देनी ही है, लेकिन इसके साथ–की–साथ उसे हरियाणा सरकार को भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। (विघ्न) किसान स्वयं अपनी इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि आज गांव–गांव के अंदर हमारे सांझा सेवा केन्द्रों और अटल सेवा केन्द्रों में वी.एल.ई. कम्प्यूटर लेकर बैठे हुए हैं। किसान वी.एल.ई. के पास जाएं और उस पोर्टल में अपने गांव का अपना किला नम्बर निकाले और उसमें क्या नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी उस पोर्टल में भरें। उसके बाद हम उसकी डबल चेकिंग एग्रीकल्चर

डिपार्टमैंट और रेवेन्यु डिपार्टमैंट से करवाएंगे। गिरदावरी वाली समस्याएं कितनी कम हो सकती हैं, उसका हम प्रयत्न करेंगे। हम इस तरह की योजना इसलिए बना रहे हैं ताकि किसानों का कम्पनियों या बैंकों के साथ अगर कोई मतभेद होता है तो हम उनके साथ खड़े हो सकें। किसानों को हर प्रकार की जानकारी विभाग को देनी पड़ेगी । जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उस किसान को स्वयं जानकारी संबंधित विभाग को देनी पड़ेगी । अध्यक्ष महोदय, संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी किसान के पास जाकर फसल से संबंधित जानकारियां इक्ट्ठी करें, ऐसा अभी कोई प्रोविजन नहीं है । अध्यक्ष महोदय, भविष्य में आपके माध्यम से इस सदन में हम जो जानकारी देंगे वह किसान से पहले लेंगे, ऐसा करने के लिए हम विचार कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात बिल्कुल ठीक है लेकिन आपने पिछले सत्र के दौरान कहा था कि किसानों को एक टोल फ्री नम्बर मुहैया करवायेंगे । जहां किसानों की फसलें खराब हुई हैं वे अपना नाम दर्ज करवा दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जैसा कि एक पोर्टल सिस्टम बनाया है उसी तरह से ही एक टोल फ्री नम्बर की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है कि वर्ष 2017 में हलका जुलाना के 29 गावों की खरीफ फसल में भारी बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ था और इस बार भी वर्ष 2018 की खरीफ फसल में भी लगभग 50 गांवों में भारी बारिश की वजह से फसलों को बहुत नुकसान हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के जुलाना में किसानों की 50,000 एकड़ की फसल बारिश के कारण खराब हो गई है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन किसानों को हरियाणा सरकार मुआवजा देकर न्याय करेगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ढुल साहब को बताना चाहूंगा कि आखिर जिन किसानों की फसलें बारिश के कारण खराब हुई हैं, उनकी जानकारियां लेकर ही फसल के नुकसान का मूल्यांकन किया होगा । अध्यक्ष महोदय, जो जानकारियां विभाग के रिकॉर्ड में आईं हैं उसी के हिसाब से ही किसानों को मुआवजा देकर के न्याय करेंगे। आज फसलें कटकर के मंडियों में बिक चुकी हैं

इसलिए फसल के नुकसान का पुर्नमूल्यांकन करना संभव नहीं होगा । (शोर एवं व्यवधान) हां, जहां कहीं अभी जल भराव के कारण से फसलें खराब हुई हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मूल्यांकन करना या न करना यह एक अलग बात है । चाहे तो आप इसके बारे में वहां के किसानों से पता कर लें । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अभी तक उन किसानों को मुआवजे के रूप में कोई न्याय नहीं मिला । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री परमेन्द्र सिंह ढुल जी को बताना चाहता हूं कि जुलाना में 6218 एकड़ फसल खराब हुईं और यह आंकड़ा मैंने पहले ही ठीक कर दिया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परमेन्द्र जी, आपने अपनी बात रखी ली है । प्लीज आप बैठ जायें । (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी ने आपकी बता का जवाब दे दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में बीमा कम्पनियों किसानों का पैसा लेकर भाग गई हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फसल बीमा कम्पनियों द्वारा वर्ष 2017 में खरीफ फसल का भिवानी जिले में 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो बचे हुए जिले हैं उनका भुगतान कब तक होगा ? (शोर एवं व्यवधान) जैसा कि टोल फ्री नम्बर की बात की जा रही है जो आपने पोर्टल की बात कही है, उसको सरकार का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी फॉलो–अप नहीं कर रहा है। क्या सरकार उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि हम अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से भी कार्रवाई करवायेंगे और सरकार के माध्यम से भी कार्रवाई करवायेंगे । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जहां–जहां ओलावृष्टि हुई, उसकी गिरदावरी भी करवायेंगे और मुझे लगता है कि

इस समय गिरदावरी चल रही होगी । जो रनिंग गिरदावरी होती है वह स्पैशल नहीं होती है क्योंकि वह रनिंग गिरदावरी में ही कवर हो जायेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी तक गिरदावरी नहीं हो पाई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि जो सारी गिरदावरी होनी है वह अब होनी है । जिन–जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वह उसमें ही कवर हो जायेगा । पिछले वर्ष किसानों की जली हुई फसल के बारे में घोषणा हुई थी कि जली हुई फसल का रेट तय करके उसका 10 हजार या 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देंगे । उसमें से संबंधित एरिया के डी.सीज. ने केस बनाकर भेज दिये हैं और उनको मुआवजा मिल भी चुका है । कई बार डी.सीज. के पास किसी कारणवश से जो केसिज रुके हुए थे, उन केसिज के लिए मैंने आज ही डी.सीज. को एक सर्कुलर भेज करके निर्देश दे दिया है कि तुरन्त मुआवजे की और डीजल के बचे हुए पैसों की जानकारी लेकर सरकार को भेजी जाए ताकि शीघ्रअतिशीघ्र भुगतान करवाया जा सके । अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनके बारे में आज घोषणा करने का विषय है । पहली बात तो यह है कि इस बात की जानकारी सदन के सदस्यों को दी गई है कि कल ही हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए गन्ने के दाम में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। (**इस समय मेजें थपथपाई गई।**) अध्यक्ष महोदय, पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश में गन्ने का रेट सर्वाधिक है हालांकि 330 रुपये प्रति क्विंटल भी सर्वाधिक था लेकिन इस विषय को लेकर गन्ना किसानों की बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राईवेट शुगर मिलों के बारे में पूछना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य को 10 रुपये के बारे में भी कोई बात कहनी है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परमेन्द्र जी, पहले आप माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि गन्ने के रेट बढ़ाये गए हैं। इस बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मैंने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी यह बात पूछी थी कि जो गन्ना किसानों का 213 करोड़ रुपये शुगर मिलों की तरफ बकाया है, उसके बारे में सरकार का क्या कहना है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय रेट की बात कर रहा हूं । गन्ने के पैसे का बकाया एक अलग चीज है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों का बकाया कौन देगा? यदि किसानों को पिछला बकाया ही नहीं मिलेगा तो फिर गन्ने का रेट बढ़ाने का क्या फायदा हुआ ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, सुबह इस बारे में आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन लगा हुआ था तब आपने इस विषय पर एक शब्द नहीं बोला । (शोर एवं व्यवधान) उस वक्त तो आपने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह बात पूछी नहीं और अब आप पूछ रहे हो । चौटाला जी, आपके पास उस समय यह बात पूछने का पूरा समय था लेकिन आपने इधर–उधर की बातों में कीमती समय को गंवा दिया। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूछ रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के बारे में ही बताना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता अब सिर्फ गन्ने का रेट 10 रुपये बढ़ाने वाली बात की ही चर्चा कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, अब मैं पूरे सदन को को–ऑपरेटिव मिल्ज़ के बकाया के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि प्राईवेट शुगर मिल्ज़ द्वारा 16 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार का काटा जा रहा है क्योंकि सरकार ने इन मिल्ज़ का पैसा नहीं दिया है।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, वर्ष 2016–17 में तो चीनी के रेट्स अच्छे थे जिसके कारण शुगर मिल्ज़ को कोई घाटा नहीं हुआ लेकिन वर्ष 2016–17 को छोड़कर पिछले तीन साल चीनी मिल्ज़ को लगातार घाटा होता रहा है। को–ऑपरेटिव मिल्ज़ के सारे के सारे घाटे को तो सरकार ने कम्पनसेट कर लिया। इसके अलावा प्राईवेट शुगर मिल्ज़ को पहले दो साल के दौरान हमने लोन दिया था लेकिन पिछले साल केन्द्र की ओर से भी एक विषय आया था कि लगातार शुगर मिल्ज़ घाटे में जा रही हैं तो प्राईवेट शुगर मिल्ज़ भी लगातार इस घाटे को सहन नहीं कर पायेंगी इसलिए प्राईवेट शुगर मिल्ज़ के घाटे को भी सरकार द्वारा कम्पनसेट किया जाये। उस कम्पनसेशन के लिए एक फार्मूला आया। वह फार्मूला इस प्रकार से था कि एस.ए.पी. (स्टेट एडवाईज़ प्राईस) माईनस एफ.आर.पी., एफ. आर.पी. मतलब रिकवरी के हिसाब से जो उनको चीनी की प्राप्ति होती है इसका डिफरैंस पिछले साल का 16 रूपये आया था। हमने वह 16 रूपया सीधा किसानों के खाते में दिया। अभी यह पैसा यमुनानगर शुगर मिल का दिया जा चुका है अर्थात् जो पैसा यमुनानगर शुगर मिल की तरफ से किसानों को दिया जाना था उसका पूरे का पूरा भुगतान किया जा चुका है और अब किसानों का यमुनानगर शुगर मिल की तरफ कोई बकाया नहीं है। इन दोनों मिलों में एक शर्त साथ में ये भी थी कि ये 16 रूपये रिलीज़ करते समय उनका पिछली बकाया कितना है वह टर्म्ज़ के हिसाब से उन्होंने पूरा किया या नहीं किया यह देखा जाये ? उसमें उनका थोड़ा सा विवाद भी हो गया था और विवाद में कोई लैंग्वेज का भी विवाद था। आखिरकार हमने सारी की सारी बातचीत करने के बाद दोनों शुगर मिल्ज़ के ऑडिट करवाकर दोनों का पैसा रिलीज़ करने के ऑर्डर कर दिये हैं कि 16 रूपये का डिफरैंस किसानों के खाते में चला जाये। ये 16 रुपये या तो किसानों के खाते में चले गये होंगे या फिर एक–दो दिन में चले जायेंगे। यह 16 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से डिफरैंस सरकार दे रही है इसलिए हमने यह तय किया कि यह 16 रूपया हम शुगर मिल्ज़ को नहीं देंगे बल्कि यह 16 रूपया सीधा–सीधा किसानों के खाते में ही जायेगा और बाकी का जो बकाया पैसा है वह सम्बंधित शुगर मिल्ज़ देंगी। (विघ्न) **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।)**

श्रीमती किरण चौधरी : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जो प्राईवेट शुगर मिल्ज़ हैं जिनके ऊपर

किसानों का 12–13 करोड़ रुपया बकाया है क्या सरकार उनसे यह पैसा भी रिकवर कर रही है।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं यही बता रहा हूं कि उस रिकवरी का ही फार्मूला बनाकर के और उनसे एक कमिटमैंट लेकर के ये 16 रूपये उनको भी रिलीज़ कर रहे हैं ताकि कम से कम किसान को पैसा पहले पहुंच जाये। इसके अलावा सरकार को जिस पैसे की शुगर मिल्ज़ से रिकवरी करनी है इस सम्बन्ध में उनके साथ समझौता करके यह रिकवरी जिस भी फार्मूले से हो सकती है वह सब तय करके उनसे हम ले रहे हैं। इसी प्रकार से हमने भविष्य के लिए भी तय किया है। आगे से हमने यह तय किया है कि भविष्य में जो भी रिकवरी की परसैंटेज होगी उसके हिसाब से रिकवरी की जायेगी। इसके अलावा हमने जो 10 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की है इसका जो गैप होगा उस गैप की भरपाई सरकार सीधे ही किसानों को करेगी। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि सरकार ने गन्ने के रेट में केवल मात्र 10 रूपये की बढ़ोतरी करके उसको 330 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रूपये प्रति क्विंटल किया है जबकि किसान की लागत कईं गुणा बढ़ गई है क्योंकि सरकार ने खाद और पैस्टीसाईड पर जी.एस.टी. लगा दिया है और कृषि से सम्बंधित वस्तुओं पर वैट को भी 9 परसैंट से बढ़ाकर 18 परसैंट कर दिया है इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार को किसानों की गन्ने सहित सभी फसलों के रेट्स भी लागत के हिसाब से ही बढ़ाने चाहिएं।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता बल्कि मैं केवल यही बताना चाह रहा हूं कि पूरे देश में किसी भी प्रदेश ने गन्ने के रेट में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की है। हमारी सरकार द्वारा गन्ने का निर्धारित रेट 330 रूपया प्रति क्विंटल भी पूरे देश के सब प्रान्तों की चीनी मिलों में सर्वाधिक था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत सरकार द्वारा लागत के हिसाब से क्यों नहीं बढ़ायी गई?

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर महोदया, इस सम्बन्ध में तो मेरा यही कहना है कि हमने गन्ने के भाव में लागत के हिसाब से ही बढ़ोतरी की है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज यहां पर एक बहुत ही विचित्र घटना घटी है कि एक व्यक्ति जो हमारे पुराने साथी हैं हम उनका बहुत आदर करते हैं श्री अनिल विज जी, वे आज सुबह से पूरी तरह से चुप बैठे हुए हैं। (हंसी)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से जो पॉवर का विषय पिछले कई सालों से चला आ रहा था वह पॉवर का विषय भी हल हो जायेगा। मैं एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि हमने पॉवर डिपार्टमैंट में बहुत से सुधार किये हैं। हमने बिजली की टैरीफ भी घटाई है और लाइन लॉसिज भी कम किये हैं। लगभग 3 हजार गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम पूरा हो चुका है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा सके। इसके लिए हमने कुछ कंडीसन्ज लगाई हैं कि लाइन लॉसिज कम से कम हो और बिजली के बिल भर दिये जायें तो सरकार उन गांवों में 24 घंटे बिजली देगी। हमने बिल निपटान योजना शुरू की हुई है जिसकी समय–सीमा 31 दिसम्बर तक है और मुझे उम्मीद है कि 31 दिसम्बर तक इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आज के दिन हमने पैनल्टी और इंट्रस्ट में छूट देकर लगभग 2 हजार करोड़ रुपये के मूल बिल प्राप्त किये हैं। पैनल्टी और इंट्रस्ट को छोड़ कर मूल बिल को 6 किश्तों में बिल निपटान योजना के तहत जमा करवाया जा रहा है। इसके तहत लगभग साढ़े आठ लाख डिफॉल्टर्स को फायदा हुआ है। मैं समझता हूं कि पॉवर डिपार्टमैंट के लिए हमने पिछले चार साल में जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उससे बहुत सुधार हुआ है। इससे हमारी रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। केन्द्रीय मंत्रालय जो रैंकिंग बनाता है उसमें हमारा पॉवर डिपार्टमैंट पहले 22वें स्थान पर था जिसमें अब हम 12वें स्थान पर आ गये हैं। पॉवर डिपार्टमैंट से संबंधित ही हमने किसानों के लिए एक योजना और बनाई है। किसानों के ट्यूबवैल्स के कनैक्शन पिछले चार साल के जितने भी पैंडिंग पड़े हैं उनको हम बिजली के कनैक्शन जारी करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले चार साल में वे कनैक्शन जारी क्यों नहीं किये गये?

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, जब हमारी बिजली की पोजीशन में सुधार होगा तभी तो हम काम करेंगे। हमें केवल घोषणाएं ही नहीं करनी हैं बल्कि सुधार करना है। आज हमारे पास इतनी बिजली उपलब्ध है कि हम किसानों को ट्यूबवैल्स के कनैक्शन जारी कर सकें। उसमें से भी 15 हजार ट्यूबवैल्स पर हम सोलर प्रोजैक्ट लगायेंगे जिसमें 75 प्रतिशत हम सब्सिडी देंगे और 25 प्रतिशत पैसा किसान से लेंगे। वह 25 प्रतिशत लगभग उतना ही बनता है जितना खर्च एक नया ट्यूबवैल लगाने में आता है इसलिए किसान के लिए वह बराबर ही पड़ता है। इस प्रकार से 15 हजार सोलर प्रोजैक्ट से तथा 29 हजार बिजली के कनैक्शन कुल मिला कर 44 हजार ट्यूबवैल्स के कनैक्शन हम अगले कुछ समय में जारी कर देंगे। कुछ ही दिनों में उनको डिमांड नोटिस जारी कर दिये जायेंगे और बहुत जल्द यह काम पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर दो फीडर ऐसे भी कर रहे हैं जिसमें उन फीडरों पर जितने भी ट्यूबवैल्स कनैक्शन्ज हैं उनको सोलर पम्प के रुप में इंस्टाल किया जायेगा। कनैक्शन तो पॉवर का भी रहेगा लेकिन उनको सोलर पम्प के रुप में इंस्टाल किया जायेगा। उसमें से किसान को जितनी जरूरत होगी वह फ्री में इस्तेमाल करेगा और अतिरिक्त बची हुई सोलर की बिजली का प्रति यूनिट किसान को 1 रुपये के हिसाब से पॉवर डिपार्टमैंट देगा क्योंकि उसके खेत में इंस्ट्रूमैंट लगा हुआ है। इस प्लांट का सारा खर्च विभाग द्वारा ही वहन किया जायेगा। यह इस प्रकार का एक पायलट प्रोजैक्ट शुरू कर रहे हैं और अगर हमें इसमें सफलता मिली तो इसको और आगे भी बढ़ाया जायेगा। अब एक अंतिम विषय जिस पर सदन में चर्चा हुई है वह जल भराव का है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि जिन किसानों की फसल जल भराव के कारण खराब हुई हैं उनको जो हमारे मुआवजे के रेट हैं वही 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जायेगा और जिन किसानों की जल भराव के कारण अगली फसल की बिजाई भी नहीं हो पाई है उनको 2010 के फार्मूले के तहत प्रति एकड़ 6 हजार रुपये मुआवजे के रुप में दिये जायेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि जिनकी बिजाई नहीं हो सकी उनको भी पूरा 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, क्योंकि उस जमीन पर किसान के द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया है, न ही तो जुताई हुई है और न ही बिजाई हुई है, उसमें

किसान की तरफ से कोई खर्च और मेहनत नहीं की गई है इसलिए उनको 6 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। उसने खर्च ही नहीं किया और कोई मेहनत नहीं की है इसलिए केवल 6 हजार रुपये प्रति एकड़ ही दिया जायेगा। जो बोई हुई फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा 12 हजार रुपये दिया जाता है लेकिन उस 12 हजार में उसका जुताई, बिजाई और खाद का खर्च जुड़ जाता है इसलिए उसको 12 हजार मिलता है लेकिन जल भराव के कारण जब बिजाई ही नहीं हो पाई तो उसको 6 हजार रुपये प्रति एकड़ ही दिया जायेगा। धन्यवाद।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने मंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि जल भराव के कारण किसानों की फसल खराब होने पर सरकार ने गिरदावरी करवाई थी लेकिन अभी तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला है । उसमें किसानों का कहना है कि वह गिरदावरी गलत हुई है । क्या मंत्री जी उस गिरदावरी की जांच करवाएंगे और यदि हां तो किस प्रकार से करवाएंगे ताकि किसानों को न्याय मिल सके लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे पहले पत्र का जवाब देने का कष्ट करें । जिसमें गिरदावरी जानबूझकर गलत की गई है । वहां सारे अधिकारी देख कर आए हुए हैं, इसलिए वहां के किसानों को मुआवजा राशि दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : परमेन्द्र सिंह जी, आप बहुत बोल चुके हैं । प्लीज अब आप बैठ जाइये ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, यदि मंत्री जी मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन की वैल में बैठ जाउंगा ।

उपाध्यक्ष महोदया : परमेन्द्र सिंह जी, ऐसा नहीं होता, प्लीज अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, जब तक मंत्री जी मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तब तक मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन की वैल में बैठता हूं ।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री परमेन्द्र सिंह ढुल मंत्री जी द्वारा उनके पत्र का जवाब न देने के कारण एज ए प्रोटैस्ट सदन की वैल में आकर बैठ गये।)

उपाध्यक्ष महोदया : परमेन्द्र सिंह जी, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठिये ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, जब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक मैं नीचे से नहीं उठुंगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, परमेन्द्र जी कोई शौक से नीचे नहीं बैठे हैं । उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है इसलिए वे वैल में नीचे बैठे हैं ।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं कि रेवैन्यू विभाग के माध्यम से हम उस गिरदावरी की जांच करवा लेंगे और अगर इनकी बात में सत्यता है तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन के नेता से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि जिस ईशू के लिए हमारे विधायक नीचे जाकर धरने पर बैठे हैं या उन्होंने अपनी जो नाराजगी जाहिर की है उस संबंध में सरकार के रेवैन्यू विभाग व इरीगेशन विभाग के सैक्रेटरी दोनों उन 50 गांवों जिनमें पानी भरा था जिनमें से 10 गांव सफीदों के थे उनको देखने के लिए गये थे । उस समय वहां पर डिप्टी कमिश्नर भी थे और वहां रेवैन्यु व इरीगेशन विभाग के दूसरे अधिकारी भी थे । क्या उस वक्त इन सभी चीजों की जानकारियां हासिल नहीं करनी चाहिए थी ?

श्री मनोहर लाल : अभय जी, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी जो अब जांच की बात कह रहे हैं, इन्होंने उसी समय यह जांच क्यों नहीं करवाई ? उस समय इन चीजों की जानकारी क्यों नहीं ली ? इसलिए वहां के विधायक को मजबूर होकर के आज सदन के अन्दर जब उनको अपनी बात का सही उत्तर नहीं मिला तब उनको वहां जाकर के नीचे बैठना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी पहले यह बताएं कि इन्होंने जिन अधिकारियों को गिरदावरी के लिए भेजा था उन अधिकारियों की रिपोर्ट इन्होंने कौन से खाते में डाली है । हमें इसका जवाब दे दीजिये ।

श्री मनोहर लाल : अभय जी, देखिये आज इस विषय की जानकारी दी गई है । इस विषय की जानकारी के बाद अगर हमने कोई एक्शन कहा है तो उस एक्शन के होने के बाद ही कुछ पता लगेगा । जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक आज ही हम यह सब नहीं बता पाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, क्या होगा ?

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी को इस मामले की जानकारी हमने मीटिंग में भी दी थी ।

श्री मनोहर लाल : अभय जी, मीटिंग में जानकारी दी थी लेकिन उसमें हमें यह जानकारी नहीं थी कि उसमें आखिर कितना मुआवजा हुआ, वहां किसानों की फसल का कितना खराबा हुआ है। हमारे पास जो रिकॉर्ड में आया है हम तो उसको ठीक मानकर चल रहे हैं । आज इन्होंने शिकायत की है कि वह ठीक नहीं है । एक शिकायत के आधार पर ही ये चीजें देखी जा सकती हैं । हमने उसका जवाब दे दिया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, उस सारे मामले की जानकारी देने के बाद भी जब उनको जवाब नहीं मिला तब हमारे विधायक को मजबूर होकर यहां सदन में नीचे बैठना पड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदया : आज मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, आज मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं । मुझे लगता है कि इसकी जांच जब तक अगला विधान सभा का सत्र आएगा तब तक भी नहीं होगी ।

विधान कार्य

1. दि हरियाणा एप्रोप्रिऐशन (नं.–4) बिल, 2018

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब वित मंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या–4) विधेयक, वर्ष 2018, प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या–4) विधेयक, वर्ष 2018, प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–4) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–4) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एप्रोप्रिऐशन बिल पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं । पिछली बार जब मैं एप्रोप्रिऐशन बिल पर बोला था तो माननीय वित मंत्री जी ने एक एतराज उठाया था कि इस तरीके की बात एप्रोप्रियेशन बिल पर नहीं हो सकती हैं । मैं आपके

माध्यम से वित मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली है उसके पेज नं. 94 पर एप्रोप्रिऐशन बिल के रूल 203(5) को पढ़ लें । इसके तहत अगर सार्वजनिक तौर से विभागों का कुछ अच्छा हो सकता है तो उसके लिए सुझाव देने का अधिकार हर सदस्य को है और इसके लिए मैंने उपाध्यक्ष महोदया आपसे अनुमति मांगी है। जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है इस रूल के तहत तकरीबन हर विभाग के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा सकती है लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ दिनों से ऑन लाइन एप्लीकेशंज का एक ऐसा तमाशा मचा रखा है जैसेकि उन्होंने ऑन लाइन एप्लीकेशंज का प्रावधान करके कोई बहुत बड़ा सुधार हरियाणा प्रदेश में किया है। आज हर विभाग में जहां भी ऑन लाइन एप्लीकेशंज का प्रावधान है, वहां पर बिजली नहीं होने की वजह से, कंप्यूटर खराब होने की वजह से तथा कहीं अधिकारियों की शरारत की वजह से ऑन लाइन सेवा ठप्प पड़ी रहने से एक तरह से ऑन लाइन फेसिलिटी का तमाशा बना दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। ऑन लाइन सिस्टम खराब होने की वजह से मकानों के नक्शे तक पास नहीं होते हैं और ऐसी हालत में अगर कोई मकान बना लेता है तो फिर अधिकारी, लोगों के घरों को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। दिल्ली में वहां की सरकार ने लोगों को गवर्नेंस एट देयर डोर के नाम से एक सेवा शुरू की है जिसके तहत कुछ स्पेसिफिक नम्बर पर घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी शिकायत या तकलीफ को बताया जाता है। इसके लिए मात्र 13 रुपये की फीस अदा करनी होती है और इस प्रकार समस्या के निवारण के लिए नियुक्त अधिकारी, शिकायतकर्ता के घर आते हैं और बाकायदा तौर पर शिकायत के निवारण का समय निश्चित किया जाता है और उसी निश्चित समयावधि में शिकायत या समस्या का निवारण किया जाता है। इस प्रकार बुजुर्ग, महिलायें, विधवाएं व बेसहारा घर बैठे अपनी समस्याओं को दूर करवा पाने में सक्षम हो रहे हैं। अतः मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं हरियाणा सरकार भी दिल्ली सरकार के इस मॉडल को हरियाणा प्रदेश में ग्रहण करे? जिस प्रकार म्यूटेशंज के नाम पर, नक्शों को पास करने के नाम पर, नाजायज बिजली बिलों के नाम पर लोगों से दफ्तरों में रिश्वत मांगी जाती है, इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए हरियाणा प्रदेश में भी दिल्ली की तर्ज पर बेहतरीन ऑन लाइन सर्विसिज लागू करने का काम किया

जाना चाहिए। जहां तक आर्म्ज लाइसेंसिज की बात है, के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि चूंकि हरियाणा के नौजवान सेहत की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं और यह इस प्रदेश का सौभाग्य भी है, अगर हरियाणा के नौजवानों को अच्छी आर्म्ज ट्रेनिंग देकर, आर्म्ज लाइसेंसिज जारी हों तो उन्हें देश, प्रदेश व विदेश में भी नौकरियां मिल सकती हैं। आज हरियाणा प्रदेश के हर जिले में आर्म्ज लाइसेंस का ऐसा तमाशा बना हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर्ज भी आर्म्ज लाइसेंसिज बनाने के नाम पर रिश्वत मांगते हैं। जिनका आर्म्ज लाइसेंस बना हुआ है उनके रिनुवल के लिए भी रिश्वत मांगी जाती है। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, अगर माननीय मंत्री जी कुछ जानना चाह रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा जानकारी भी दे सकता हूँ लेकिन he should not disturb me.

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। माननीय करण सिंह दलाल जी ने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों संबंधी नियमावली के रूल 203 को साइट करके एग्जैम्पशन सीक की है कि वह इस रूल के तहत जनरल टापिक पर बात कर सकते हैं, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जो रूल 203 है वो बेसिकल एप्रोप्रिएशन बिल में डिस्कशन के संदर्भ में यह एक्सपैक्ट करता है कि डिमांड के साथ ही डिस्कशन की जाये और डिमांड पर डिस्कशन होने के पश्चात अगर कोई टापिक बाकी रह जाता है तो बाद में जनरल डिस्कशन में वह रिलेवेंट डिमांड से अलग, उस पर डिस्कशन करेगा। अतः इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि एप्रोप्रिएशन बिल के संबंध में रूल में चर्चा की मर्यादा के अनुरूप एप्रोपिएशन बिल के अन्दर जो डिमांड है, उसको साइट करके या अदरवाइज डिमांड से रिलेटिड ही डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने स्पष्ट रूप से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करने की डिमांड जाहिर की है। हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों संबंधी नियमावली के रूल 203 का पार्ट–4 कहता है कि:–

> "The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demand for grants were under consideration."

Capt. Abhimanyu: Hon'ble Deputy Speaker Madam, exactly that is my point what Hon'ble Member is making. I will cite and read it again. It says-

> ".....administrative policy implied in the grants covered by the Bill". The words are, "in the grants covered by the Bill". So you may please speak on any policy which is covered by the demands in the Bill. So you may please cite accordingly any grant.

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियमावली का रूल 203 का पार्ट 4 यह बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं रूल के अनुसार ही बात कर रहा हूँ मैंने गवर्नमैंट को दूसरी तरह की बात तो कहना अभी शुरू ही नहीं की है।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 203 (4) में लिखा है कि –

> ''विनियोग विधेयक पर बहस सार्वजनिक महत्व के या विधेयक में नये, अनुदानों में सम्मिलित प्रशासनिक नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगी जो पहले ही उस समय न उठाए जा चुके हों जब कि सुसंगत अनुदानों की मांग विचाराधीन थी।''

उपाध्यक्ष महोदया, हम इस प्रकार की अपेक्षा माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल से करते हैं।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, यदि माननीय मंत्री जी की जनहित के मुद्दों पर कोई रूचि नहीं है तो दूसरे मुद्दे सदन में उठाता हूँ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी सामान्य प्रशासन का मुद्दा सदन में उठा रहे हैं। जहां तक जीरो टॉलरेंस की बात है माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि आर्म्ड लाईसैंस देने में सरकार के अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए लेकिन सरकार इस बात को दर किनारे कर रही है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनके नाम सभी को पता लग सके। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं एजुकेशन के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूँ। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, डिपार्टमेंट का नाम लेकर के जो डिमाण्ड पार्टिकुलर ग्रांट के लिए है उस पर चर्चा न करके किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करें विनियोग विधेयक पर इस प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदया, जब विनियोग बिल सदन में पेश हो जाए तो उस पर चर्चा has to be limited to the specific grant और उसी के तहत चर्चा होनी चाहिए, इस पर माननीय सदस्य विचार करें।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, एजुकेशन के संबंध में तो बहुत ज्यादा कमियां हैं। आज जो शिक्षा हमारे हरियाणा में होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। यदि हम दिल्ली में जायेंगे तो देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है जो बहुत ही सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदया, आपके मार्फत मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि एच.टी.इ.टी. में एक्स–सर्विसमैन को जो रिलीफ मिलना चाहिए था, उसका कोई भी जिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरीके से ओ.बी.सी. कैटेगरी जिसका ताल्लुक आप से भी है। आंध्रप्रदेश/पश्चिम बंगाल/बिहार आदि राज्यों में ओ.बी.सी. कैटेगरी को छुट दी जाती है लेकिन हरियाणा में एच.टी.इ.टी. में ओ.बी.सी. कैटेगरी को कोई भी सहुलित नहीं दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को पूरा लाभ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके ही मार्फत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में सदन को बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुखौटा माना जाता है। यदि प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है तो बहन–बेटिया, बड़े बुजुर्ग, पढ़ने–लिखने वाले विद्यार्थी आदि सभी लोग ट्रांसपोर्ट का फायदा उठाकर के सही समय पर व सुरक्षित अपने–अपने ठिकानों पर पहुँच सकते हैं। लेकिन आज हरियाणा की बदकिस्मती है कि जो हरियाणा रोडवेज़ पूरे देश में जाना जाता था मौजूदा सरकार हरियाणा रोडवेज को बर्बाद करने में लगी हुई है। मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत रूटों पर ट्रांसपोर्ट के लिए प्राईवेट लोगों से एप्लीकेशंज मांगी जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदया, रोडवेज को नुकसान पहुँचाने के लिए कहीं गीता जयंती के नाम पर कहीं कोई दूसरे महोत्सव के नाम पर हरियाणा रोडवेज का साहरा लेकर लोगों को निशुल्क सेवा देकर हरियाणा रोडवेज को घाटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज सरकार यह कहने जा रही है कि हम इन रूटों पर प्राईवेट ऑपरेटर्ज की बसिज़

चलायेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, आज तक सरकार ने इसका कोई भी उचित कारण नहीं बताया है। ड्राईवर और कंडक्टर न होने के कारण सैकड़ों बसिज़ रोडवेज डिपोज में ऐसी ही खड़ी हुई हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और प्राइवेट ऑपरेटर्स से बसें मांगी जा रही हैं । राजस्थान और पंजाब में प्राइवेट ऑपरेटर्स को बसों के जो रेट्स दिए गए हैं वे हरियाणा में प्राइवेट ऑपरेटर्स को ऑफर किये गए रेट्स से बहुत कम हैं अर्थात् हरियाणा में प्राइवेट बसों को बहुत ज्यादा रेट्स दिए गए हैं । डिप्टी स्पीकर मैडम, आज भी प्रदेश में हरियाणा रोड़वेज की ऐसी साख है कि अगर कोई भी मां/बाप या कोई जिम्मेदार आदमी अपनी बहन/बेटी/बहू को किसी स्कूल, कॉलेज या रिश्तेदारी में भेजता है और एक तरफ रोड़वेज की बस खड़ी हो और दूसरी तरफ प्राइवेट ऑपरेटर्स की बस खड़ी हो तो वह अपनी बहू–बेटी को हरियाणा रोड़वेज की बस में बिठाकर उसके कंडक्टर को कहेगा कि यह मेरी बहू/बेटी है और इसको फलां जगह पर सुरक्षित उतार देना । आज हरियाणा सरकार रोड़वेज की इस साख को बट्टा लगा रही है । जिन कर्मचारियों ने सरकार की प्राइवेट ऑपरेटर्स की बस चलाने की योजना का विरोध किया उनको उनकी नौकरियों से डिसमिस करने के नोटिसिज दे दिए गए । सरकार की इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि पूरे देश में इसकी मिसाल नही मिल सकती । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल जी, यह कोई डिबेट का इशू नहीं है, इसलिए आप बैठ जाइये ।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : उपाध्यक्ष महोदया, दलाल साहब को जिन–जिन इशूज पर दिक्कत है मैं उन सबका उत्तर दूंगा । हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पानीपत में आकर 'बेटी बचोओ बेटी पढ़ाओ' के नारे का आह्वान किया था । इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आदेश दिया कि पूरे प्रदेश में छात्राओं के लिए परिवहन विभाग की तरफ से स्कूल, कॉलेज और यूनीवर्सिटी तक बसें चलाई जाएं । आज प्रदेश में लगभग पौने दो सौ ऐसे रूट्ज हैं जिन पर परिवहन विभाग की तरफ से छात्राओं को स्कूल, कॉलेज में लाने ओर ले जाने के लिए बसें चलाई जा रही हैं । दलाल साहब ने जिक्र किया कि परिवहन विभाग को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है । ऐसा बिल्कुल नहीं है । आज के दिन हरियाणा रोड़वेज के बेड़े में 4100 बसें हैं और प्रतिदिन 3800–3900 बसें रनिंग में रहती हैं । हम एक बस को लगभग 7 साल तक चलाते हैं और लगभग 8 लाख किलोमीटर

चलने के बाद उसको कंडम घोषित कर दिया जाता है । हम समय–समय पर इन बसों की रिप्लेसमैंट करते रहते हैं । अब मैं प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए किलोमीटर स्कीम के बारे में बताना चाहूंगा । परिवहन विभाग लोगों को सेवा और सुविधा देने के प्रति प्रतिबद्ध है । आज के दिन लगभग 33 लाख लोगों को परिवहन विभाग की सेवाओं की आवश्यकता है जिसमें से हम 10–11 लाख लोगों को सेवा दे पा रहे हैं । हमारी कैबिनेट ने लोगों को अधिक सेवा देने के लिए फैसला किया कि हम बसों का बेड़ा बढ़ाएंगे और लोगों को दी जा रही सेवा को कम नहीं होने देंगे । इस किलोमीटर स्कीम में हम प्राइवेट ऑपरेटर्स से बस लेंगे और ड्राईवर भी ऑपरेटर का होगा लेकिन उस बस में कंडक्टर परिवहन विभाग का होगा । उस बस का परमिट भी परिवहन विभाग का होगा और उस पर पूरा कंट्रोल जी.एम., हरियाणा रोड़वेज का होगा । उस बस से जो रिकवरी होगी वह भी परिवहन विभाग के पास आएगी । इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि इन प्राइवेट ऑपरेटर्स का चयन भी ऑनलाइन बिड सिस्टम के द्वारा किया गया है । हमारे पास बिड सिस्टम में कुल 53 ऑपरेटर्स शामिल हुए थे जिनमें से 49 आपॅरेटर्स बिड के लिए एलीजिबल पाए गए थे । इन ऑपरेटर्स के साथ हमने कुल 510 बसों का एग्रीमैंट किया है । इस किलोमीटर स्कीम को लेकर माननीय सदस्य दलाल साहब रोज़ प्रैस में बयान देते रहते हैं । मैं इनको बताना चाहता हूं कि सी.एम. साहब ने 3 दिन पहले मीटिंग बुलाई थी । उस मीटिंग में उन्होंने पंजाब और राजस्थान में चल रही प्राइवेट बसों के रेट्स मांगे थे । सी.एम. साहब ने भी कहा है कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए । अतः हम इसको रिव्यू कर रहे हैं । इस स्कीम में न तो कोई गड़बड़ है और न कोई गड़बड़ हम होने देंगे ।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, अभी माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दिया है । मैं एप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित निवेदन करना चाहता हूं कि कल विधान सभा की एस्टीमेट कमेटी ने सप्लीमैंट्री डिमांड्ज को अप्रूव किया है । हरियाणा के वित्त विभाग ने पहली बार पी.एल.ओ. (प्रफॉर्मैंस लिंक्ड आउटले) का मॉडल विकसित किया है । इसके तहत हर विभाग में दो पी.एल.ओ. अकाउंट्स खोले जाएंगे । इसके तहत हर विभाग में रिवैन्यु और कैपिटल अकाउंट्स के लिए एक–एक हजार रूपये टोकन मनी के रूप में दिए जाएंगे । इस मॉडल से संबंधित केवल 2–3 पेज हैं । अगर माननीय सदस्य करण सिंह दलाल इनको एक बार पढ़ लें तो उनको सारी स्थिति क्लीयर हो जाएगी । इसके बाद अगर वे बहस में हिस्सा

लेंगे तो वे एप्रोप्रिएशन बिल पर सदन को गुमराह नहीं करेंगे और सदन के रूल्ज़ वॉयेलेट नहीं करेंगे । इससे वे एप्रोप्रियेट प्लेटफॉर्म पर बहस करेंगे और इस प्रकार की स्वस्थ बहस से सदन की गरिमा बढ़ेगी । इससे हमें भी अच्छी बहस का अवसर मिलेगा । इस तरह की बहस से हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि रूलिंग इन्होंने साइट की थी । मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यह सब मर्यादा में रहकर होना चाहिए । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन्होंने ही रूलिंग साईट की थी कि यह रूलिंग है और उसी रूल के तहत माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए हैं। हमने इस रूल में वह लिमिटेशन बतायी है और आपसे यह निवेदन है कि आप एकार्डिंगली इंस्ट्रक्शंज/हिदायत दें। (शोर एवं व्यवधान)

18:00 बजे

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी हमें मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं यह बहुत ही अच्छी बात है परन्तु ये जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसे स्वयं पर भी लागू करें।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, यह बात सभी माननीय सदस्यों पर लागू होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मुझे बोलने के लिए एक मिनट का और समय दिया जाए।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाएं। मंत्री जी को बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी मात्र 2,000/– रूपये की डिमांड सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स में विधान सभा से कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को चलाने की बात कर रहे हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इसमें ज्यादा पैसों की डिमांड करनी चाहिए।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, अभी जैसा माननीय सदस्य ने रेट का जिक्र किया है। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी हमें मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं यह बहुत ही अच्छी बात है परन्तु ये जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसे स्वयं पर भी लागू करें।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, यह बात सभी माननीय सदस्यों पर लागू होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, विधान सभा में जब बी.जे.पी. के माननीय सदस्य बोलते हैं तो यह मर्यादा का पाठ उन पर लागू नहीं होता।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, हम तो पहली बार विधायक चुनकर आए है। हम तो सोच रहे थे कि कई माननीय सदस्य 5–5 बार विधायक चुनकर आए हैं। वे विधान सभा में पीठासीन अधिकारी बनकर हमें अपने अनुभव से कुछ सिखाएंगे लेकिन हमें जिस प्रकार की विरासत मिली है, वह अलग ही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सिटिंग बढ़ाकर विधान सभा की गरिमा को बढ़ाया है। हर साल लगातार सिटिंग बढ़ाकर विधान सभा की कार्यवाही को पहले से अधिक समय देने का काम किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि विधान सभा की कार्यवाही को और बढ़ाना चाहिए। अगले बजट में भी हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा समय तक डिस्कशन हो। यह तो एक सैकेण्ड सप्लीमैंटरी एस्टीमेट है इससे पहले भी एक सप्लीमैंटरी एस्टीमेट विधान सभा में पारित हो चुका है। इस सैकेण्ड सप्लीमैंटरी एस्टीमेट में पफौमैंस आउट ले का एक एकाउंट खोला जाना है। इस बहस के ऊपर माननीय सदस्य ये चीजें कह रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है कि यह न्यायसंगत बात है।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, जैसा माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने पर किलोमीटर बसों के रेट के बारे में कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, ...(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, जैसा माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने कल प्रेस कांफ्रैस में भी कहा था और अख़बारों में भी छपा है कि परिवहन विभाग में पर किलोमीटर के रेट कम हैं और बिड में ज्यादा रेट आये हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बीड में जो रेट आये हैं वे 31/– रूपये से लेकर 37.30/–रूपये प्रति किलोमीटर तक आये हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो हमारे परिवहन विभाग की डिस्ट्रिक्ट वाईज पर किलोमीटर की लिस्ट आर.टी.आई. के माध्यम से भी ले सकते हैं जिसमें 49 रूपये से लेकर 51 रूपये पर किलोमीटर तक परिवहन विभाग का खर्च आता है।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदयाः मेरा दूसरा सुझाव पॉवर डिपार्टमैंट से संबंधित है। शायद कैप्टन साहब को मेरी बात से एतराज भी नहीं होगा क्योंकि पहले तो ट्रांस्पोर्ट विभाग के लिए 2,000/–रूपये की डिमांड कर रहे थे परन्तु इसमें तो सैंकड़ो करोड़ रूपये की मांग कर रहे हैं। यह पॉवर डिपार्टमैंट पहले जब हरियाणा बिजली बोर्ड हुआ करता था तो उसको ज्यादा इफैक्टिव बनाने के लिए इसी हरियाणा की विधान सभा में हमने कानून पास किया और अलग–अलग कम्पनियां बनायी थी। उन अलग–अलग कंपनियों में आज हमारे आई.ए.एस. ऑफिसर्ज हैं, जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इन कम्पनीज के लिए अलग–अलग जिम्मेवारी तय करके सोचा था कि शायद बिजली बोर्ड के नुकसान कम होंगे परन्तु आज उसका उल्ट हो रहा है? तमाम बिजली बोर्ड उसमें चाहे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हो या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हो, एक पुलिस ऑफिसर के हवाले कर रखा है जिसके द्वारा मनमाने तरीके से सिंगल टैंडर एलॉट किये जा रहे हैं क्योंकि एम.डी. की पॉवर 50 करोड़ रूपये तक के टैंडर की है। बिलों के वितरण के लिए गुरूग्राम जैसे बड़े शहरों में अपने चहेतों को सिंगल टैंडर दिये जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर मैडम, पहले तो बिजली खरीदने के लिए रिश्वत दी जाती है और बाद में बिजली की जरूरत न होते हुए ज्यादा बिजली दिखाकर उसको बेचने के लिए रिश्वत दी जाती है। बिजली कम्पनीज के करार हुए पड़े हैं। यह कौन सा कानून कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर को दूसरे विभागों की जिम्मेवारी दी जाए। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे आई.ए.एस. अधिकारियों में वह काबिलियत नहीं है जो हरियाणा के इन पुलिस ऑफिसर्ज में है परन्तु ये पुलिस ऑफिसर्ज प्रदेश में न तो दंगा रोक सके और न ही करप्शन को रोक सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, सरकार के इस रवैये के कारण आज बिजली के बिल महंगे हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। जैसे श्री करण सिंह दलाल जी ने पॉवर के मामले में कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के जिम्में कार्य सौंपने से बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है। हरियाणा में 4 पॉवर की कम्पनीज क्रमशः एच.ई.आर.सी., यू.एच.बी.वी.एन., डी.एच.बी.वी.एन. और एच.पी.जी.सी.एल. हैं।

अभी माननीय सदस्य ने लाईन लॉसिज का जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो उस समय 39 परसेंट लाइन लॉसिज था। आज अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को मैं ऐप्रीशिएट करता हूं और यह बताना चाहूंगा कि आज के समय में लाइन लॉसिज 39 परसैंट से घटकर 20.2 परसेंट रह गया है। (इस समय मेजें थप–थपाई गईं) हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हम इन लाइन लॉसिज को 15 परसेंट तक लेकर आएंगे। उपाध्यक्ष महोदया, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य ने बिजली के बिलों का जिक्र किया था तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के डोमेस्टिम सप्लाई के कंज्यूमरों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। पहले कोई कंज्यूमर 200 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करता था तो उससे 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल लिया जाता था, लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है कि अगर कोई कंज्यूमर 1 महीने में 200 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करेगा तो उससे 2 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लिया जाएगा। इस तरह का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पैकेज डौमेस्टिक सप्लाई कंज्यूमरों को दिया है।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो मौजूदा पावर डिपार्टमैंट है, उसमें इन्होंने एक आई.पी.एस. ऑफिसर को 2 कम्पनियों का एम.डी. बना रखा है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसकी जगह पर किसी ईमानदार अधिकारी को लगा दिया जाए तो आज बिजली के जो रेट्स हैं, उनको आधा किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर मैडम, मेरी चिंता यह भी है कि जो कम्पनी हमें बिजली देने के लिए सस्ती बिडिंग की है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार जिस हाइड्रो कम्पनी से बिजली ले रही है, वह कोई मैन्युफैक्चरर्ज नहीं है, बल्कि वह ट्रेडर है। आखिर सरकार उससे ही बिजली क्यों खरीद रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और सरकार जिसको बिजली बेच रही है उसका भी ब्यौरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी और इनके चहेते ऑफिसरों ने तमाम हरियाणा के बिजली महकमे में लूट मचा रखी है और आज के समय में बिजली

विभाग के अंदर इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि हरियाणा के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः करण जी, आपकी बात कंक्लूड हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि ये हमारी सरकार के ऊपर गलत आरोप न लगाएं। अगर इनके पास इसका प्रमाण है तो ये इस सदन में प्रमाण के साथ बात करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। करण जी, आप मेरी बात सुन लें। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि करण दलाल जी हमारे पुराने साथी हैं और अब इन्होंने नेतृत्व में थोड़ा परिवर्तन किया है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रिश्तेदार भी हैं और उनके नेतृत्व में काम भी किया है, हमने हुड्डा जी के नेतृत्व में इनको सौंपा था। दलाल जी, ओरिजनली रूप से तो बी.जे.पी. के आदमी थे। आजकल दलाल जी ने बहन किरण के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और ये नई पढ़ाई वहां से लेकर आए हैं। मेरा इनको कहना है कि ये अपने ठिकाने पर रहें। ये वरिष्ठ विधायक हैं, इनको नियम 204 की पूरी जानकारी है और हमने भी यह नियम पढ़ा हुआ है। करण जी, से मेरा कहना है कि अपने ठिकाने पर ही रहें, हुड्डा साहब के नेतृत्व में ही रहें, किरण जी की जानकारी इनको दिल्ली में काम आएगी।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि कहीं ये अपनी ही व्यथा तो नहीं सुना रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः करण सिंह जी, आप अपनी बात 1 मिनट में कंक्लूड करें।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात बहुत जल्द समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके मार्फत निवेदन यह है कि मुख्यमंत्री जी को बिजली विभाग की बहुत ही निगरानी और जिम्मेवारी के साथ देखभाल करनी चाहिए। वरना तो जिस तरह की लूट बिजली विभाग के अंदर चली हुई है, उसका जनमानस के ऊपर बहुत भार पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदयाः करण जी, आप यह बात पहले ही बोल चुके हैं। एक बात को बार–बार दोहराना सही नहीं है।

श्री करण सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मैंने पावर डिपार्टमैंट के खिलाफ एक चार्जशीट दी है और बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने उस चार्जशीट का अखबारों में स्वागत भी किया था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब इन्होंने मेरी इस पावर डिपार्टमैंट की चार्जशीट का स्वागत किया था तो ये उसकी ज्यूडिशियल इनक्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं ? मैंने उस चार्जशीट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों/कर्मचारियों, विभाग के मंत्रियों और माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगाये हैं ? अगर मेरे द्वारा दिया गया एक भी दस्तावेज गलत साबित होता है तो आप मेरे लिए जो दंड तय करेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा । एक पुलिस ऑफिसर का काम to prevent crime investigation of the crime or integeligenc का है । उपाध्यक्ष महोदया, हमने सी.आई.एस.एफ. में और बी.एस.एफ. में और अन्य स्थानों पर नियुक्ति के लिए पुलिस ऑफिसर जाते हुए देखें हैं लेकिन बिजली विभाग में पुलिस के अफसरों का क्या लेना देना है तथा इनको किस रूल के तहत भेजा जा रहा है, यह जानकारी भी हमें मिलनी चाहिए । इसका मतलब कोई न कोई साजिश हुई है क्योंकि जो हमारे आई.ए.एस. ऑफिसर हैं वे इनके सामने झुकते नहीं होंगे इसलिए काडर को इग्नोर कर दिया । हरियाणा प्रदेश में पुलिस के ऑफिसर्स की कमी होते हुए भी एक ऐसे जेल ऑफिसर को बिजली विभाग सौंप रखा है, जो दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहा है ।

प्रो. रविन्द्र बलियाला (रतिया) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदया, मैं दो–चार सवाल माननीय वित्त मंत्री जी से जो आज इन्होंने सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बजट पेश किया है, उसके बारे में पूछना चाहूंगा । बजट जो होता है वह सरकार का पूरे साल का लेखाजोखा होता है कि आने वाले साल के अंदर सरकार के पास किस तरह से आमदनी के साधन/सोर्सिस होंगे और वह कहां–कहां पर खर्चा करेगी ? हर सरकार की यही कोशिश रहती है कि वह इस तरह का बजट पेश करे ताकि जनता के ऊपर उसका बोझ ज्यादा न पड़े और बजट के समय में जनता को खुश किया जाये । माननीय वित्त मंत्री जी ने जब वर्ष 2018–19 का बजट पेश किया था तो उस समय

उन्होंने इसी तरह की वाहावाही लूटने की कोशिश की थी और इन्होंने कहा भी था कि हमने जनता के ऊपर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला है । उपाध्यक्ष महोदया, हमें आज लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार और वित्त मंत्री जी जनता के साथ कुछ छलावा करने जा रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य प्रो. रविन्द्र बलियाला जी कौन सी डिमांड नम्बर पर बोल रहे हैं ।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : उपाध्यक्ष महोदया, जब वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2018–19 का बजट पेश किया था तो उस समय टोटल बजट 1,15,198.29 करोड़ रुपये का था । जब वित्त मंत्री जी सितम्बर में सप्लीमेंटरी एस्टीमेट बजट लेकर आये तो इन्होंने उस समय 13,661.86 करोड़ रुपये का बजट और मंजूर करवाया था । उपाध्यक्ष महोदया, आज वित्त मंत्री जी ने सैंकिंड सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है तो उसमें भी 2,575.14 करोड़ रुपये की और मांग कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी को ऐसी क्या अर्जेंसी है कि मार्च में जो बजट पेश किया था उससे आज 16,237 करोड़ रुपये फालतू मांग रहे हैं । मैं समझता हूं कि आप एक मॉडल लेकर आये हैं, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इस तरह के मॉडल के बारे में आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि इस तरह का भी कोई मॉडल हो सकता है । उपाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम परफॉर्मैंस लिंक आउट ले मॉडल लेकर आये हैं । आप यह मॉडल पहले क्यों नहीं लेकर आये क्योंकि उस समय आपने सोचा होगा कि हर आदमी की निगाह बजट के ऊपर होती है और ऐसा बजट पेश कर देते हैं कि यह तो केवल सिंपल बजट ही है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस सप्लीमेंटरी एस्टीमेट बजट के बारे में वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप 16237 करोड़ रुपये जो आज एक्सट्रा बजट मांग रहे हैं, आखिर उसका भार तो जनता पर ही पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदया, यह पैसा कहां से आयेगा और ऐसी कौन सी अर्जेंसी है, इसके बारे में वित्त मंत्री जी बतायें ? जैसा कि माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने कहा कि आपने पहले भी विभागों में कितने खर्चे किये हैं, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं क्योंकि फिर सत्ता पक्ष के सभी सदस्य खड़े हो जाएंगे। जब मैं कहूंगा कि सड़क टूटी हुई हैं तो ये सभी खड़े हो जाएंगे । अगर बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, एजुकेशन में क्या–क्या समस्याएं हैं उनके बारे में मैं यहां बात करूंगा तो फिर से ये सभी सदस्य खड़े हो जाएंगे । जो हम महसूस कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार द्वारा चुपचाप फीसों को

बढ़ाया जा रहा है जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती है। जो फीस पहले 100 रूपये हुआ करती थी उसको 500 रूपये किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो फीस पहले 1000 रूपये होती थी उसको 3000 रूपये किया जा रहा है। चाहे कोई व्हीकल रजिस्ट्रेशन की फीस हो या चाहे कोई प्लॉट की रजिस्ट्रेशन की फीस हो उन सभी को इस सरकार द्वारा बिना किसी सूचना के बेतरतीब बढ़ा दिया गया है। आज भी सरकार द्वारा जो बिल सदन में पेश किया गया है उसमें भी कैटल फेयर की फीस को 100 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये किया गया है। यह मीठा जहर है। सरकार द्वारा पब्लिक से इस प्रकार से पैसा लिया जा रहा है जिसकी उनको जानकारी भी नहीं हो पाती। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि सरकार पब्लिक से इस प्रकार का छलावा क्यों कर रही है? मुझे यह भी बताया जाये कि जो यह 16237 करोड़ रुपये की राशि है क्या इसको पब्लिक के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर कलैक्ट किया जायेगा? अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो फिर दूसरी सूरत में क्या सरकार द्वारा इस राशि को जुटाने के लिए कोई कर्ज़ लिया जायेगा? अगर इसके लिए सरकार कर्ज़ लेगी तो पहले ही सरकार के ऊपर डेढ़ लाख करोड़ रूपये का कर्ज़ है। मुझे सरकार द्वारा लिये गये कर्ज़ की एग्जैक्ट फीगर तो पता नहीं है लेकिन जब सरकार द्वारा मार्च, 2018 में बजट प्रस्तुत किया गया था तो उस समय यह बताया गया था कि सरकार के ऊपर 1,41,654 करोड़ रूपये का कर्ज़ है। इसके बाद यह थोड़ा और बढ़ गया होगा। मेरा अनुमान है कि यह इस समय कम से कम डेढ़ लाख करोड़ रूपये तो हो ही गया होगा। अगर सरकार इस राशि को जुटाने के लिए कर्ज़ लेती है तो उससे भी सरकार के खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि वे इस प्रकार से हर सैशन के अंदर एप्रोप्रिएशन बिल लाकर के डिमाण्ड तो एक्स्ट्रा क्रियेट करते हैं लेकिन उस तरह की किसी भी फील्ड के अंदर चाहे वह एजुकेशन का फील्ड हो या कोई दूसरा फील्ड हो कोई विशेष कार्य नहीं किया जाता है। आज यहां पर महर्षि वाल्मिकी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भी पैसे की डिमाण्ड की गई है। यह अच्छी बात है कि सरकार द्वारा महर्षि वाल्मिकी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले से जो यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा में चल रही हैं उनकी बेहतरी के लिए भी सरकार द्वारा कारगर कदम उठाये जाने चाहिएं। जिस प्रकार से कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र के अंदर अभी तक परमानैंट स्टॉफ की भर्ती नहीं की गई है। यूनवर्सिटी की मैस

में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे पिछले लगभग 40–40 साल से वहां पर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी उनको पक्का नहीं किया गया है। उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है जिसके कारण वे डेढ़–दो महीने तक धरने पर बैठते हैं। अगर सरकार इस प्रकार की समास्याओं के समाधान के लिए कोई सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स लेकर आती है तो जो पहले से यूनिवर्सिटी हरियाणा प्रदेश में एस्टेब्लिश हैं उनको भी कोई एक्स्ट्रा फण्डिंग करने का प्रावधान किया जायेगा? या फिर नई यूनिवर्सिटीज़, नये कॉलेज इस्टैब्लिश करके, एग्रीकल्चर अथवा ट्रांसपोर्टेशन में नई–नई स्कीम्ज़ लाकर और नये–नये प्रोजैक्ट्स स्थापित करके सिर्फ वाह–वाही लूटने का काम ही सरकार द्वारा किया जायेगा? ये मेरे कुछ सवाल है जिनका मैं सरकार से जवाब चाहता हूं। सरकार यह भी बताये कि आज क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी या क्या अरजैंसी हो गई थी कि सरकार को यह कदम उठाना पड़ा।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य प्रो. रविन्द्र बलियाला जी ने ओवर–ऑल बजट के बारे में एक बेसिक क्वैश्चन किया है कि जब हमने वर्ष 2018–19 के लिए ओरिजिनल बजट्री एस्टीमेट्स प्रैजेंट किये थे तो वे 1,15,000 करोड़ रूपये के करीब के थे। उसके बाद फिर फर्स्ट सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स आये और आज जब सैकण्ड सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स लगभग 2500 करोड़ रूपये के आये है। सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहले औरिजिनल बजट एस्टीमेट्स से लेकर अब तक हमने कोई भी टैक्स बढ़ाने के बजाये घटाने का काम किया है। हमने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वैट काफी बड़ी मात्रा में घटाने का काम किया है । इसके साथ ही साथ सरकार की सबसिडी के माध्यम से 500 यूनिट की कंजम्पशन तक 43.77 प्रतिशत तक हरियाणा प्रदेश में बिजली की दरों में भी कटौती करने का काम हमने किया है। हमेशा से नॉर्मल प्रोसीजर यह रहा है कि हम सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स लेकर के आते हैं, सैकण्ड सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स भी आते हैं और अंत में रिवाइज्ड सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स भी आते हैं। इस बार हमने यह प्रयास किया कि जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आते हैं वो जब अगला बजट पेश होगा वो मार्च महीने की 15 या 18 तारीख तक एप्रूव होता है अर्थात् नोटिफाई होता है। इस प्रकार से रिवाईज्ड़ एस्टीमेट्स में इंटर डिपार्टमैंट ऐडजस्टमैंट्स हो जाती हैं। किसी–किसी डिपार्टमैंट में खर्च कम हो जाता है और किसी–किसी डिपार्टमैंट में खर्च की ज्यादा अचीवमैंट हो जाती है। उन ऐडजस्टमैंट्स में अमूमन 10 से 12 हजार करोड़ रूपये तक लास्ट में विद्ड्राल होता

है जिसके ऊपर फण्ड्ज़ को चैक करना और कंट्रोल करना एक बड़ी मुश्किल एक्सरसाईज़ बन जाती है। जब ये पैसा बैंक अकाउंट में जाता है तो वहां पर उस पैसे की पार्किंग हो जाती है। सभी माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि पिछले बजट को रिप्रेजैंट करते हुए अपने बजट के प्रस्ताव में इसी महान सदन के समक्ष हमने एक प्रस्ताव रखा था कि इस बार हम फाईनैंशियल डिसिप्लिन लेकर के आयेंगे। उसके बादएक एप्लीकेशन बनाकर के उसके माध्यम से हमने हरेक डिपार्टमैंट के लिए एक नियम बनाया कि जो डिपार्टमैंट को सरकार से ट्रेजरी के माध्यम से पैसा विद्ड्रा करना है तो वह पहले अपने पुराने बैंक अकाउंट की डिटेल देगा और साथ में उन पुराने बैंक अकाउंट्स में बैलेंस क्या है यह भी डिटेल देगा। उसके दिये बिना वह पैसा विद्ड्राल नहीं कर पायेगा। हमने अपनी सरकार आने के बाद पहली बार एक फाईनैंशियल डिसिप्लिन इंस्टीच्युट किया। आप सभी को यह जानकार खुशी होगी कि कुछ तो मोटे–मोटे अकाउंट हैं जिनके बैंक बैलेंस की जानकारी रहती है और भारत सरकार से भी उनका जुड़ाव रहता है। जैसे कोई सैंट्रल ग्रांट्स आई हुई हैं या मिसाल के तौर पर जिस प्रकार से बोर्ड ऑफ वर्कर कंस्ट्रक्शन वैलफेयर फण्ड है। उसके 2200 से 2300 करोड़ रूपये की जानकारी रहती है। इसी तरह से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है वह 1000–1200 करोड़ रुपये होता है, उसकी जानकारी होती है या लेबर वैलफेयर फंड की 200–300 करोड़ रुपये की जानकारी रहती है। लेकिन ये कदम उठाने के कारण केवल मात्र पिछले 9 महीने में हमने जो सरकार के खातों में बैलेंस पड़ा हुआ है वह साढ़े सत्रह हजार करोड़ रुपया आइडैंटिफाई किया है जिसका सामान्य तौर पर हमें आंकड़ों में ध्यान भी नहीं रहता है। हमने इस तरह की यह नई कवायद शुरू की है। डॉ. रविन्द्र बलियाला जी ने जो कहा है कि इस तरह सरकार बजट को क्यों बढ़ा रही है और इसके लिए पैसा कहां से आयेगा, उसके लिए मेरा कहना यह है कि जब भी कोई नई स्कीम शुरू होती है और उस स्कीम के लिए डिपार्टमैंट पैसा मांगते हैं तो हम उसके लिए प्रावधान करते हैं। प्रावधान करते हुये हम बजटरी ऐस्टीमेट्स में भी प्रावधान करके चलते हैं। आप कोई भी इतिहास उठा कर देख लें सामान्यतः जो बजट्री ऐस्टीमेट्स का एचीवमैंट है वह लगभग 88 से 91 प्रतिशत तक एचीव हो पाता है लेकिन प्रोविजन पूरा करके रखना पड़ता है क्योंकि अगर वह पूरा एचीव होता है तो फिर सरकार को पैसा निकालने देने का अधिकार विधान सभा के पास ही है, विधान सभा ही उसके लिए अधिकृत है इसीलिए विधान सभा में बजट पास

किया जाता है। विधान सभा से अनुमति लेकर हरियाणा की जनता के लिए वह पैसा खर्च करना है। ये जो नये प्रौवीजन आये हैं ये भी विभागों द्वारा दिये गये ऐस्टीमेट्स के अनुसार प्रौवीजनिंग की गई है। इसमें से विभाग कितना पैसा कैसे खर्च कर पायेगा उसके लिए ही हमने इस बार पी.एल.ओ. का कांसैप्ट इंट्रोड्यूस किया है। जब हमें लगा कि इस प्रकार से तो हमें बहुत ज्यादा पैसे का प्रोविजन करना पड़ रहा है लेकिन अल्टीमेटली हम इसको खर्च कैसे करने देंगे तो हमने उसमें परफोरमेंस लिंक्ड आउटले के नाम से एक अकाउंट बना दिया। इस प्रकार जितना भी पैसे का प्रावधान किया है उसके लिए ट्रैजरी में 104 अकाउंट खोल दिये हैं। यह सारा पैसा डिपार्टमैंट उसमें से ही विद्ड्रॉ कर पायेगा। विद्ड्रा करने से पहले परफोरमेंस लिंक्ड आउटले के पेरामीटर्स बना दिये हैं जिसमें मोटे तौर पर चार चीजें डाली गई हैं और विभाग उनको एचिव करने के बाद ही पैसा विद्ड्रा कर पायेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक विभाग में 4 हजार करोड़ रुपया बैलेंस पड़ा हुआ है और वे दो हजार करोड़ रुपये और मांगते हैं तो हम उनको कहते हैं कि पहले आप 4 हजार करोड़ रुपये का खर्च इन पैरामीटर्स के हिसाब से करके आइये, हम उनका पैसा नहीं रोकेंगे और उसके बाद उनको 2 हजार करोड़ रुपये भी जारी कर दिये जायेंगे। भारत में पहली बार हमने भारत सरकार और अकाउंटैंट जनरल से अनुमति लेकर परफोरमेंस लिंक्ड आउटले के तहत ट्रैजरीज में अकाउंट खोले हैं। तीन महीने पहले ये अकाउंट्स इसलिए खोले गये हैं ताकि वर्ष के अंत में किसी तरह की अफरातफरी न हो। अभी सभी विभागों को पता चल गया है कि विधान सभा ने सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेट्स पास कर दिये हैं और अब उसके अकौर्डिंगली जिसको अपना खर्च करना है वह खर्च करने के लिए आगे बढ़ सकते है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि सदन ने जो लोन लेने की या रेवेन्यू जनरेशन के बजट्री ऐस्टीमेट्स की अनुमति दी है इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी छिपा हुआ ऐजेन्डा नहीं है। यह पूरी तरह से ट्रांस्पेरेंट है बल्कि ट्रांस्पेरेंसी को बढ़ाने का एक प्रयास मात्र है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–4) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–3

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्यूल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

.....

2. दि हरियाणा पुलिस (अमेंडमैंट) बिल, 2018

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, वर्ष 2018 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री करण सिंह दलाल(पलवल) :उपाध्यक्ष महोदया, जो यह हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, वर्ष 2018 सदन के अन्दर लाया है । मैं आपकी इजाजत से इस संशोधन के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं । सरकार चाहती है कि वर्ष 2007 का जो पुलिस एक्ट था उसमें डी.जी.पी. को दो वर्ष तक लगाए रखने का प्रावधान था । अब सरकार डी.जी.पी को एक वर्ष तक लगाए रखने का प्रावधान कर रही है । उपाध्यक्ष महोदया, हमारा मानना है कि जिसका जितना ज्यादा अनुभव होगा उतना ही कोई अधिकारी ज्यादा सक्षमता के साथ विभाग को संभाल सकता है । इसमें सरकार को बताना चाहिए कि आखिर वह इस तरह एक वर्ष घटाने का प्रावधान क्यों कर रही है ? इसमें मैं मंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि वह सैक्शन–2 (सी) में भी अमेंडमैंट करें जो किसी को डी.जी.पी. बनने में डिबार करता है । इसमें यह भी दर्ज करना चाहिए कि अगर कोई आई.पी.एस. ऑफिसर अपने कैडर को छोड़कर अर्थात पुलिस का काम न करके दूसरे विभाग का काम कर रहा

है । इसका मतलब वह पुलिस विभाग के लायक नहीं है तो उसका जो 5 साल का अनुभव है वह उसके टाईम पीरियड से अलग माना जाएगा । इसलिए सरकार जब भी किसी को डी.जी.पी. बनाए या आगे किसी को प्रमोशन दे तो प्रमोशन देते वक्त उन पुलिस अधिकारियों का वह 5 साल का अनुभव उसमें से निकालना होगा जो उन्होंने पुलिस विभाग में किया ही नहीं है । दूसरी बात जो पुलिस मैनुअल है वह यह कहता है कि जिले के अन्दर चाहे कोई एस.पी. है या कोई रेंज का आई.जी. है । पुलिस मैनुअल में एक व्यवस्था हुआ करती है । शायद वह और भी प्रदेशों में है कि कोई भी पुलिस अधिकारी की जो कॉफीडैंशियल रिपोर्ट है वह उस जिला का डी.सी. या कलैक्टर लिखता है जिससे विभाग के ऊपर एक पकड़ रहे । रेंज के अन्दर जो डिविजनल कमिशनर है वह उनकी कॉफीडैंशियल रिपोर्ट लिखेगा । इसके लिए आई.जी. रेंज के लैवल पर एक कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी को पूरे अधिकार दिये जाएं ताकि वह पुलिस विभाग पर पूरी तरह से नजर रख सके, क्योंकि पुलिस विभाग में अगर इतनी ही काबिलियत होती तो फिर इनको आई.ए.एस. से ऊपर मानना चाहिए था । मैडम, आज अनुभव यह कहता है कि हरियाणा के अन्दर पुलिस विभाग अपने आप में बे–रोकटोक, बे–लगाम ताकतें चाहता है । इसलिए इन ताकतों को रोकना होगा । पुलिस विभाग को पुलिस मैनुअल के मुताबिक जहां–जहां हमारे कलैक्टर्ज हैं, डिप्टी कमिश्नर्ज हैं, डिविजनल कमिश्नर्ज हैं । जैसे होम सैक्रेटरी, डी.जी.पी. की ए.सी.आर. लिखते हैं । मैडम, जब ऐसा सिस्टम था तो लॉ एण्ड ऑर्डर के ऊपर पकड़ हुआ करती थी । आज पुलिस विभाग में लूट मची हुई है। तबादलों के नाम पर सिफारिशें आती हैं तथा तरह–तरह के दबाव भी डलवाये जाते हैं। नाकाबिल लोगों को जिलों का एस.पी. तथा रेंज कमिश्नर बनाया गया है जिसका नतीजा हत्या, लड़कियों के बलात्कार, लूट खसोट और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के रूप में सामने आ रहा है। अतः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि पुलिस से संबंधित बिल में अमेंडमेंट को पास न कराया जाये। वास्तव में पुलिस से संबंधित जो एक्ट है उसमें ही अमेंडमेंट करने की जरूरत है। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को या होम डिपार्टमैंट को वापिस कर देना चाहिए और दूसरे प्रदेशों में पुलिस की किस प्रकार की वर्किंग है, उसको स्ट्डी करने के उपरांत बेहतर प्रावधान करके ही इस बिल को सदन में लेकर आना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश को इस बिल का कोई लाभ मिल सके। सिर्फ अपने चहेतों को खुश करने के लिए काम

नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पीछे की सरकारों में भी इस प्रकार की व्यवस्था कायम थी। संबंधित बिल में पुलिस विभाग में पोलिटिकल फील्ड से दो मम्बर्ज को नोमिनेट करने की इजाजत मांगी जा रही है। इस प्रकार से तो पुलिस विभाग में आर.एस.एस. के लोग ही नज़र आयेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): उपाध्यक्ष महोदया, आर.एस.एस. के लोग तो यहां सदन में भी बैठे हैं और सारे देशभक्त हैं, इनकी तरह लुटेरे नहीं हैं।(शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, हम सारे आर. एस.एस. के ही लोग हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदया, सदन में जो लोग आर.एस.एस. के बैठे हुए हैं, वे तो सारे चुने हुए नुमाइंदे हैं लेकिन पुलिस जैसे सैंसिटिव डिपार्टमैंट में दो पोलिटिकल लोगों को बिठाना ठीक बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं किन–किन लोगों को न जाने कहां–कहां से से उठाकर हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस के उच्च पदों पर लाकर बिठा दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बख्शीश सिंह विर्क (असंध): उपाध्यक्ष महोदया, मैं भी आपकी मार्फत कानून व्यवस्था के विषय पर कुछ बात कहना चाहता हूँ। वर्ष 1984 में दंगे हुए थे और उस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। 1984 के सिख दंगों के दोषी लोगों की हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पुरानी फाइलें खोलकर माननीय कोर्ट के माध्यम से उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। इन कांग्रेस के लोगों ने कितना घटिया काम किया था, उस समय कानून व्यवस्था कहां गई हुई थी? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदया, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट निकलवाकर देख ली जाये तो माननीय सदस्य को अपनी सरकार के बारे में भी पता चल जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल: उपाध्यक्ष महोदया, बिल्कुल ठीक बात है प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट भी निकलवाकर देख ली जाये तो सरकार को अपने बारे में भी पता चल जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बख्शीश सिंह विर्कः उपाध्यक्ष महोदया, 1984 के दंगों के संबंध में जज साहब ने फैसला देते वक्त अपने आर्डर में लिखा है कि 1947 में भी बड़ा कत्ले आम हुआ था लेकिन उस कत्ले आम में किसी एक जाति के लोगों को नहीं मारा गया था लेकिन 1984 में इन लोगों ने एक विशेष जाति के लोगों को मारने का काम किया था और ये लोग आज सदन में खड़े होकर कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं? आज ये लोग हमें कानून बनाना सिखा रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, 1984 में तो विर्क साहब स्वयं कांग्रेस के मैम्बर थे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, जिस समय 1984 में दंगे हुए उस समय विर्क साहब कांग्रेस के ही मैम्बर हुआ करते थे। ठीक है आज ये बी.जे.पी. में हैं। विर्क साहब जब कांग्रेस में थे तब इन्होंने खुद क्यों नहीं यह सवाल उठाया?(शोर एवं व्यवधान)

श्री बख्शीश सिंह विर्कः उपाध्यक्ष महोदया, जो ये लोग 1984 में मेरे कांग्रेस में होने की बात कर रहे हैं। अगर मैं अपनी 62 साल की इस उम्र में कभी भी कांग्रेस का मैम्बर रहा हूं, तो मुझे जो मर्जी सजा दे दो, मुझे मंजूर होगी। मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ रहा था और उन्हें छोड़कर मैं बी.जे.पी. में आया था। मैं दोगला व्यक्ति नहीं हूँ। ये लोग जो मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं ये तो थ्री इन वन लोग हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर मैडम, दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2018 के सैक्शन 4 के (i) में पोलिटिकल लोगों को नोमिनेट करने के लिए जो प्रोविजन किया गया है वह इस प्रकार हैः–

> "two non-political persons (hereinafter referred as independent members) of high integrity, expertise and competence in administration, law enforcement and security related matters to be nominated by the State Government. One member shall be a retired officer of Indian Administrative Service. The second member shall be nominated by the State Government from the field of public service, legal profession or social organizations with at least fifteen years experience in that field."

उपाध्यक्ष महोदया, इसमें जिस तरह रिटायर्ड आई.ए.एस. की पब्लिक सर्विस को डिफाईन किया गया है तो ठीक उसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति नोमिनेट किया जायेगा, उसकी पब्लिक सर्विस को भी डिफाईन किया जाना चाहिए नहीं तो कल को यह भी कह दिया जायेगा कि आर.एस.एस. भी पब्लिक सर्विस है और उनको यहां बैठने का पूरा अधिकार है। अतः मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापिस लेकर जो प्रावधान मैंने बतायें है, उनको डिफाइन करके इस बिल को सदन में लाना चाहिए। वास्तव में पुलिस एक्ट में और भी संशोधन करने की जरूरत हैं जैसे जो कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है उसको दोबारा से रिव्यु करने की जरूरत है और इन सभी चीजों पर विचार करके ही इस बिल को सदन में लाना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी.): डिप्टी स्पीकर मैडम, आज सदन में जो दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2018 लाया गया है और जिसके बारे में बड़ी–बड़ी चर्चायें भी हुई हैं, के संबंध में मैं भी कहना चाहूंगी कि आज पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग और दूसरे सभी प्रकार के साजो–सामान देने की बहुत जरूरत है। इस प्रकार बिल में अमेंडमेंट के साथ–साथ, इन सभी चीजों की भी जरूर शामिल किया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर मैडम, अभी पुलिस कस्ट्डी में काफी ज्यादा डेथ हुई हैं। मेरे झज्जर जिले में एक रिक्शा चालक था जिसका नाम राजेश था। उसको चौकी में ले जाया गया और पुलिस के अत्याचारों से दुखी होकर उसने पुलिस कस्टडी में ही सुसाइड कर लिया या फिर यूं कहें कि उसको मार दिया गया। यह इंवेस्टीगेशन का विषय है? वह एक दलित परिवार का सदस्य था जिसको बिना गलती के पुलिस कस्ट्डी में ले जाया गया और वहां पर उसने सूसाइड किया तो मैं इस सदर्भ में इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस के जो भी संलिप्त अधिकारी/कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। डिप्टी स्पीकर मैडम, पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि उसने सुसाइड किया है। इस बाबत भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई पुलिस चौकी में भी सेफ नहीं है तो वह बाहर किस प्रकार से सेफ हो सकता है? कल भी एक घटना प्रकाश में आई थी कि यमुनानगर में एक शख्स को केवल गवाही के लिए बुलाया गया था और पुलिस की तरफ से उसको इतना ज्यादा टार्चर किया गया कि होस्पिटल तक जाते जाते उसकी डैथ हो गई। डिप्टी स्पीकर मैडम, इस तरह की जो घटनायें होती हैं वह पूरे देश–प्रदेश, विभाग और पूरे समाज को भी कलंकित करने का काम करती हैं। पूरे समाज में पुलिस के प्रति एक डर व्याप्त हो

चुका है। जिस पीड़ित का मैंने नाम लिया इनको आज तक न्याय नहीं मिला है। झज्जर जिले के ई–रिक्शा चालक जिसका नाम राजेश था, का पुलिस कस्ट्डी में सूसाइड दिखाया गया है, वह अपने परिवार में एक मात्र ब्रैड अर्नर था। उसके घर में केवल एक मां और बेटी है उनको भी पुलिस विभाग की तरफ से थ्रैटन किया जा रहा है। अभी इस मामले में पीछे एस.आई.टी. गठित हुई है लेकिन मेरा आज सदन के माध्यम से माननीय सदन के नेता से आग्रह है कि इस परिवार को किसी प्रकार की कोई थ्रैटनिंग नहीं मिलनी चाहिए और इस पूरे मामले की पूरी की पूरी फेयर इंक्वॉयरी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, पुलिस विभाग को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल का वक्तव्य तो ''मारो कहीं लागे वहीं'' से शुरू होता है। पता नहीं क्यों एक पुलिस ऑफिसर के पीछे पड़े हुए हैं और तरह–तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिजली विभाग में लाइनलॉस 30 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत पर आ गया है। ऐसा नहीं है कि 10 प्रतिशत लाइनलॉस तारें खा गई हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आपको पता ही है कि बिजली चोरी हुआ करती थी और बिजली चोरी को रोकने का काम किस विभाग का होता है। बिजली चोरी करना एक क्राईम है। मैं तो उस पुलिस ऑफिसर को श्रेय देता हूँ कि जो 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत पर लाइनलॉस लेकर आया है। हमारी सरकार चाहती है कि आईडल लाइनलॉस इतने बड़े आदर्श राज्य में बिजली की चोरी 15 प्रतिशत से कम होनी चाहिए और यह सरकार का टारगेट भी है और हम लाकर ही रहेंगे। इस प्रकार से निश्चित रूप से 5 प्रतिशत की बिजली चोरी बंद होगी। बिजली चोरी रोकने के लिए हम कोई भी सख्त आदमी चाहे वह पुलिस वाला हो, चाहे आई.ए.एस. हो या फिर बाहर से ही लेकर लगाना पड़े, हम जरूर लगायेंगे। हमारी प्राथमिकता बिजली चोरी को रोकना है और हम प्रदेश में किसी को भी बिजली चोरी नहीं करने देंगे चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। उपाध्यक्ष महोदया, आखिर कुल मिलाकर जिस चार्जशीट का जिक्र किया गया है उसके लिए मैंने धन्यवाद किया था। मैंने धन्यवाद क्यों किया है इस बात का पता भी माननीय सदस्य को मीडिया के माध्यम से लग गया होगा। उपाध्यक्ष महोदया, उसमें जितनी क्वॉरी डाली गई हैं आधे से ज्यादा क्वॉरी ऐसी हैं जो हमारी सरकार के आने से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार की मिलीभगत से जो बिजली चोरी

दिखाई गई है उस समय की है। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार इन सबकी इन्क्वॉयरी करवायेगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से दो उदाहरण सदन को बताना चाहता हूँ। एक मैसर्ज टैराकोम लि0 कंपनी के साथ समझौता किया गया और बाद में समझौते का टर्मिनेशन किया गया जिस कारण करोड़ो रूपये का लॉस हुआ। इस कंपनी को 145 फीडर्ज स्थापित व मरम्मत का कार्य करना था। वर्ष 2007–08 में इस कंपनी के साथ करार हुआ था और मार्च, 2008 तक कंपनी को काम पूरा करना था। अन्ततोगत्वा इस कंपनी ने काम को पूरा नहीं किया और टाइम पीरियड इस कंपनी का 31 दिसम्बर, 2008 तक बढ़ा दिया। कंपनी ने उस पीरियड में भी काम शुरू नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिनांक 4 दिसम्बर, 2008 को कंपनी के साथ करार समाप्त कर दिया। जिसके कारण से यह लॉस बताया जा रहा है। इस प्रकार की क्वैरीज उसमें डाली गई है और हम इस बारे में इन्क्वॉयरी करवायेंगे क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा विषय मिला है। इस विषय पर 75 प्रतिशत डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय के हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, क्या मौजूदा सरकार बिजली की खरीद में किए गए घोटाले की भी इन्क्वॉयरी करवाएगी? (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल जी, सदन के नेता कह रहे हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स की इन्क्वॉयरी होगी। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन में बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एन.टी.पी.सी. के साथ एक करार किया था और एन.टी.पी.सी. ने झज्जर के अंदर एक प्रोजैक्ट लगाया था और वर्ष 2011 में उस प्रोजैक्ट से बिजली लेने के लिए करार हुआ था । बिजली के लिए एक 'इंटर स्टेट ट्रांसमिशन' नाम का चार्ज लगाया गया था । इस चार्ज की एवज में स्टेट के 25 करोड़ रूपये प्रतिमाह एन.टी.पी.सी. को जा रहे थे । भले ही केंद्र सरकार की एन.टी.पी.सी. के साथ पी.ओ.सी. (प्वायंट ऑफ कनैक्शन) हो लेकिन स्टेट के 25 करोड़ रूपये इस तरह से जाना ठीक नहीं था । (विघ्न) हमने अपनी सरकार बनने के बाद उसी पुलिस ऑफिसर से इसकी जांच करवाई जिसकी अभी ये बात कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि स्टेट के ये 25 करोड़ रूपये प्रतिमाह एन.टी. पी.सी. को फालतू में जा रहे हैं क्योंकि यह ट्रांसमिशन तो स्टेट के स्टेट में ही हो रहा था यह इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नहीं था । (विघ्न) जैसे ही हमने इसके अगेंस्ट

ऑब्जैक्शन रेज़ किया तो उन्होंने इससे सहमति जताई और हमारे द्वारा 25 करोड़ रूपये प्रतिमाह दिए जाने बंद हो गए । यह राशि चार्ज के रूप में पिछले कई सालों से सरकार द्वारा उनके पास जा रही थी । इस लिहाज से एक साल का कुल 300 करोड़ रूपये चार्ज दिया गया था और लगभग 4 साल तक 1102 करोड़ रूपये चार्ज अदा किये गए थे । अब हमने उनको यह सारा पैसा सरकार को रिफंड करने के लिए पत्र लिखा है । इस प्रकार से जब हम चीजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं तो उसमें से कुछ न कुछ निकल भी रहा है । अब भले ही बिजली विभाग का खर्च बढ़ गया हो लेकिन हम इम्पलाइज के लिए सुविधा दे रहे हैं । जहां पहले बिजली कर्मचारियों पर सरकार का खर्च 15–16 सौ करोड़ रूपये होता था अब वह खर्च 1100 करोड़ रूपये बढ़कर 2600 करोड़ रूपये हो गया है । पिछली सरकार के समय में बिजली का जो एफ.एस.ए. 1.72 रूपये होता था अब हम उस एफ.एस.ए. को घटाकर 1.37 रूपये पर लेकर आए हैं । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ है तब से कभी भी हरियाणा में बिजली का टैरिफ नहीं घटाया गया । हमारी सरकार ने 200 यूनिट तक 2.5 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से टैरिफ तय किया है । पिछली सरकारों के समय में 200 यूनिट तक बिजली की दर 4.5 रूपये प्रति यूनिट हुआ करती थी । इस तरह से हमने 2 रूपये प्रति यूनिट टैरिफ कम किया है । इसी तरह हमने बिल निपटान योजना के तहत लोगों को राहत दी है । प्रदेश में कुछ लोग वर्ष 1996–97 से बिजली विभाग के बिल न भरने के कारण डिफॉल्टर थे । आप जानते हैं कि जो लोग एक बार डिफॉल्टर हो जाते हैं उन पर प्रतिवर्ष पैनल्टी के रूप में इंट्रस्ट लगता रहता है । हमने उन सभी डिफॉल्टर्स के बिल माफ कर दिए । यह राशि लगभग 2 हजार करोड़ रूपये थी । इसी के साथ मैं कहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों को एक आई.पी.एस. ऑफिसर को हमारे द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नियुक्त करने से तकलीफ हो रही है । (विघ्न) इस पर मेरा कहना है कि यह हमें देखना है कि हम किससे क्या काम करवायेंगे फिर चाहे वह आई.ए.एस. ऑफिसर हो या आई.पी.एस. ऑफिसर । (विघ्न) इनको पूरी बात सुनने का माद्दा भी रखना चाहिए । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, इस नियुक्ति का अर्थ यह है कि सरकार को आई.ए.एस. ऑफिसर पर भरोसा नहीं है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, हमने एक आई.पी.एस. ऑफिसर को डायरैक्टर लैवल की पोस्ट पर नियुक्त किया है और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्रेटरी एक आई.ए.एस. है । हमारी सरकार में सभी आपस में मिलकर काम करते हैं । इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है । अतः किसी का यह कहना कि यह काम एक आई.पी. एस. को क्यों दिया गया, ठीक नहीं है क्योंकि यह हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है । जिस आई.ए.एस. ऑफिसर को आई.ए.एस. का काम देना जरूरी होगा हम देंगे और जिस आई.पी.एस. ऑफिसर को आई.पी.एस. का काम देना जरूरी होगा हम देंगे । (विघ्न) हमें इस तरह से किसी को कोई काम देने में कोई कठिनाई नहीं है । अब मैं पुलिस डिपार्टमैंट की कम्पलेंट के विषय पर बात करना चाहूंगा । मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हम स्टेट लैवल पर एक 'पुलिस कम्पलेंट अथॉरिटी' का गठन कर रहे हैं । अगर कोई व्यक्ति मानता है कि उसे पुलिस ने नाजायज तंग किया है या पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो वह इस अथॉरिटी के पास अपनी कम्पलेंट दर्ज करवा सकता है । यह अथॉरिटी उस व्यक्ति के पास पुलिस के खिलाफ शिकायत करने का एक तरह का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा । इस अथॉरिटी का हैड कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस लैवल का जज या कोई रिटायर्ड ए.सी.एस. लैवल का आई.ए.एस. ऑफिसर होगा । (विघ्न) अगर उसकी कम्पलेंट पर सत्यता के आधार पर कार्रवाई नहीं की गई तो उसको भी सजा मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 5

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ ।)

.....

(3) दि फरीदाबाद मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी बिल, 2018

उपाध्यक्ष महोदया: अब वित्त मंत्री फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2018 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, मैं फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2018 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयाः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज –2 ऑफ क्लॉज–1

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज–2 से 60

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 60 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज 1

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयाः अब वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

.....

(4) दि हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 2018

उपाध्यक्ष महोदयाः अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं–

कि हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयाः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज –2

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–3

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयाः अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

.....

5. दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकेंड अमैंडमैंट) बिल, 2018

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं –

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगचरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है –

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदयाः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदयाः अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ।

.....

6. दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (सैलरी, अलाउंसिज़ एंड पैंशन ऑफ मैम्ब्र्ज़) सैंकेंड अमैंडमैंट बिल, 2018

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2018 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2018 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी इजाजत से जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हरियाणा लेजिस्लेटिव असैम्बली (सैलरी, अलाउंसिज़ एंड पैंशन ऑफ मैम्ब्र्ज़) सैंकेंड अमैंडमैंट बिल, 2018 प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं । उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी ने कई दफा कहा है कि इस तरह के फिजूल के जो खर्च हैं, उनको वे कम करेंगे, प्रदेश में कहीं कोई अनियमितताएं नहीं होंगी, करप्शन जीरो टोलरेंस की होगी । हम ऐसा कोई काम

नहीं करेंगे जो संविधान और कानून के विपरीत हो । जो यह Chief whip of the ruling party है, इनकी कौन से संविधान के अंदर डैफिनेशन है कि रूलिंग पार्टी का चीफ व्हिप कोई बहुत बड़ा लाट साहब होगा । जिसको बड़ी–बड़ी गाड़ियां दो–दो ड्राईवर और दो–दो पीयन आदि दे रखे हैं, यानी एक ड्राईवर इनको पंचकूला तक लेकर जाने के लिए है और दूसरा ड्राईवर इनको पंचकूला से विधान सभा में लेकर आने के लिए है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि चीफ व्हिप का क्या काम होता है ? जब विधान सभा की कार्यवाही चल रही होती है तब विधान सभा के अंदर रहकर पार्टी के विधायकों को, सदन के नेता को या पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर या पार्टी जो उनको संदेश देना चाहती हो, वह उन तक पहुंचाना होता है । (शोर एवं व्यवधान) जबकि ये *** का काम करते हैं ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, श्री करण सिंह दलाल जी को दलाली का काम किसने दिया इनका नाम ही दलाल है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा तो गोत्त ही दलाल है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल जी, द्वारा जो *** कहा गया है उसको रिकॉर्ड न किया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने कोई अनपार्लियामैंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है । (शोर एवं व्यवधान) इससे पहले ये हरियाणा विधान सभा में नकली मंत्री का बोर्ड लगाकर बैठ गये थे कि मैं ही मंत्री हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : उपाध्यक्ष महोदया, श्री करण सिंह दलाल माननीय सदस्य श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं । इनको इनसे माफी मांगनी चाहिए और इस शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने जो *** शब्द

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

कहा है । उसको सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया गया है । (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप सब बैठ जायें ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी से तो 5 हजार रुपये प्रति महीने उल्टे लेने चाहिए क्योंकि इनको चीफ व्हिप बनाया है । मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि इस बिल को लाने की जरूरत ही क्यों आई और सरकार ने खुद अपने बिल में माना है कि किसी ने चीफ व्हिप की नियुक्ति को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहले ही चुनौती दे रखी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, हमारी कांग्रेस पार्टी और इंडियन नैशनल लोकदल की पार्टी में भी व्हिप हैं उनको भी ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए । हरियाणा सरकार इस बिल के माध्यम से सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप को ये सभी सहूलियतें दे रही हैं तो विपक्ष के व्हिप को भी ये सहूलियतें देनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा सरकार एक चीफ व्हिप को इतनी सारी सहूलियतें कैसे दे सकती हैं इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इस बिल को वापिस ले लेना चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, ये सवैधानिक व्यवस्थाएं हैं और यह केवल हरियाणा प्रदेश में ही नही हैं, बल्कि आन्ध्र प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : करण सिंह दलाल जी, प्लीज आप बैठ जायें । संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं श्री करण सिंह दलाल जी और कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इनको एक फोबिया हो गया है । उपाध्यक्ष महोदया, ये अपनी गईयों को नहीं रो रहे हैं ये तो जेठ की रइयों को रो रहे हैं।(विघ्न) यह हरियाणा प्रदेश की पुरानी कहावत है । मैं कहना चाहता हूं कि यह एक सरकारी व्यवस्था है । यह जो चीफ व्हिप होता है वह तंत्र का पार्ट एंड पार्सल होता है और अनेक प्रांतों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, तो क्या माननीय सदस्य इस तरह से इस व्यवस्था का दुरूपयोग करेंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : करण सिंह दलाल जी, प्लीज आप बैठ जायें । आप अपने आप ही खड़े मत होईये । आप सदन की गरिमा को बनायें रखें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा (गढ़ी सांपला किलोई) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । क्या वहां भी चीफ व्हिप को इस तरह की फैसिलिटीज़ दे रखी हैं ? हमारा पार्लियामेंट सबसे बड़ा संसद है । यह पोस्ट संवैधानिक कैसे हो सकती है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई । This is not constitional post. This is a party post. How can you call party post a constitional post? आप चीफ व्हिप को फैसिलिटीज़ दो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन गलत ब्यानबाजी करके मत दो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडडा जी ने जो बात कही है कि पार्लियामेंट में ऐसी व्यवस्था नहीं है, अनेक प्रांतों में चीफ व्हिप के लिए इस तरह की व्यवस्था है और संवैधानिक स्ट्रेक्चर को स्टडी करके ही इस पोस्ट को लेकर आए हैं । उपाध्यक्ष महोदया, मेरा मानना है कि माननीय सदस्यों की ज्ञान चन्द गुप्ता जी से कोई पर्सनली नाराजगी हो सकती है परन्तु चीफ व्हिप से कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए ?

19:00 बजे

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि देश के अन्य प्रदेशों में जहां–जहां पर इनकी पार्टी की सरकारें हैं वहां–वहां पर भी चीफ व्हिप बना हुआ है और उसको सारी की सारी सुविधायें मिली हुई हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी) : उपाध्यक्ष महोदया, जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसके Statement of Objects and Reasons में लिखा ही हुआ है कि& "the matter is sub-judice". किसी पैटीशनर ने ऑलरेडी कोर्ट में यह केस डाला ही हुआ है। अगर सरकार वैसे भी सत्ताधारी पार्टी के चीफ व्हिप को सारी की सारी फैसिलिटीज़ दे देगी तो he will be considered as a Minister, may be the State Minister or may be the Cabinet Minister, because all the facilities of a Cabinet

Minister are going to be given to him . But the main thing is that किसी ने केस लगा रखा है और एफ.आई.आर. भी दर्ज़ करवा रखी है कि इस अमैंडमैंट से पहले ही उन्होंने विधान सभा में अपने रूम के आगे स्टेट मिनिस्टर का बोर्ड लगा रखा था। इस सम्बन्ध में केस ऑलरेडी चल रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से केवल यह जानना चाहती हूं कि हरियाणा प्रदेश में सरकार केवल 15 परसैंट ही मंत्रियों की नियुक्ति कर सकती है। जब चीफ व्हिप को मंत्रियों के बराबर सुविधायें दे दी जायेंगी तो क्या वह संख्या 15 परसैंट को एक्सीड नहीं करेगी? अगर ऐसा हुआ तो दोबारा फिर से चीफ व्हिप को दी जाने वाली सुविधाओं को चैलेंज किया जायेगा। हमारा सरकार से अनुरोध है कि अगर सरकार सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप को इस तरह की फैसिलिटीज़ दे रही है तो विपक्ष भी अपनी–अपनी पार्टी के चीफ व्हिप की नियुक्ति कर लेगा तो क्या उस स्थिति में उनको भी इस तरह की फैसिलिटीज देने का प्रावधान इस बिल में किया जायेगा। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया जी, आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी विपक्ष के चीफ व्हिप को भी सारी की सारी फैसिलिटीज़ देने की बात कर रही हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा कांस्टीच्युशनल प्रावधान करने नहीं जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी समर्थित सरकार है और वहां पर भी यही व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार ने भी ऐसा ही किया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्रीमान् ज्ञान चंद गुप्ता जी इस महान सदन का हिस्सा हैं। इस प्रकार से एक माननीय विधायक के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है तो सभी माननीय सदस्यों को सर्वसम्मति से इस बिल को पास करवाने में अपना सहयोग देना चाहिए।

प्रो. रविन्द्र बलियाला (रतिया) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया जी, फिर तो यह एक परम्परा ही चल पड़ेगी और उसके बाद सत्ताधारी पार्टी के स्टेट प्रेजीडैंट के लिए भी ऐसा ही प्रावधान किया जायेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर यह कहा जायेगा कि सत्ताधारी पार्टी के जिले के प्रधानों को भी ये सुविधायें दे दी जायें। मैं यही कहना चाहूंगा कि यह सही नहीं है क्योंकि इससे बाद में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है।

श्री रणबीर गंगवा (नलवा) : उपाध्यक्ष महोदया जी, सरकार यह बिल लेकर आ गई और सदन में पूरा संख्या बल सरकार के पास है इसलिए यह बिल पास हो जाएगा। मुझे भी इससे कोई एतराज़ नहीं है चाहे सरकार इस बिल को पास कर ले। मैं तो वर्तमान सरकार को इनके द्वारा सत्तासीन होने के बाद किया गया एक वायदा याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने यह कहा था कि जिस प्रकार से एम. पीज़. को ग्रांट मिलती है उसी प्रकार से एम.एल.एज़. को ग्रांट दी जायेगी। मैं तो राज्य सभा में सदस्य रहा था उस समय हमें ग्रांट मिलती थी तो गांवों में जाते थे तो उनके प्रॉयरटी के कामों के निपटान के लिए कुछ न कुछ धनराशि की अनाउंसमैंट कर आते थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय पार्लियामैंट्री मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं उस समय इन सभी ने कहा था कि एम.एल.एज़. की ग्रांट का प्रावधान किया जायेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार का समय अब तो अंतिम दौर में है इसलिए सरकार को यह काम तो अब कर देना चाहिए क्योंकि अगर अब भी नहीं किया तो फिर कब करेंगे? मैं यही चाहता हूं कि इस प्रावधान को इस बिल के अंदर और जोड़ दिया जाये। मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि जो सरकार को करना है वह तो करना ही है कम से कम एम.एल.एज़. को दी जाने वाली ग्रांट का प्रावधान भी कर दिया जाये। मैं तो कुल मिलाकर सरकार द्वारा जो वायदा किया गया था बस उसकी ही याद दिला रहा हूं।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में अपेक्षित कार्यवाही न करने की वजह से सत्ताधारी पार्टी के कम से कम पांच मैम्बर तो माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ ब्यान दे रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले की उपयोगिता और गम्भीरता को देखते हुए इस सम्बन्ध में तुरन्त प्रावधान करने के आदेश जारी करने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

> कि हरियाणा विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पैंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज –2

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि **क्लॉज** –2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज –3

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि **क्लॉज** –2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ।

.....

नेत्रहीन कल्याण मंच की विभिन्न मांगों के संबंध में मामला उठाना

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे पास नेत्रहीन कल्याण मंच(रजि.) गांव ठरवा, जिला अम्बाला का मांग पत्र है। उनकी कुछ मांगें हैं जो मैं इस महान सदन के सामने रखना चाहती हूं। मुझे दो मिनट का समय दे दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता जी, आप यह मांग पत्र मुझे दे दें। हम इसको सदन के पटल पर रख कर इसको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, ठीक है, मैं इस मांग पत्र को सदन के पटल पर रखती हूं और आपसे निवेदन करती हूं कि इसको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जाये।

डिमांड चार्टर ऑफ नेत्रहीन कल्याण मंच हरियाणा।

1. हरियाणा के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पद 1995 से लेकर आज तक 3 प्रतिशत आरक्षण के तहत बैकलॉग बारे।
2. 2016 में बने पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट के पूर्ण रुप से लागू करने बारे। उपाध्यक्ष महोदया, आपको बता देना अति आवश्यक है कि केन्द्र सरकार ने यह एक्ट पूर्ण रुप से लागू कर दिया है।

3. पुराने रोस्टर के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मांगे जाने वाले नेत्रहीनों के पदों की भर्ती हेतू 33, 66 और 99 के रोस्टर को लागू किया जाये। महोदया निवेदन यह है कि नये रोस्टर के अनुसार हमें 73वें नम्बर की पोस्ट दी जा रही है, अतः आपसे निवेदन है कि क्योंकि नेत्रहीन जॉब के अलावा और कोई कार्य करने में असमर्थ हैं इसलिये उसकी नेत्रहीनता को मद्देनजर रखते हुये पुराने रोस्टर को लागू किया जाये जिसमें नेत्रहीनों की 33वें नम्बर की पोस्ट बनती थी।
4. ग्रुप डी की भर्ती बारे– उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप–डी के 18218 पदों हेतू आवेदन मांगे गये थे। एक प्रतिशत आरक्षण के तहत नेत्रहीनों के कुल पदों का योग 182 होना चाहिए था लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.एस.एस.सी.) ने केवल 136 पदों हेतू ही नेत्रहीनों का आवेदन स्वीकार किया है।
5. दृष्टिहीनों के लिए चल रहे प्राईवेट संस्थानों को सरकार के अधीन लेने बारे– उपाध्यक्ष महोदया, आपकी जानकारी के लिए उल्लेखनीय है कि हिसार और सिरसा में नेत्रहीनों के दो प्राईवेट संस्थान चल रहे हैं लेकिन आज इनकी दशा दयनीय है। अतः आपसे निवेदन है कि सरकार इन संस्थानों को अपने आधीन ले ले ताकि इनमें पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो सके।
6. अम्बाला छावनी हरियाणा में चल रहे सनातन धर्म अंध विद्यालय की ग्रांट पुनः शुरू करवाने बारे। उपाध्यक्ष महोदया, आपकी जानकारी के लिए उल्लेखनीय है कि यह संस्थान 1952 से लेकर लगातार नेत्रहीनों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। यही एक मात्र छात्रावास है जहां रह कर नेत्रहीन अपनी बारहवीं से आगे की शिक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। इस संस्थान को लगातार ग्रांट मिल रही थी लेकिन पिछले दो साल से इस संस्थान की ग्रांट बिना किसी नोटिस के नहीं दी जा रही है जिसके बारे में हम समय–समय पर अवगत करवा चुके हैं।
7. राजकीय अंध विद्यालय पानीपत में रिक्त लैक्चरर के नियुक्ति बारे। उपाध्यक्ष महोदया, यह राजकीय अंध विद्यालय 2013 में 12वीं तक का हो गया था लेकिन आज तक हरियाणा सरकार के द्वारा किसी भी लैक्चरर की नियुक्ति नहीं की गई है जिससे कि वहां पढ़ रहे छात्रों का भविष्य

खतरे में है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द समाज कल्याण विभाग द्वारा इन रिक्त पदों हेतू आवेदन मांगे जायें और इन पदों पर किसी नेत्रहीन की ही नियुक्ति की जाए।

8. हरियाणा में चल रहे एक मात्र सरकारी नेत्रहीनों के प्रशिक्षण केन्द्र और राजकीय अंध विद्यालय के स्टाफ को अलग किये जाने बारे। उपाध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि इन दोनों संस्थानों का स्टाफ अलग–अलग करके इसे किसी आई.टी.आई. संस्थान से मान्यता प्राप्त करवाया जाये।
9. हरियाणा के विभागों में लगे सरकारी नेत्रहीनों कर्मचारियों को एक समान रिक्शा भत्ता देने बारे। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा के विभिन्न विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को ग्रुप–ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों को एक समान ग्रुप–ए के कर्मचारियों के समान ही रिक्शा भत्ता दिया जाना चाहिए।
10. विकलांग पैंशन की बढ़ोतरी बारे। उपाध्यक्ष महोदया, इस समय हरियाणा नेत्रहीनों को पैंशन मात्र 1800 रुपये दी जा रही है जो कि नामाफी है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि नेत्रहीनों की पैंशन बढ़ाकर 4000–5000 तक की जाए।
11. हरियाणा राज्य परिवहन की बसों का अन्य राज्यों में जाने पर नेत्रहीनों का किराया निशुल्क करवाने बारे। उपाध्यक्ष महोदया, मात्र दिल्ली व चण्डीगढ़ को छोड़कर यदि हम हरियाणा से बाहर हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में कहीं भी यात्रा करते हैं तो हमें पूरा किराया चुकाना पड़ता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में इसे निशुल्क किया जाये।
12. हरियाणा के विभिन्न विभागों में नियुक्त नेत्रहीनों की पदोन्नति समय से करवाने बारे। उपाध्यक्ष महोदया, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में नेत्रहीन कर्मचारियों की पदोन्नति दृष्टिवान कर्मचारियों की अपेक्षा काफी देर से होती हैं। अतः आपसे निवेदन है कि एक दृष्टिवान कर्मचारी की तरह ही एक नेत्रहीन कर्मचारी की पदोन्नति की जाए।
13. सुगम्य भारत अभियान के तहत हरियाणा के विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों को दिव्यांगों के अनुकूल करने बारे।

14.सक्षम योजना के अन्तर्गत नेत्रहीनों को उनके उपयुक्त वातावरण के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाए। धन्यवाद।

विभिन्न मांगों के सबंधं में मामला उठाना

श्री मक्खन लाल सिंगला : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरसा की मेरी कुछ डिमांड्स हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं इसलिए मुझे भी दो मिनट का समय दे दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयाः मक्खन लाल जी, आप अपनी डिमांड्स लिखित में सदन के पटल पर रख दीजिए, उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

श्री मक्खन लाल सिंगलाः उपाध्यक्ष महोदया, ठीक है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें सदन के पटल पर रखता हूं उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदया, मेरे सिरसा हलके में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका मूल कारण यह है कि शहर में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है अगर शहर में स्थायी पार्किंग की व्यवस्था बन जाए तो हमारे शहरवासियों को इस जाम की स्थिति से निजात मिल सकती है। इसी प्रकार से शहर में डाकखाने के पास बैठे हुये जूता पालिश करने वालों को भी उठाने से पहले कोई नई जगह देने का इन्तजाम किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे शहर में थोड़ी सी बरसात आ जाने पर शहर में पानी भर जाता है और सीवर भी ओवरफ्लो हो जाते हैं इसलिए कृपया शहर में नई सीवर प्रणाली को लागू किया जाये और बड़ी पाईप लाईन आगे तक बढ़ा कर बिछाई जायें। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शहर में बनी हुई सड़कें भी काफी हद तक टूटी हुई हैं इसलिए उनकी मुरम्मत करवाने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से नोटबंदी व जी.एस.टी. के बाद छोटे और बड़े व्यापारी कर्ज के बोझ के नीचे दब गये हैं। एक तरफ तो मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है जिससे व्यपारियों का व्यापार समाप्त होने की कगार पर है दूसरी तरफ जी.एस.टी. के 4 या 5 स्लैब होने के पश्चात् व्यापारी को यह नहीं पता कि कौन सी वस्तु कौन सी स्लैब में आती है। जी.एस.टी. के तहत सरकार ने कागजी कार्यवाही इतनी बढ़ा दी है कि एक आम छोटे से व्यापारी को भी हिसाब किताब रखने के लिए एक्सपर्अ अकाउंटेंट की सहायता लगातार लेनी पड़ती है। व्यापारी जब रिटर्न भरता है तो अगर कहीं

गलती से एक स्लैब का आईटम दूसरे स्लैब में चला जाए तो उससे मन मर्जी का व्यापारी पर जुर्माना लगाया जाता है। ई–ट्रेडिंग ने व्यापारियों पर इतना सिकंजा कसा है कि वह व्यापार की फॉरमैलिटीज पूरी नहीं कर पाता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जी.एस.टी.के 4–5 स्लैब की बजाय एक ही स्लैब निश्चित करनी चाहिए तथा इसके अन्तर्गत जो फॉरमैलिटीज पूरी करनी होती हैं उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि व्यापारी अनावश्यक दुविधा में न रहें। धन्यवाद।

.....

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(7) दी हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ग्रुप–ए, इरीगेशन डिपार्टमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2018

उपाध्यक्ष महोदयाः अब कृषि मंत्री, हरियाणा अभियन्ता सेवा ग्रुप–क सिंचाई विभाग (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगें कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा अभियन्ता सेवा ग्रुप–क सिंचाई विभाग (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

> कि हरियाणा अभियन्ता सेवा ग्रुप–क सिंचाई विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा अभियन्ता सेवा ग्रुप–क सिंचाई विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : उपाध्यक्ष महोदया, बिल के ऑब्जैक्ट में सी.डब्ल्यू. पी. नं. 13566 ऑफ 2011 का जिक्र किया गया है। इस केस में 12.1.2018 को निर्णय आया था और उसी के लिए इसमें अमैंडमैंट् करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जब 12.1.2018 को निर्णय आ गया था तो 11 महीने तक सरकार क्या करती रही, अब तक यह अमैंडमैंट् क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात यह है कि जिस सी.डब्ल्यू.पी. का जिक्र किया गया है उसके सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल ने सरकार को यह सलाह दी थी कि इस केस में हमें रिव्यू

पैटीशन दायर करनी चाहिए, वह क्यों नहीं डाली गई? तीसरी बात यह है कि यह अमैंडमैंट 2010 के बिल में की जा रही है और वह 2010 का बिल हमारे सामने नहीं है ताकि हमें यह पता चल सके कि टैक्निकली यह छोटी सी अमैंडमैंट स्टेट पर क्या इफैक्ट डालेगी? आप शर्तें चेंज करने जा रहे हैं और चार विभाग ऐसे हैं जहां पर ये नियम लागू होते हैं। इन विभागों में सिंचाई विभाग, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) डिपार्टमैंट और पंचायती राज विभाग हैं जहां पर हमारे इंजीनियर–इन–चीफ होते हैं। मेरा कहना यह है कि यह सिंचाई विभाग के अतिरिक्त इन तीन विभागों के लिए यह अमैंडमैंट क्यों नहीं लाई जा रही है। हमने पहले सुना था कि ये सभी सिविल इंजीनियरिंग करके जाते हैं। इस मामले में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो नहर का और रजवाहे का रनिंग का काम है वह सिविल इंजीनियर देखते हैं, इसमें मकैनिकल इंजीनियर का कोई काम ही नहीं होता है। मैकैनिकल इंजीनियर का काम तो पम्प ठीक करना तथा लिफ्ट इरीगेशन को चलाना होता है। यह मैकैनिकल विभाग के नकारापन का नतीजा ही है जो मेरे ईलाके में बाढ़ आती है । अगर मैकैनिकल विभाग ही ठीक हो जाए तो यह बाढ़ ही न आए । उसी को आप फिर आगे लेकर चल रहे हैं । बल्कि मैं तो कहता हूं कि मैकैनिकल विंग को तो पूरे प्रदेश के अन्दर बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए । कई जगह तो ऐसे एस.ई. बैठे हुए हैं जहां पर कोई काम ही नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी आप अगर खर्चा बचाने की बात कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ ध्यान दें क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है । गुड़गांव में जो मैकैनिकल एस.ई. बैठा है वहां कोई काम नहीं है । कई ऐसी जगह हैं जहां पर काम ही नहीं है । आपके करनाल में भी ऐसे ही बैठे हुए हैं । हमारे जीन्द के अन्दर काम पड़ता है वहां एक्सीयन का दफ्तर ही नहीं है । अगर किसी एस.डी.ओ. को जीन्द में आना होता है तो उसको करनाल से आना होता है । पहले वह करनाल आएगा उसके बाद वह जीन्द आएगा और रात को फिर उसको वापिस करनाल जाना होता है । वह न वहां रह सकते हैं और न ही काम कर सकते हैं । एक एक्सिमन मैकेनिकल का दफ्तर जींद में होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले हमारे सामने वर्ष 2010 का बिल भी लाया जाए ताकि हम समझ सकें कि यह मामला क्या है ? जिसके बारे में इन्होंने कहा है उसकी मेरे पास हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल के निर्देश की कॉपी है । इसमें उन्होंने राय दी है कि इसके लिए तो एस.एल.पी. में

जाना चाहिए । तो सरकार एस.एल.पी. में क्यों नहीं गई ? क्यों इसको 11 महीने डिले किया ? इसका हमें कारण बताएं ।

श्री जाकिर हुसैन (नूंह): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, जैसा ढुल साहब ने कहा है कि यह 11 महीने में फैसला आया था और जिस एक्ट को री–अपील किया जा रहा है वह वर्ष 2010 में विधान सभा ने पास किया था । जिसमें ई.आई.सी. और इनके ये सब मैटर हैं । इसमें मेरी सब्मीशन यह है कि जो ये पब्लिक हैल्थ, ईरीगेशन और बी. एण्ड आर. विभाग की इंजीनियरिंग विंग्ज हैं इनमें काम की वजह से 90 प्रतिशत सिविल इंजीनियर्ज हैं । उसके अलावा जो इंजीनियर्ज हैं वे इलैक्ट्रिकल्ज व मैकैनिकल्ज के हैं । इसमें हाई कोर्ट की जो जजमैंट आई है उसमें तीनों विभागों की पैटीशंज क्लब कर दी गई थी और उसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट ने 12.01.2018 को फैसला दिया है । उस फैसले के अन्दर तीनों विभागों के बारे में कहा गया है । तीनों विभागों के ऊपर ए.जी. से और एल.आर. साहब से राय ली गई उन्होंने यह कहा है कि पहले रिव्यु एप्लीकेशन डाली जाए और उसके बाद एस.एल.पी. में सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए । बाद में यह राय बदल दी गई । इसलिए इसको अमेंडमैंट के लिए लाया गया है। इसमें हमारा एतराज यह है कि सरकार इसको जो जरूरी समझ रही है तो पहले वर्ष 2010 में यह एक्ट क्यों बनाया गया था ? उसकी बैकग्राउंड हमारे सामने होनी चाहिए । साथ में इसको चेंज करने की आज जो जरूरत पड़ रही है वहां 90 प्रतिशत सिविल इंजीनियर्ज हैं । जैसे ढुल साहब ने कहा है कि जहां तीनों विभागों में मैकैनिकल का काम बहुत कम है और वहां हर विंग को चार्ज दिया जाएगा तो उससे हम यह समझते हैं कि डैफिनेटली ऐफिशियेंसी का फर्क पड़ेगा क्योंकि जिस आदमी को जिस काम को करने का अनुभव है वह उसमें बैटर राय दे सकता है न कि कोई दूसरी लाईन का आदमी । इसलिए इस विधेयक पर सरकार दोबारा से सोचे । इस बिल पर एक शक की बात यह भी उठती है कि जब तीनों विभागों पर हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है तो फिर इसमें संशोधन क्यों किया जा रहा है । अगर सरकार को इमरजैंसी में आज यह बिल लाना ही था तो तीनों विभागों के लिए लेकर आना चाहिए था । आज इसको अलग से जो एक विभाग को सैग्रेगेट करके लाया जा रहा है । हम यह समझते हैं कि सरकार अगर इसको करना बैटर समझती है तो जरूर करे लेकिन यह वर्ष 2010 में क्यों चेंज किया गया ? वे क्या हालात थे और आज जो चेंज किया जा रहा है तो क्या हालात हैं ? एस.एल.पी. में गवर्नमैंट क्यों

नहीं गई ? रिव्यु एप्लीकेशन में कह कर उसको छोड़ दिया गया । इससे मैं समझता हूं और आपके माध्यम से हमारी दरख्वास्त है कि इस बिल को सरकार वापिस ले तथा तसल्ली से इसको रिव्यू करके फिर इस बिल को लाया जाए । उसमें तीनों विभागों के लिए एक ही पॉलिसी लागू की जाए क्योंकि तीनों ही विभाग पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं । पी.डब्ल्यू.डी., पब्लिक हैल्थ और ईरीगेशन ये तीनों ही विभाग कंस्ट्रक्शन डिवीजन हैं ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, सरकार रिवीजन में गई थी लेकिन वह डिसमिस हो गई । आज यह जो भी बिल लाए गये हैं वे ए. जी. की राय पर ही लाए गये हैं । इसके लिए कंटैंप्ट लगी हुई है । वे विभाग भी इसको लाने वाले हैं । इसके प्रारूप से ध्यान में आता है कि इसके स्थान पर क्या सुधार किया जाए । इसमें एक तो नाम का ही संशोधन है और दूसरा इंजीनियरिंग चीफ के पद की जो मुख्य बात है उस पर किसी भी विंग से सीनियोरटी से वह आ सकता है । उस नाते से मनुष्य की योग्यता का कभी कोई यह नहीं होता कि एक ही बात पढ़ा हुआ व्यक्ति एक ही बात कर सकता है । हम अपने सिविल सर्विसिज में देखते हैं कि अधिकारी भिन्न–भिन्न मल्टी फैकल्टी में किस प्रकार से काम करते हैं । यहां तो इसमें योग्यता की ज्यादा बड़ी बात है ।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि हरियाणा अभियन्ता सेवा ग्रुप क, सिंचाई विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयाः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 11

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 11 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयाः अब कृषि मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

कि विधेयक पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

.....

मुख्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा धन्यवाद

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदया, आज का यह सत्र बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया था जिसमें बहुत से विषयों पर बिल पारित हुए हैं, कई विषयों पर चर्चायें भी हुई हैं, दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनायें भी मंजूर हुई जिसमें एक ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा हुई और दूसरी पर नहीं हो पाई लेकिन मैं हमारे विपक्ष के साथियों को जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी वजह से बहुत से ऐसे विषय जो सरकार की जानकारी में नहीं आ पाते हैं, विपक्ष के साथियों की वजह से सरकार के संज्ञान में आ जाते हैं और वास्तव में फील्ड के फीड बैक को सरकार के संज्ञान में लाना ही विपक्ष का सही मायने में कर्त्तव्य भी होता है। अतः इसके लिए मैं हमारे विपक्ष के साथियों का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी विपक्ष के हमारे साथी फील्ड की फीड बैक सरकार को देते रहेंगे। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि जो ठीक बातें हैं उन सबको स्वीकार करके जनहित में काम किया जाये। हमारी सरकार किसी भी सूरत में जनहित के कामों से पीछे हटने में विश्वास नहीं करती है। जनहित के काम करना वास्तव में हमारा जुनून है। इस संबंध में एक शेर पढ़कर सुनाता हूँ कि:–

मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा–इसी स्याह समुंद्र से नूर निकलेगा।

धन्यवाद।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल: उपाध्यक्ष महोदया, वैसे तो बड़ी इमरजेंसी में यह सत्र बुलाया गया था और बावजूद इसके इसमें तमाम तरह के मुद्दे उठाने का मौका दिया गया जिसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि इस इमरजेंसी सत्र में जो विधायक लगातार काम करते हुए सक्रिय बने रहते हैं, उनके अधिकारों का कहीं न कहीं हनन हुआ है और हनन इस प्रकार से हुआ है कि हमने बड़े ही महत्वूपर्ण प्रश्न इस सत्र में लगाने के लिए भेजे थे लेकिन चूंकि इस सत्र में प्रश्न काल नहीं था तो इस प्रकार हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न एक प्रकार से व्यर्थ ही चले गए। अब यह प्रश्न तो आने वाले नहीं हैं। मैंने स्पीकर महोदय से निवेदन किया था कि कम से कम हमारे अतांरांकित प्रश्नों का तो रिप्लाई भिजवाया जाये। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाघ्यक्ष महोदय, अभी सदन अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और इस समय ऐसे विषय उठाना मैं समझता हूँ वाजिब नहीं है।

अतः उपाध्यक्ष महोदया, मैं सत्र के अंतिम चरण में स्पीकर साहब का, आपका, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी माननीय विधायक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री कुलदीप शर्मा, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्रीमती गीता भुक्कल तथा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के माननीय परमेन्द्र सिंह ढुल, श्री जाकिर हुसैन, श्री मक्खन लाल सिंगला, श्री वेद नारंग, श्री रविन्द्र बलियाला, श्री रणवीर गंगवा और श्री ओम प्रकाश बड़वा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। श्री ओम प्रकाश बड़वा जी ने तो पिछले सत्र में इनके क्षेत्र के मिट्ठी मथानी में पानी पहुंचाने के लिए धन्यवाद भी किया था। इसके अतिरिक्त मैं श्री बलवान सिंह तथा श्री पिरथी सिंह नम्बरदार जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने सदन की कार्यवाही में अपना पूरा समय दिया। इसके साथ ही मैं अपने मीडिया के सभी पत्रकार व छायाकार साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

***19:19 बजे**

(तत्पश्चात् सदन अनिश्चित काल के लिए *स्थगित हुआ।)